राजनीतिक सिद्धांत

POLITICAL THEORY

Dr. Rajesh Mishra

विषय-सूची

राजनीतिक सिद्धांत
(Political Theory)

1. राजनीतिक सिद्धांत : अर्थ एवं उपागम
   (Political Theory : Meaning and Approaches) 03-14
2. राज्य के सिद्धांत (Theories of the State) 15-23
3. न्याय (Justice) 24-32
4. समानता (Equality) 33-43
5. स्वतंत्रता (Liberty) 44-47
6. अधिकार (Rights) 48-55
7. लोकतंत्र (Democracy) 56-70
8. शक्ति, प्राधान्य, विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना
   (Concept of Power : Hegemony, Ideology and Legitimacy) 71-84
9. **राजनीतिक विचारधाराएं (Political Ideologies)**
   - 9.1 उदारवाद (Liberalism) 85-95
   - 9.2 समाजवाद (Socialism) 96-104
   - 9.3 मॉर्क्सवाद (Marxism) 105-110
   - 9.4 फॉसीवाद (Fascism) 111-116
   - 9.5 गांधीवाद (Gandhism) 117-125
   - 9.6 नारीवाद (Feminism) 126-134

3 न्याय (Justice)

न्याय का आशय (Meaning of Justice)

प्लेटो के अनुसार, न्याय का आशय, समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। अतः न्याय का अभिप्राय, समाज में एक समानुपात का निर्माण है। राजनीति विज्ञान में यूनानी युग से ही न्याय की संकल्पना पर महत्वपूर्ण बल प्रदान किया गया है। यूनानी युग में, न्याय का अभिप्राय नैतिक था। अतः सद्गुणी जीवन का पालन करना या दायित्वों का निर्वहन करना ही न्याय है। बार्कर के शब्दों में, 'न्याय का अभिप्राय, व्यक्ति, व्यक्ति के संबंधों एवं मानवीय संबंधों को जोड़ने से है। अतः न्याय का अभिप्राय, राजनीतिक मूल्यों का सम्मिश्रण है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता जैसे मूल्य सम्मिलित हैं। न्याय, एक जटिल संकल्पना है। कभी इसका प्रयोग नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में और कभी-कभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में भी किया जाता है। जहां परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, वहां आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय से है। सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के वंचित वर्गों की दशा सुधारने की मांग करता है, ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

न्याय के विविध आयाम (Multiple Dimensions of Justice)

न्याय के विविध आयाम न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भों में जानने व समझने के प्रयत्न हैं और इनसे उसके संपूर्ण रूप की संकल्पना करने में **सहायता मिलती है** -

(i) नैतिक आयाम (Moral Dimension)
(ii) वैधानिक आयाम (Legal Dimension)
(iii) राजनीतिक आयाम (Political Dimension)
(iv) सामाजिक आयाम (Social Dimension)
(v) आर्थिक आयाम (Economic Dimension)

(i) नैतिक आयाम (Moral Dimension) - प्लेटो ने न्याय के लिए नैतिक व्यवस्था एवं नैतिक व्यक्ति का समर्थन किया। गांधी के अनुसार, समूची प्रकृति में शाश्वत व नैतिक व्यवस्था विद्यमान है, जिसका उल्लंघन किसी मानवीय विधि के द्वारा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का मुख्य सरोकार कानून के अलिखित हिस्से से है, जहां कानून मौन या अस्पष्ट हो, वहां न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। जहां किसी प्रश्न का उत्तर कानून की किताब में दर्ज न हो, वहां न्यायाधीशों से अपने न्याय बोध का सहारा लेने की आशा की जाती है। ऐसी हालत में 'कानूनों के पीछे छिपे हुए कानून' को मान्यता दी जाती है और उससे जुड़े हुए सिद्धांतों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य प्रकृति से ही विवेकशील प्राणी है। अतः विवेक या तर्क-बुद्धि का प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे प्राकृतिक न्याय के आधार हैं। चूंकि प्रकृति सब जगह एक-सी है। इसलिए प्राकृतिक न्याय के नियम विश्वजनीन नियम (Universal Rules) हैं।

(ii) वैधानिक आयाम (Legal Dimension) - वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय, विधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंड प्रदान करना एवं विधि का शासन सुनिश्चित करना है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग करना ही न्याय है।

(iii) राजनीतिक आयाम (Political Dimension) - राजनीतिक न्याय का अभिप्राय, उस राजनीतिक प्रक्रिया से है या उन व्यावहारिक नीतियों से है, जिसके द्वारा समाज में अनेक प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत् प्रत्येक दल का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान है।

(iv) सामाजिक आयाम (Social Dimension) - समाज का विभाजन सोपानिक या जाति, धर्म या लिंग के आधार पर न होना ही न्याय है। अतः एक न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म के द्वारा नहीं, अपितु कर्म या उपलब्धि के द्वारा

निर्धारित होता है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। बहुमत के द्वारा अल्पमत का शोषण सामाजिक न्याय के विरुद्ध है।

(v) आर्थिक आयाम (Economic Dimension) - मॉर्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार, न्याय का मूल स्रोत नैतिकता या राजनीतिक संरचना नहीं, अपितु आर्थिक संरचना है। जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर वर्ग विशेष का नियंत्रण होता है, वह समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए न्यायपूर्ण समाज में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। न्याय के उपरोक्त आयामों को देखते हुए संप्रति न्याय का आशय, सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय, एक वृहद् शब्द है, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को भी सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय, समाज में वस्तु, सेवाओं और पदों का वितरण निष्पक्ष एवं समान रूप में किया जाए।

वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)

वस्तुतः न्याय, वितरण का गुण माना जाता है और समाज में वस्तुओं, सेवाओं और पदों का वितरण किस आधार पर किया जाए, यह सदैव न्याय की मूल चुनौती है। पूंजीवादी वस्तुओं का वितरण क्षमता के आधार पर करना चाहते हैं, जबकि समाजवादी और समतावादी वस्तुओं के वितरण में आवश्यकता को महत्व देते हैं। वर्तमान समय में वस्तुओं के वितरण में क्षमता एवं आवश्यकता का सामंजस्य किया जा रहा है, जो जॉन रॉल्स के विचारों में दिखाई देता है। डेविड मिलर (David Miller) ने न्याय के **निम्नलिखित मानदंडों को प्रस्तुत किया** -

(i) आवश्यकता के आधार पर वितरण (Distribution based on Requirement)

(ii) क्षमता के आधार पर वितरण (Distribution based on Capacity)

(iii) अर्हता के आधार पर वितरण (Distribution based on Merit)

(i) आवश्यकता के आधार पर वितरण (Distribution based on Requirement) - आवश्यकता के आधार पर वितरण का समर्थन मूलतः मॉर्क्सवादी करते हैं। इस मान्यता के अनुसार, एक आदर्श साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए तथा उसे उसकी आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि मॉर्क्स ने साम्यवाद के पहले की समाजवादी अवस्था में जो कि संक्रमणकालीन होगी, उसमें वितरण को कार्य के आधार पर स्वीकार किया है। अतः मॉर्क्सवादी मान्यतानुसार, मानवीय आवश्यकता की पूर्ति मानवीय जीवन का आधार है। अतः ये आवश्यकताएं सभी मानवमात्र की हैं। ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के पश्चात् ही संभव है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण बुर्जुआ वर्ग का होता है। समाज मूलतः वर्ग विभाजित होता है। इसलिए बुर्जुआ लोकतंत्र के द्वारा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना निरर्थक है। इसलिए आवश्यकता उत्पादन तंत्र को परिवर्तन करने की है, न कि राजनीतिक प्रणाली को। इसलिए 'मॉर्क्सवादी आमूल-चूल परिवर्तन को बल प्रदान' करते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है कि मानवीय आवश्यकता क्या है? मानव की प्रवृत्ति मूलतः अपने लिए कार्य करने की होती है, समाज के लिए नहीं। इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार, समाजवादी व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति, समाज का दास बन जाता है।

(ii) क्षमता के आधार पर वितरण (Distribution based on Capacity) - वर्ष-1980 के दशक में नव-उदारवादी विचारकों ने समतावाद, कल्याणकारी राज्य एवं हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की। इस संदर्भ में अग्रणी विचारक नॉजिक के अनुसार, आवश्यकतानुसार न्याय की संकल्पना अपूर्ण एवं खण्डित है। इनके अनुसार, न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए तथा वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। यहां पर उल्लेखनीय है कि महान विचारक अरस्तू की मान्यता भी ऐसी ही थी। अरस्तू के अनुसार, समाज में वितरण का आधार योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए अरस्तू ने समाज में केवल विवेकशील व्यक्तियों को शासन कार्य सौंपने का समर्थन किया। नॉजिक के अनुसार, 'व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति एवं वस्तुएं उसकी क्षमता, प्रतिभा एवं श्रम का परिणाम है। इसलिए उस पर केवल उसी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए।' दूसरे शब्दों में, ये प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं, न कि परिणामों पर ध्यान देते हैं। जबकि यह उल्लेखनीय है कि मॉर्क्सवादी तत्त्वात्मक न्याय पर बल देते हैं। नॉजिक की संकल्पना जॉन रॉल्स के विरोध में आई और उसने राज्य द्वारा किसी प्रकार के वितरणकारी उपायों एवं सामाजिक न्याय का कटु विरोध किया।

(iii) अर्हता के आधार पर न्याय (Distribution based on Merit) - अर्हता का आशय, उचित पुरस्कार या दण्ड है। जिस पुरस्कार या दण्ड के लिए व्यक्ति अर्हता रखता है या उसके योग्य है, उसे वही पुरस्कार या दण्ड दिया जाना

चाहिए। जैसा कि प्लेटो ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग दिया जाना ही न्याय है। अत: व्यापक रूप में न्याय के इस मापदण्ड में आवश्यकता आधारित और अधिकार आधारित दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। क्योंकि एक श्रमिक को उसका पारिश्रमिक तथा एक भूखे को भोजन दिया जाना ही न्याय है। परंपरावादी विचारकों ने न्याय का अभिप्राय, वस्तुओं के एक प्राकृतिक व्यवस्था से लिया है। अत: न्याय, अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनशील है।

अत: इस प्राकृतिक न्याय के आधार पर परंपरावादी विचारक एडमण्ड बर्क ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की मान्यता को स्वीकार करते हुए बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इसी मान्यता को स्पेंसर ने भी स्वीकार किया है। स्पेंसर के अनुसार, व्यक्ति की क्षमताएं एवं प्रतिभा इस बिंदु का निर्धारक हैं कि किसे कितनी वस्तुएं प्राप्त हों? अत: स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद की मान्यता में विश्वास किया। इनके मतानुसार, न्याय को आवश्यकता या अधिकार जैसी अमूर्त संकल्पनाओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के प्राकृतिक गुणों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। अत: परंपरावादियों ने सामाजिक न्याय जैसी अमूर्त संकल्पना के बजाए, प्राकृतिक न्याय की संकल्पना में विश्वास किया है। लेकिन उपरोक्त विचारों को देखने से यह स्पष्ट है कि अर्हता के आधार पर न्याय की संकल्पना, अधिकारों के आधार पर न्याय की संकल्पना के समान ही प्रतीत होती है।

प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural Justice)

प्रक्रियात्मक न्याय, मूलत: औपचारिक या वैधानिक न्याय है और प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। अत: इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में 'क्षमता' पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। अत: प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस न्याय की अवधाारणा में 'प्रक्रिया' पर बल प्रदान किया जाता है, परिणामों पर नहीं। प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने न्याय की संकल्पना को एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं।

समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है। इसलिए एक असमतामूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय के प्रवर्तकों में हर्बर्ट स्पेंसर, एफ. ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं तथा जॉन राल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय को सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ मिलकर न्याय का विस्तृत सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया है। प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रजाति, लिंग, भाषा व संस्कृति इत्यादि के आधार पर मनुष्य में किसी तरह के भेदभाव का विरोध करता है और समाज में सभी मनुष्यों की समान गरिमा एवं समान महत्व को स्वीकार करता है। इस दृष्टि से यह एक प्रगतिशील विचार है। परंतु यह विचार बाजार अर्थव्यवस्था को आदर्श व्यवहार का प्रमाण मानते हुए यह मानकर चलता है कि केवल सबके लिए समान नियम बना देने पर सभी मनुष्य अपने परस्पर संबंधों को न्यायपूर्ण ढंग से समायोजित कर लेंगे और सरकार को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

तत्त्वात्मक न्याय (Substantive Justice)

तत्त्वात्मक न्याय का अभिप्राय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से है। तत्त्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। तत्त्वात्मक न्याय की संकल्पना, अवसर की समानता पर आधारित है। तत्त्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मॉर्क्सवादियों ने माना। इनके अनुसार, न्याय का अभिप्राय, पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है। यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। अत: मॉर्क्सवादी अवसर की समानता के बजाए, सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मॉर्क्सवादियों के अनुसार, कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है। क्योंकि मॉर्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, इससे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है और सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाए, सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है।

प्रक्रियात्मक न्याय के विपरीत, तात्विक या सामाजिक न्याय का समकालीन विचार समाजवाद के साथ निकटता से जुड़ा है। सामाजिक न्याय के समर्थक यह मानते हैं कि जब तक समाज संपूर्ण सामाजिक संपदा, उत्पादन के साधनों तथा सामाजिक जीवन से प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करता, तब तक इस वितरण को न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक न्याय की मांग यह है कि सामाजिक विकास के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों के

हाथों में सिमटकर न रह जाएं, बल्कि उन्हें समाज के अभावग्रस्त, दीन-हीन, वंचित एवं कमजोर स्तरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

उपचारात्मक न्याय (Remedial Justice)

सैद्धांतिक रूप में मॉर्क्सवादी, वितरणकारी न्याय के समर्थक नहीं हैं। मॉर्क्सवादियों के अनुसार, पूंजीवादी समाज एक बीमार समाज है, जिसके उपचार की आवश्यकता है। उनके अनुसार, वितरण के बजाए, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के बाद ही संभव है। इनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता से कार्य किया जाएगा तथा उसे अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी, जो साम्यवादी व्यवस्था में ही संभव है। व्यावहारिक रूप में पूर्व सोवियत संघ में जिस व्यवस्था का प्रयोग किया गया, उसमें समानता प्रदान करने के नाम पर स्वतंत्रता को पूर्णत: समाप्त कर दिया गया। सामाजिक एवं आर्थिक समानता बनाए रखने पर मूल बल प्रदान किया गया तथा स्वतंत्रता की अनदेखी की गई। जबकि एक न्यायपूर्ण समाज में स्वतंत्रता व समानता दोनों आवश्यक हैं। यद्यपि मॉर्क्स के राज्य विहीन समाज की कल्पना साकार नहीं हो सकी, इसलिए व्यावहारिक रूप में चीन जैसे समाजवादी राज्य में आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं का वितरण होता है।

जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत (John Rawls' Theory of Justice)

सामाजिक समझौता (Social Agreement)

जॉन रॉल्स ने 20वीं शताब्दी में अपनी प्रसिद्ध रचना-A Theory of Justice, (1971) के द्वारा न्याय की संकल्पना को पुन: राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। जॉन रॉल्स के अनुसार, न्याय, समाज का केंद्रीय सद्गुण है और मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया है। अत: 'न्याय, मानवता के तार्किक चयन का परिणाम है।' जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का निर्माण 17वीं शताब्दी के समझौते के सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हुए किया है। सामाजिक समझौते के द्वारा जॉन रॉल्स ने न्याय को निष्पक्षता (Fairness) का रूप देने का प्रयास किया। क्योंकि न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपना स्वतंत्र चयन एवं निर्णय किया है।

अज्ञान का पर्दा (Veil of Ignorance)

इसके द्वारा जॉन रॉल्स यह सिद्ध करना चाहते हैं कि न्याय के निर्माण में सभी व्यक्तियों की हैसियत एक समान है तथा कोई किसी को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। उसने एक ऐसे 'अज्ञान के पर्दे' की कल्पना की, जहां व्यक्ति को अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का ज्ञान नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर, भविष्य के समाज में उसकी स्थिति क्या होगी? उसके विषय में उसे ज्ञान भी नहीं था। अत: इस कल्पनात्मक स्थिति में जब व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का प्रयत्न किया, तो उन्होंने स्वयं की स्थिति को सबसे वंचित रूप में रखा और यह प्रयत्न किया कि इस वंचित वर्ग की स्थिति में हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार, मानव स्वभाव खतरे उठाने से डरता है, इसलिए सबसे सुरक्षित विकल्प का चयन करता है। अज्ञान के पर्दे के पीछे व्यक्तियों ने यह नहीं सोचा कि भविष्य में वे संपन्न और शक्तिशाली होंगे, बल्कि यह विचार किया कि भविष्य में सबसे वंचित होने पर उन्हें कितनी अधिकतम वस्तुएं प्राप्त होंगी। इसलिए जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को 'अधिकतम-न्यूनतम सिद्धांत' भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि समाज में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ की स्थिति में होना ही न्यायपूर्ण समाज की विशेषता है।

वरीयता का नियम (Lexical Priority)

- स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध समानता के लिए नहीं आरोपित किया जाएगा।
- जॉन रॉल्स के अनुसार, 'न्याय, कल्याण व कुशलता की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है।'
- अधिकार, भलाई से बेहतर है।

जॉन रॉल्स के न्याय की कल्पना की पृष्ठभूमि लोकतांत्रिक है। उनके अनुसार, न्याय में समान स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य एवं प्राथमिक है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप में प्राप्त होगा। स्वतंत्रता का आशय, मत देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व समूह निर्माण की स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। जॉन रॉल्स के अनुसार, 'स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, न कि अन्य आधारों पर।' इसलिए जॉन रॉल्स का न्याय, प्रक्रियात्मक है। उनके अनुसार, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक विषमता समाप्त नहीं की जा सकती, बल्कि उसने न्याय में विभेद को महत्वपूर्ण माना। उसके अनुसार, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता स्वीकार योग्य है, यदि यह समाज

के न्यूनतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम लाभकारी हो, जबकि ऐसी स्थिति में किसी भी विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो इस न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अलाभकारी हो।

जॉन रॉल्स के न्याय का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ है। जॉन रॉल्स के अनुसार, 'न्याय, सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है।' न्याय में समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता, अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता एवं न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण तीसरी प्राथमिकता है। जॉन रॉल्स के अनुसार, इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जॉन रॉल्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय एवं तत्त्वात्मक न्याय के मध्य बेहतरीन सम्मिश्रण स्थापित किया। अत: जॉन रॉल्स ने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत् न्याय की प्राप्ति का विश्लेषण किया व कल्याणकारी राज्य के द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के द्वारा न्याय को संभव माना।

उपयोगितावाद की आलोचना (Critique of Utilitarianism)

जॉन रॉल्स का न्याय, बेंथम की सुखवादी मान्यता पर आधारित नहीं है। क्योंकि बेंथम के विचार में न्याय का अभिप्राय, 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है।' जबकि जॉन रॉल्स ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में साध्य मानते हुए न्याय की प्राप्ति का प्रयत्न किया। अत: जॉन रॉल्स का विचार, काण्ट की नैतिकता से प्रभावित है, बेंथम के उपभोक्तावाद से नहीं। मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पूंजीवादी उत्पादन एवं नैतिकता पर आधारित वितरण संभव है? जॉन रॉल्स ने इसका बचाव करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि समाज में विषमता, उत्पादन वृद्धि में प्रेरक की भूमिका निभाती है। चूंकि समझौते में किसी भी व्यक्ति को अपनी भविष्य की स्थिति का पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम स्थिति को मान कर चलता है और किसी को यह पता नहीं है कि किसकी स्थिति कब वंचित हो जाएगी।

समाज का प्राथमिक सद्गुण (Primary Virtue of Society)

जॉन रॉल्स, मूलत: उदारवादी विचारक हैं तथा उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत् एक न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया। उनका समूचा न्याय का सिद्धांत, बाजारवादी व्यवस्था पर आधारित है। जॉन रॉल्स के न्याय में सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता का अधिकार है। इनके अनुसार, 'न्याय, मानवीय विवेक व चयन का परिणाम है। यह ईश्वर प्रदत्त नहीं है और न ही इतिहास पर आधारित है।' इसका निर्माण नैतिक व्यक्तियों द्वारा किया गया और व्यक्तियों ने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मानवीय संबंधों को नियंत्रित व संतुलित करने के लिए न्याय के नियमों का निर्माण किया। जॉन रॉल्स के अनुसार, 'न्याय, समाज का प्राथमिक सद्गुण है, जिसमें समान स्वतंत्रता के अधिकार, अवसर की समानता और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ का प्रावधान किया गया है।'

वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)

जॉन रॉल्स के अनुसार, 'प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण करना ही न्याय है।' परंतु इन प्राथमिक वस्तुओं के वितरण में भेदभाव किया जा सकता है, यदि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभप्रद हो। प्राथमिक वस्तुएं **निम्नलिखित प्रकार की होती हैं** –

(i) सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं (Social Primary Objects) - जिसमें मूलभूत स्वतंत्रता (विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), आवागमन, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, आय व संपत्ति, अवसर की समानता तथा आत्म सम्मान सम्मिलित हैं।

(ii) प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं (Natural Primary Objects) - जिसमें बुद्धि व स्वास्थ्य सम्मिलित हैं।

इमैनुएल काण्ट से प्रभावित (Influenced by Immanuel Kant)

जॉन रॉल्स का न्याय, काण्ट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है और उसने काण्ट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि 'व्यक्ति, स्वयं में साध्य है।' इसलिए इन्होंने कहा कि 'आत्मन, साध्य से पहले है।' अत: जॉन रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। जॉन रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। क्योंकि बेंथम ने 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' को ही न्याय का मूल आधार माना था।

आरंभिक स्थिति (Original Position)

जॉन रॉल्स ने न्याय-निर्माण के लिए 'अज्ञान के पर्दे' और 'आरंभिक स्थिति' की कल्पना की। इन्होंने न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 'सामाजिक समझौते के सिद्धांत' की तकनीक का प्रयोग किया। आरंभिक स्थिति में व्यक्ति अपने हितों के अनुसार निर्णय करता है तथा उसका यह प्रयत्न होता है कि समाज में न्याय के नियम का आधार ऐसा होना चाहिए, जिससे उसका सर्वाधिक लाभ हो। 'अज्ञान के पर्दे' का अभिप्राय, **निम्नलिखित है** –

- उसे अपनी विशिष्ट क्षमताओं व प्रतिभाओं का ज्ञान नहीं है।
- उसे अपने भविष्य की स्थिति का भी पता नहीं है।

इसके अनुसार, ऐसे 'अज्ञान के पर्दे' के पीछे व्यक्ति अपने लिए अधिक से अधिक प्राथमिक वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा एवं व्यक्तियों ने स्वयं को वंचित स्थिति में रखकर समझौता किया, जिसके अंतर्गत् इसने कल्पना की कि यदि वह सबसे न्यूनतम स्थिति में होगा, तो उसे कितनी अधिक प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसलिए जॉन रॉल्स के न्याय के नियम को 'महाकल्पनिष्ठ नियम' या 'अधिकतम-न्यूनतम नियम' (Maximum & Minimum Law) कहा जाता है। जॉन रॉल्स के विचारों से यह स्पष्ट है कि 'समाज से विषमता पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती है और न ही उसने इसे समाप्त करने का प्रयत्न किया। किंतु ऐसी विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे समाज के न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अभाव हो।'

जॉन रॉल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य (John Rawls' Political Perspective on Justice)

जॉन रॉल्स के न्याय का निर्माण लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत् किया गया है तथा उसने न्याय को व्यावहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना। इस संदर्भ में उसने राज्य के कार्यों को **निम्नलिखित भागों में बांटा** -

(i) आवंटन (Allocation)
(ii) स्थायित्व (Stability)
(iii) स्थानांतरण (Transfer)
(iv) वितरण (Distribution)

(i) आवंटन (Allocation) - प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी व बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण होगा तथा प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा।

(ii) स्थायित्व (Stability) - व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे।

(iii) स्थानांतरण (Transfer) - सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी, जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है। अतः सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए, जिससे न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो।

(iv) वितरण (Distribution) - समाज में संपत्ति का केंद्रीयकरण व वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए, तो स्वतंत्रता व समानता (अवसर की समानता) पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया।

समुदायवादियों द्वारा आलोचना (Criticism by Communitarians)

समुदायवादी, समुदाय को प्राथमिकता देते हुए जॉन रॉल्स के मूल आधार को खारिज कर देते हैं। समुदायवादियों ने **निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया** -

1. **सामान्य भलाई की राजनीति (Politics of Common Good) -** चार्ल्स टेलर ने जॉन रॉल्स के न्याय को अधूरा बताया, क्योंकि जॉन रॉल्स का न्याय अणुवादी व्यक्ति की मान्यता पर आधारित है और इसीलिए न्याय का विचार संदर्भ विहीन एवं परिप्रेक्ष्य विहीन है। अज्ञान के पर्दे के विचार में सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। इसलिए अणुवादी व्यक्ति के द्वारा समाज की भलाई संभव नहीं है, क्योंकि जॉन रॉल्स यह मान लेते हैं कि अधिकार, भलाई से पहले है।
2. **भार सहित व्यक्ति (Encumbered Self) -** चार्ल्स टेलर ने उदारवादी रॉल्स के व्यक्ति के समूचे विचार पर ही सवाल उठा दिया है, तो न्याय का विचार तर्कसंगत कैसे हो सकता है? टेलर के अनुसार, व्यक्ति की व्याख्या अणु के रूप में करना समूचे सामाजिक संदर्भ को इंकार कर देना है। माइकल सैंडल ने भी जॉन रॉल्स के न्याय की आलोचना की, क्योंकि जॉन रॉल्स का न्याय जिस काण्टवादी नैतिकता पर आधारित है, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों से पहले है। जबकि वास्तविक रूप में मानव के लक्ष्य समुदाय द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होते हैं। जॉन रॉल्स ने दार्शनिक रूप में 'आत्मन को, साध्य से पहले माना' जो एक गंभीर त्रुटि है। जॉन रॉल्स के चिंतन में व्यक्ति को एक

अणु की भांति स्वीकार किया गया है तथा व्यक्ति के द्वारा समाज व न्याय के नियमों का निर्माण हुआ, जबकि समुदायवादियों के अनुसार, 'सामुदायिक मूल्यों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति सदैव समाज में अवस्थित होता है।' चॉर्ल्स टेलर के अनुसार, 'व्यक्ति को मूल्यों की प्राप्ति समुदाय से होती है एवं समुदाय के द्वारा ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।'

3. **सार्वभौमिकता का खंडन (Rejection of Universalism) -** माइकल वालजार (Michael Walzer) ने जॉन रॉल्स के वितरणवादी न्याय को पूर्णत: खारिज कर दिया, क्योंकि जॉन रॉल्स सभी व्यक्तियों के लिए एक समान वस्तुएं देने का प्रयास करते हैं, जबकि वालजार का मानना है कि वस्तु का महत्व सामाजिक संदर्भ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए एक ही समान वस्तुएं सभी सामाजिक संदर्भों में उपयोगी नहीं हो सकती।

प्रत्येक संस्कृति के लिए न्याय के मानदंड एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने मानक व मूल्य होते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय में इस विविधता को पूर्णत: उपेक्षित किया गया है तथा सामाजिक व सांस्कृतिक मतैक्य को पूर्वमान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जबकि व्यवहार में प्रत्येक समुदाय की पृथक् सांस्कृतिक पहचान होती है। मॉइकल सेंडल के अनुसार, 'आत्मन का निर्धारण साध्य के द्वारा होता है।' अत: न्याय के नियमों की खोज समुदाय में संभव है। इसका कृत्रिम निर्माण करना संभव नहीं है। जीवन में हम व हमारे उद्देश्य अलग-अलग नहीं होते। इसलिए समाज में हम अपने उद्देश्यों की खोज करते हैं। समुदायवादियों के अनुसार, 'प्राथमिक वस्तुओं के वितरण पर अत्यधिक बल दिया गया।' समुदायवादियों के अनुसार, 'प्रत्येक समाज के लिए वस्तुओं का समान महत्व नहीं होता है।'

4. **न्याय और अच्छा समुदाय (Justice and Good Community) -** समुदायवादियों ने कहा कि न्याय का निर्माण नहीं होता और यह कृत्रिम विचार भी नहीं है। अपितु अच्छे समुदाय में न्याय स्वाभाविक रूप में अंतर्निहित होता है। उदाहरण के लिए, परिवार कृत्रिम संस्था नहीं है और परिवार में न्याय विद्यमान होता है। जबकि जॉन रॉल्स का न्याय समझौते पर आधारित है।

समुदायवादियों ने जॉन रॉल्स की उदारवादी-व्यक्तिवादी मान्यता पर पूर्ण प्रहार किया। समुदायवादियों के अनुसार, जॉन रॉल्स के विचार त्रुटिपूर्ण हैं। जॉन रॉल्स के आत्मनिर्धारण व चयन की मान्यता अतार्किक है, क्योंकि उन्होंने न्याय के निर्माण में सामाजिक परिप्रेक्ष्य की पूर्ण अवहेलना की, जिसमें व्यक्ति अवस्थित होता है। समुदायवादियों के अनुसार, 'व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह समुदाय का सदस्य होता है।' वालजार के अनुसार, 'उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है एवं उदारवादी अपनी मान्यताओं का प्रयोग सार्वभौमिक रूप में करना चाहते हैं।' समुदायवादियों के अनुसार, 'यह अतार्किक है, क्योंकि आधुनिक समाज जटिल है एवं सभी समुदायों को सांस्कृतिक अस्तित्व का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।'

समुदायवादियों का प्रतिउत्तर (Communitarian's Response)

जॉन रॉल्स ने समुदायवादी आलोचना का जवाब देते हुए वर्ष-1993 में अपनी पुस्तक-Political Liberalism लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय का विचार कोई दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धांत नहीं है, अपितु एक स्वायत्त विचार है। उन्होंने मूलभूत संरचना (Basic Structure) के विचार का प्रयोग करते हुए कहा कि न्याय संवैधानिक लोकतंत्र और साझे राजनीतिक संस्कृति पर आधारित होता है। वे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बिना न्याय संभव नहीं है। जॉन रॉल्स के इस विचार को 'आच्छादिक एकता' (Overlapping Consensus) भी कहा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि समुदायवादी भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं अधिकारों के विचार के समर्थक हैं और इसी से शासन की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। न्याय आम लोगों के नैतिक आकांक्षाओं से पृथक् है। उनके अनुसार उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विविधताओं के समावेशन की शक्ति है। उन्होंने यह माना कि न्याय का सिद्धांत विविधतापूर्ण समाज की आवश्यकता के अनुसार निर्मित होता है और विविधतापूर्ण समाज में शासन की मूलभूत संरचनाएं एक समान होनी चाहिए। इसलिए समुदायवादियों की आलोचना सार्थक नहीं है।

नारीवादियों द्वारा जॉन रॉल्स की आलोचना (Criticism of John Rawls by Feminists)

नारीवादियों के अनुसार, जॉन रॉल्स के समझौते में परिवार की विषमतापूर्ण स्थिति को अनदेखा कर दिया गया। जॉन रॉल्स ने यह मान लिया कि आरंभिक स्थिति में सभी व्यक्ति समान थे। जबकि नारीवादियों के अनुसार, 'आरंभिक समाज, मूलत: पितृ-सत्तात्मक था।'

मॉर्क्सवादियों द्वारा जॉन रॉल्स की आलोचना (Criticism of John Rawls by Marxists)

मैकफॅर्सन के अनुसार, 'जॉन रॉल्स के न्याय के वितरण के नैतिक पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण पूंजीवादी व बाजारवादी व्यवस्था के नियम हैं।' मिल्टन फिक्स के अनुसार, 'जॉन रॉल्स के न्याय के निर्माण में सभी व्यक्ति समान रूप में समझौता कर रहे हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है, क्योंकि समाज कभी भी समान नहीं होता, बल्कि समाज सदैव वर्ग विभाजित होता है। इनके अनुसार, जॉन रॉल्स द्वारा वर्णित मानव स्वभाव मिथ्या व अमूर्त है।

रॉबर्ट नॉजिक द्वारा जॉन रॉल्स की आलोचना (Criticism of John Rawls by Robert Nozick)

रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया। रॉबर्ट नॉजिक की **मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं** -

- आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था।
- व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया।
- व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है।
- रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार, व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है।
- इस संपत्ति को स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।
- बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध हो।

रॉबर्ट नॉजिक ने पूर्णत: बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। इसके न्याय का मूल आधार है कि 'जैसा जो चयन करे तथा जैसा जिसका चयन किया जाए।' रॉबर्ट नॉजिक ने न्यूनतम नकारात्मक राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का कार्य केवल विधि व व्यवस्था बनाए रखना तथा वाह्य शत्रुओं से नागरिक की रक्षा करना है। इसलिए इसने 'प्रगतिशील करारोपण के सिद्धांत' का खण्डन किया। इसने अपनी प्रसिद्ध रचना-Anarchy, State, and Utopia, (1974) में लिखते हुए कहा है कि ''राज्य केवल उतना करारोपण करेगा, जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।''

निष्कर्ष (Conclusion)

जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत द्वारा बाजारवादी व्यवस्था और सामाजिक न्याय के मध्य बेहतरीन संतुलन स्थापित किया। इन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय का प्रयोग करते हुए तत्वात्मक न्याय के मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इनकी मान्यता से स्पष्ट है कि 'एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत् स्वतंत्रता व अवसर की समानता का सम्मिश्रण ही न्याय का बेहतर रूप है एवं समकालीन विश्व में इसे अधिकांश राज्यों में लागू किया जा रहा है।'

अधिकारिता का सिद्धांत (Entitlement Theory)

रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी चर्चित रचना-एनार्की, स्टेट एण्ड यूटोपिया (Anarchy, State, and Utopia, 1974) या (अराजकता, राज्य और कल्पनालोक) के अंतर्गत् न्याय के दो तरह के सिद्धांतों में अंतर किया है, **जो निम्नलिखित हैं** -

1. ऐतिहासिक सिद्धांत।
2. साध्य मूलक सिद्धांत।

रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांत को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु स्वीकार किया है। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार, न्याय का आशय, **निम्नलिखित तीन नियमों से है** -

(i) संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए।
(ii) संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए।
(iii) यदि संपत्ति का हस्तांतरण/अर्जन वैध नहीं है, तो इस संदर्भ में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए।

अत: रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार, कोई धनी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को निजी रूप में संपत्ति का दान कर सकता है, लेकिन उसे नैतिक रूप से संपत्ति का दान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसने तो यहां तक कहा कि यदि सरकार व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है, तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला है। लेकिन अधिकार पर आधारित न्याय की मान्यता व्यक्ति को अणु के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक प्राणी के रूप में देखती है। इसलिए व्यक्ति को असीमित संपत्ति के संचय का अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का विकास समाज और सामाजिक संदर्भ में होता है, अलग-थलग नहीं।

न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध
(Relationship between Justice, Freedom and Equality)

परंपरागत उदारवादी व नव-उदारवादियों ने स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया। इनके अनुसार, 'स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वैच्छिक चयन ही न्याय है।' इनके अनुसार, न्याय, क्षमता पर आधारित है। न्याय के लिए बाजारवादी अर्थव्यवस्था और नकारात्मक राज्य का समर्थन किया। इसके मूल मान्यताकारों में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, स्पेंसर व बेंथम जैसे विचारक हैं। समकालीन नव-उदारवादी विचारकों जैसे-हेयक, फ्रीडमैन, नॉजिक एवं बर्लिन के अनुसार भी न्याय व्यक्तियों के चयन का परिणाम है तथा बाजारवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत् भी न्याय प्राप्त होता है। हेयक के अनुसार, 'सामाजिक न्याय की संकल्पना पूर्णतः निरर्थक है और सामाजिक न्याय के नाम पर नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे भविष्य में सर्वाधिकारवाद उत्पन्न होने का मार्ग तैयार हो जाता है।'

समानता और न्याय (Equality and Justice) (एक-दूसरे के विरोधी के रूप में) (As Opposed to the Others)

वस्तुतः न्याय की संकल्पना यूनानी युग से ही विद्यमान है, लेकिन समानता नहीं। अरस्तू के न्याय की संकल्पना ने विषमता को तार्किक एवं स्वाभाविक माना। इसीलिए उसने दास प्रथा का समर्थन किया। आधुनिक युग में टॉकविले एवं एक्टन जैसे विचारक भी समानता के समर्थक नहीं हैं। समकालीन नव-उदारवादी विचारक हेयक व नॉजिक जैसे मान्यताकारों के अनुसार, 'न्यायपूर्ण समाज का अभिप्राय स्वतंत्रता है।'

न्याय और समानता को एक-दूसरे का पूरक मानना (Considering Justice and Equality as Complementary to Each Others)

समाजवादियों एवं मॉर्क्सवादियों ने एक विषम समाज में न्याय को अस्वीकार कर दिया। अतः इनके अनुसार समानता का आशय, प्रत्येक परिस्थिति में सभी को समानता प्रदान करना है।

मध्यममार्गी दृष्टिकोण (Centrist Approach)

समानता एवं न्याय एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन समानता का आशय, अवसर की समानता या संसाधनों की समानता है, न कि परिणामों की समानता। अतः इनके अनुसार, जॉन रॉल्स और डॉर्किन जैसे विचारक मुख्य हैं, जो न्याय का आशय, समानता और स्वतंत्रता मानते हैं। बॉर्कर के शब्दों में, 'न्याय का आशय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे मूल्यों को सम्मिलित करना है।'

An Institute For Civil Services

PSIR

Dr. Rajesh Mishra

- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन
  (Western Political Thought)
- भारतीय राजनीतिक चिंतन
  (Indian Political Thought)

विषय-सूची

भाग 1 पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन (Western Political Thought)

1.	प्लेटो (Plato)	05-20
2.	अरस्तु (Aristotle)	21-32
3.	निकोलो मैकियावेली (Niccolo Machiavelli)	33-39
4.	थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes)	40-46
5.	जॉन लॉक (John Locke)	47-54
6.	जे. एस. मिल (John Stuart Mill)	55-61
7.	कार्ल मार्क्स (Karl Heinrich Marx)	62-77
8.	एंटोनियो ग्रामशी (Antonio Francesco Gramsci)	78-83
9.	हन्ना आरेंट (Hannah Arendt)	84-89

An Institute For Civil Services

भाग 2 भारतीय राजनीतिक चिंतन (Indian Political Thought)

1.	धर्मशास्त्र (मनुस्मृति) (Dharmasastra)	91-97
2.	अर्थशास्त्र (Arthashastra)	98-108
3.	बौद्ध-परंपराएं (Buddhist Traditions)	109-113
4.	सर सैयद अहमद खां (Sir Syed Ahmad Khan)	114-116
5.	श्री अरबिंदो (Sri Aurobindo)	117-122
6.	डॉ. बी. आर. अंबेडकर (Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar)	123-132
7.	एम. एन. राय (Manabendra Nath Roy)	133-137
8.	महात्मा गांधी (Mohandas Karamchand Gandhi)	138-145

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

अध्याय 3 निकोलो मैकियावेली (Niccolo Machiavelli)

मैकियावेली का परिचय (An Introduction to Machiavelli)

मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में वर्ष-1469 ई. में हुआ था। यह समय मध्ययुग के अवसान का समय था और नवीन विश्व के सृजन की आधारशिला रखी जा रही थी तथा यह समय पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार का था, जिसका सर्वाधिक प्रभाव इटली पर पड़ा। मैकियावेली इटली का निवासी था। उस समय इटली एक कमजोर तथा कई छोटे-छोटे प्रांतों में विभाजित राज्य था, जिससे विदेशी राज्य इटली पर जब चाहे आक्रमण कर रहे थे। इसलिए मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का मुख्य ध्येय इटली को शक्तिशाली बनाना तथा एकीकरण करना था।

मैकियावेली की रचनाएं (Literary Contribution)

मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना - 'द प्रिंस' (The Prince) है, जिसमें इन्होंने एक शक्तिशाली शासक को राज्य संचालन के लिए सलाह दिया है। मैकियावेली की दूसरी रचना - 'द डिस्कोर्सेज ऑन लिवि' (The Discourses on Livy) है, जिसमें इसने गणराज्यों की विशेषताएं बताई हैं। तीसरी रचना - 'द ऑर्ट ऑफ वार' (The Art of War) है, जिसमें युद्ध की तकनीकी और युद्ध विजय के साधन के बारे में व्यावहारिक विवरण दिया गया है।

मैकियावेली की पद्धति (Methodology adopted by Machiavelli)

मैकियावेली ने मध्यकालिक अध्ययन पद्धतियों का परित्याग कर दिया तथा व्यावहारिक पद्धति का उपयोग किया। मैकियावेली की पद्धति ऐतिहासिक मानी जाती है, क्योंकि इसने इतिहास से उदाहरणों के माध्यम से अपनी बातों को सिद्ध किया। इसके अतिरिक्त उसने अनुभववादी तथा पर्यवेक्षणात्मक पद्धतियों का भी उपयोग किया। जब वह मानव स्वभाव तथा राजतंत्र व गणतंत्र के बारे में भी विवरण देता है।

शासन कला (State Craft) का विचार

मैकियावेली का विचार प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों के विचारों के अलग है। मैकियावेली ने राजनीति के सैद्धांतिक मुद्दों का विश्लेषण नहीं किया इसीलिए मैकियावेली का सरोकार राज्य के उत्पत्ति, प्रकृति एवं संवैधानिक शासन जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से नहीं है, बल्कि उसने प्रिंस के लिए उन उपायों का उल्लेख किया है, जिससे आम जनता को नियंत्रित किया जा सके। मैकियावेली ने प्रिंस के लिए सेना के निर्माण का निर्देश दिया और यह बताया कि शासक को विद्रोह का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उसने धर्म का प्रयोग भी विश्लेषित किया, जिससे जनता को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए मैकियावेली का समुचा विचार व्यावहारिक है, जिसे इसे आज भी शासन सत्ता संभालने वाले प्रशासक प्रयोग करते हैं। मैकियावेली एक दार्शनिक नहीं है, अपितु एक कुटनीतिज्ञ एवं एक राजनेता था। इसीलिए हैकर ने कहा कि मैकियावेली के द्वारा राजनीति विज्ञान के बजाए, नीति विज्ञान (Policy Sciences) का निर्माण किया। मैकियावेली का विचार कौटिल्य के विचार के समान है।

नवीन चिंतन का आरंभ (Foundation of Modern Thought)

मैकियावेली का चिंतन यूनानी युग की भांति नैतिकतावादी नहीं है। उसने यूरोप में विद्यमान मध्यकालीन धार्मिक प्रभाव को भी अस्वीकार कर दिया तथा उसने आधुनिक विचार अपनाते हुए मानव व्यवहार का आनुभविक चित्रण किया,

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

जिसके अनुसार व्यक्ति नैतिक और सद्गुणी नहीं है और न ही ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, बल्कि व्यक्ति का जीवन का मूल उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, जिसके लिए वह निरंतर सुरक्षा एवं संपत्ति की तलाश में रहता है। उसने यूरोपीय चिंतन में पंथनिरपेक्षता अथवा भौतिकवादी चिंतन का आरंभ किया तथा उसके विचारों में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं। क्योंकि वह इटली की एकता के निर्माण के लिए प्रयासरत था। उसने यह माना कि व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी व लालची होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। उसने तत्वमीमांसा, दर्शन, धर्म एवं नैतिकता से राजनीति का अलगाव कर दिया। इसीलिए उसके चिंतन में आत्मा व परमात्मा जैसे तत्वमीमांसीय विचार नहीं है।

मैकियावेली अपने युग का शिशु (Machiavelli was Child of his Age)

डनिंग के अनुसार, 'मैकियावेली अपने युग का शिशु है।' अर्थात् उस पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव अत्यधिक था। अन्य विचारक इन परिस्थितियों से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। सेबाइन ने तो यहां तक कहा कि 'यदि मैकियावेली अन्य परिस्थितियों में पैदा हुआ होता, तो उसके विचार ऐसे नहीं होते।' मैकियावली के समय में यूरोप व इटली में कई सामाजिक, राजनीतिक व आंतरिक परिवर्तन हो रहे थे और सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो रहा था। पूर्ण निरंकुश राजतंत्र का विकास हो रहा था तथा कैथोलिक चर्च की वैधानिक शक्तियां समाप्त हो रही थीं। यूरोप में नई वैज्ञानिक खोजें आरंभ हुईं। संचार साधनों का विकास हुआ तथा नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। सेबाइन के अनुसार, 'यूरोप व इटली में हो रहे परिवर्तन पर जितनी सूक्ष्म दृष्टि मैकियावली की थी, ऐसी दृष्टि किसी अन्य विचारक की नहीं थी।'

मैकियावेली द्वारा वर्णित मानवीय स्वभाव तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित है। इनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा अधिकाधिक सुरक्षा व संपत्ति अर्जित करने की है। इसीलिए व्यक्तियों का आपस में संघर्ष होता है। मानव का मूल उद्देश्य इस जीवन में भौतिक संपत्ति अर्जित करना है और प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। सेबाइन के अनुसार, 'मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत यह मानव स्वभाव सार्वभौमिक अहंवाद का उदाहरण है, जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौमिक रूप में स्वार्थी व लालची है।' मैकियावेली के अनुसार, इटली के लोग बौद्धिक व रचनात्मक रूप में अत्यंत कुशल व पारंगत हैं, किंतु साथ ही वे स्वार्थी भी हैं। इटली का समाज पूर्णतया भ्रष्ट समाज है। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर मैकियावेली ने एक पूर्ण, निरंकुश व शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, जो इटली की एकता स्थापित करने में सहायक होगा व इटली शक्तिशाली बन पाएगा।

मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस प्रांत का निवासी था। तत्कालीन इटली पांच (5) राज्यों में विभक्त था। मैकियावेली के अनुसार, इटली के एकीकरण के लिए चर्च आंतरिक रूप में सबसे बड़ी बाधा है, तत्कालीन यूरोप में ब्रिटेन, स्पेन व फ्रांस जैसे देशों में निरंकुश राजतंत्रीय प्रणाली का जन्म हुआ। मैकियावेली के अनुसार, इन राज्यों के शक्तिशाली होने का मूल कारण एक शक्तिशाली राजा था। स्पेन व फ्रांस ने इटली पर सदैव आक्रमण किया, क्योंकि वे इटली को सदैव विभाजित रखना चाहते थे। इसलिए मैकियावेली के अनुसार, एक शक्तिशाली राजा ही इटली को आंतरिक व वाह्य समस्याओं से मुक्त कर सकता है। मैकियावेली ने यथार्थवादी चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ोसी के आक्रमण से बचने के लिए राज्य को सदैव सतर्क रहना एवं एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए।

यूरोप में इटली, पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र था। इस आंदोलन के द्वारा मानव गरिमा पर बल प्रदान किया गया। पारलौकिकता के बजाए, इहलौकिकता पर बल दिया गया। इसका प्रभाव मैकियावेली के चिंतन पर स्पष्टतया दिखाई देता है। इसने यूनानी व मध्यकालीन विचारधारा को अस्वीकार करते हुए पहली बार राजनीति व नैतिकता के मध्य पृथक्करण किया। इनके अनुसार, राज्य के कार्यों पर किसी प्रकार के नैतिक बंधन आरोपित नहीं होते। इसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि राज्य को शक्तिशाली बनाना ही राजा के लिए सबसे बड़ा नैतिक कार्य है। इसलिए राजा को सार्वभौमिक

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

नैतिक मानदण्डों के अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। अत: मैकियावेली ने पाश्चात्य चिंतन में पंथनिरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली के विचार में राष्ट्रवादी विचार भी स्पष्ट प्रतीत होते हैं तथा सामंती विधि के पश्चात् यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

शक्ति राजनीति का जन्मदाता (Father of Power Politics)

मैकियावेली के विचारों का केंद्र शक्तिशाली राजा व राज्य का निर्माण है। मैकियावेली ने आदर्शवादी, नैतिकतावादी व परंपराओं का परित्याग करते हुए शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। मैकियावेली के अनुसार, राज्यों के उत्थान व पतन का मूल कारण शक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है तथा कमजोर राज्य का ही पतन होता है। मैकियावेली ने शक्ति को साध्य मानते हुए नैतिकता व राजनीति के मध्य पृथक्क्रण किया। मैकियावेली ने शासकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि उन्हें सदैव शक्ति अर्जन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। मैकियावेली ने राजा को यह भी निर्देश दिया कि उसे युद्ध कला का ज्ञान होना चाहिए तथा राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का निर्माण आवश्यक है। मैकियावेली के अनुसार, शक्ति के द्वारा ही शासन किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य, स्वार्थी व लालची है व वाह्य आक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि मैकियावेली राजनीतिक विज्ञानी नहीं, अपितु कूटनयिक थे। हैकर के अनुसार, 'उसने राजनीति विज्ञान नहीं, बल्कि नीति विज्ञान का निर्माण किया।'

मानव स्वभाव (Human Nature)

मैकियावेली ने भौतिकवादी मानव स्वभाव का चित्रण किया। यह मानव स्वभाव उदारवाद की आधारशिला बनी, जिसका परिलक्षण हॉब्स, लॉक व बेंथम के विचारों में दिखाई देता है। मैकियावेली के अनुसार, मानव स्वभाव मूलत: स्वार्थी व लालची होता है तथा मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है और संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। उसने तो यहां तक कहा कि व्यक्ति का सरोकार इससे नहीं होता कि शासन प्रणाली कैसी है? इनके अनुसार, राजा को यह सीखना चाहिए कि स्वार्थी व्यक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। इनके अनुसार, केवल प्रेम से शासन संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तभी तक प्रेम करता है, जब तक उसका स्वार्थ निहित होता है। इनके अनुसार 'भय' स्थाई होता है, यद्यपि राजा को यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो और उसने राजा को यह सलाह दी कि राजा, महिलाओं व प्रजा की संपत्ति पर आक्रमण न करे। इनके अनुसार, शासन में सहयोगियों की सहायता ली जा सकती है, परंतु सहयोगियों पर पूर्णतया निर्भर नहीं होना चाहिए।

शासक के गुण (Quality of a King)

मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाए, राजनीति का यथार्थवादी विश्लेषण किया। अत: हैकर ने उनके विषय में कहा कि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के बजाए, नीति विज्ञान का निर्माण किया। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यावहारिक था। 'द प्रिंस' में उसने यह विशद् वर्णन किया कि राजा कैसा होना चाहिए? मैकियावेली ने एक शक्तिशाली केंद्रीयकृत इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी इत्यादि को उचित माना। इनके अनुसार, राजकुमार एक ऐसा सैनिक व राजनेता होना चाहिए, जो इटली की एकता कायम करने में सफल हो। मैकियावेली चाहता था कि इटली का विखण्डन दूर करके उसमें एकता का निर्माण किया जाए। इस हेतु मैकियावेली का मुख्य उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाना था, जिससे राज्य की सुरक्षा हो सके। इनके अनुसार, एक शक्तिशाली राजा ही, शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। इनके अनुसार, शेर व लोमड़ी जैसी मनोवैज्ञानिक उपमाएं राजा के लिए हैं। इनके अनुसार, परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों को संभालने तथा सत्ता में बने रहने के लिए राजा को इन गुणों की आवश्यकता होती है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

इन्होंने 'प्रिंस' में कहा कि संघर्ष के दो तरीके हैं – विधि द्वारा तथा शक्ति द्वारा। पहली विधि का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा, जबकि दूसरी विधि का प्रयोग पशुओं द्वारा किया जाता है। यदि पहला तरीका अपर्याप्त हो, तो दूसरी विधि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसलिए राजकुमार को यह ज्ञान होना चाहिए कि व्यक्ति व पशु दोनों तरीकों का प्रयोग कर सके। इसने कहा कि राजा में शेर व लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए, क्योंकि शेर साहसी होता है, जबकि लोमड़ी जाल से निकलने में कुशल होती है। परंतु लोमड़ी, भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। मैकियावेली के अनुसार, गुटबंदियों से निजात पाने के लिए तथा संसाधनों के प्रबंधन हेतु लोमड़ी का तरीका अपनाना चाहिए। जबकि क्रांति, आंदोलन, विरोध तथा सत्ता के विरूद्ध हिंसात्मक संघर्ष के समय राजा को शेर के गुण का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य नीतियों के निर्माण व प्रतिदिन की सेवाएं प्रदान करने के लिए लोमड़ी के गुण का प्रयोग करना चाहिए। इनके अनुसार, राजा को सार्वजनिक रूप में शेर की तरह दिखना चाहिए, परंतु प्रशासन हेतु उसे लोमड़ी की युक्ति का पालन करना चाहिए, उसने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति न तो पूर्णतया लोमड़ी हो पाता है, और न ही बिल्कुल शेर की भांति हो सकता है। इसलिए राजा को इन दोनों गुणों का विकास करना चाहिए। राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे, वैसा होना नहीं चाहिए। इनके अनुसार, राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं। शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती हैं। इसलिए हैकर ने 'द प्रिंस' को 'शक्ति की रचना' (Handbook of Power) कहा है।

राजनीति व धर्म में संबंध (Relation between Politics and Religion)

यूनानी व मध्य कालीन राजनीतिक चिंतन में धर्म व राजनीति का अविभाज्य संबंध था, बल्कि मध्यकालीन युग में चर्च अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था और चर्च द्वारा राज्य सत्ता को सदैव चुनौती प्राप्त हुई। मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। अतः उसने पंथनिरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। वह चर्च का प्रबल विरोधी था, परंतु यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि वह धर्म का विरोधी नहीं, बल्कि धर्म से तटस्थ था। इनके अनुसार, इटली की आंतरिक एकता में चर्च सबसे बड़ी बाधा है। मैकियावेली के विचार में 'शक्ति राजनीति' का विचार पाया जाता है, उसने राजनीति को धर्म से पृथक् कर दिया तथा राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। इनके अनुसार, राजा को यह सीखना चाहिए कि वह कैसे अच्छा न हो (बुरा हो)? इसलिए मैकियावेली ने राजा को नैतिक मानदंडों से मुक्त कर दिया।

मैकियावेली के अनुसार, राजा पर नैतिक मानदंड नहीं लागू होते, बल्कि आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा, जो उसके लिए हानिकारक है। यद्यपि उसने कहा कि राजा को दयालु, मानवीय व धार्मिक दिखना चाहिए, किंतु परिस्थितियों के अनुसार उसे धोखा व छल का प्रयोग भी सीखना चाहिए। धर्म के द्वारा लोगों से आज्ञा पालन कराया जा सकता है। इसलिए धर्म का प्रयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राज्य सशक्तिकरण हेतु करना चाहिए। धर्म द्वारा नागरिकों में भय उत्पन्न किया जा सकता है। इनके अनुसार, अधिकांश लोगों का स्वभाव परंपरावादी होता है तथा नए की तुलना में पुराने को व अनिश्चितता की तुलना में निश्चितता पसंद करते हैं। मैकियावेली ने मार्सीलियो (मध्यकालीन चिंतक) के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया। इनके अनुसार, चर्च, इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है तथा यह अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावेली के चिंतन में राजनीति का महत्व अन्य तत्वों से भिन्न है। इसलिए उसने शक्तिशाली राजा को समाज की सभी समस्याओं का समाधान माना। इनके अनुसार, राजा को 'धर्म का राजनीतिक प्रयोग' सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के द्वारा भी राजनीतिक एकता का निर्माण होता है। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार, यदि राज्य में बेहतर सैनिकों का अभाव है, तो इसके लिए राजा स्वयं उत्तरदाई है। अतः उसने राज्य की सुरक्षा के लिए 'नागरिक सेना' का समर्थन किया और कहा कि भाड़े के सैनिक इटली की रक्षा नहीं कर सकते।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

इटली पर अनेक राज्यों के आक्रमण का मूल कारण यह था कि इटली एक कमजोर राज्य था। इसीलिए आंतरिक व वाह्य दोनों समस्याओं से मुक्ति के लिए एक शक्तिशाली राज्य का आधार रखा गया। वोलिन के अनुसार, 'मैकियावेली का चिंतन, हिंसा का अर्थशास्त्र है।'

सद्गुण (Virtue) व भाग्य (Fortuna)

मैकियावेली ने कहा की सद्गुण राजा के लिए आवश्यक है। परंतु उसने सद्गुण शब्द का प्रयोग यूनानी युग की भांति नहीं किया, बल्कि उसके लिए सद्गुण का अभिप्राय परिवर्तित परिस्थितियों में स्वयं को परिवर्तित कर लेना है। इसलिए जीवन का कोई एक निश्चित सिद्धांत निर्मित नहीं हो सकता। राजा के लिए शक्ति और सुरक्षा ही सद्गुण है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुसार नियंत्रित कर लेता है। क्योंकि समाज और राज्य में होने वाले परिवर्तन सदैव राजा के अनुसार नहीं होंगे। इसलिए उसने नदी के बाढ़ की उपमा देते हुए कहा है कि नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना राजा का कार्य है। क्योंकि बाढ़ को आने से नहीं रोका जा सकता, परंतु बाढ़ के नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। नदी की बाढ़ की तुलना उसने भाग्य से की है, जो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ठीक इसी प्रकार समाज में होने वाले अव्यवस्थाएं एवं समस्याएं भाग्य की भांति है, जिनको सद्गुण से नियंत्रित किया जा सकता है। राजा को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसने भाग्य को महिला की उपमा भी दिया है, जिस प्रकार महिलाएं पुरूषों के प्रति आकर्षित होती हैं, ठीक उसी प्रकार भाग्य भी सद्गुण से नियंत्रित होता है।

राज्य व नैतिकता (State and Morality)

बर्लिन के अनुसार, मैकियावेली ने नैतिकता के दो मानदण्डों को स्वीकार किया है। पहला, मानदण्ड राजा के लिए लागू होता है और राजा, राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है और वह किसी की हत्या भी कर सकता है। राजा का उद्देश्य आम व्यक्तियों की रक्षा करना है, इसलिए उसके कार्यों का नैतिक मूल्यांकन संभव नहीं है। जबकि आम नागरिकों से नैतिक मानदण्डों के पालन की अपेक्षा की जाती है और आम नागरिक किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसीलिए मैकियावेली नैतिकता का विरोधी नहीं है।

मैकियावेली के अनुसार, राजा व राज्य, विधि व नैतिकता दोनों से स्वतंत्र हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि 'शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है, क्योंकि राज्य का दायित्व सभी लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करना है। इसने राजा को नैतिक मानदंडों से मुक्त किया, लेकिन आम व्यक्तियों के लिए उसने नैतिकता के मानदंडों को आवश्यक माना। अत: व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी व हत्या अनैतिक है, किंतु राजा के लिए नहीं। इसने स्पष्ट कहा कि नैतिक मानदंडों के पालन से राजा कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति, मूलत: स्वार्थी व लालची है तथा उसे भय द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए वह अनैतिक नहीं, बल्कि नैतिकता से तटस्थ है।

शासन प्रणाली (Forms of Government)

मैकियावेली ने शासन प्रणाली का विश्लेषण करते हुए कहा कि कौन सी शासन प्रणाली सबसे बेहतर है? यह मूल प्रश्न नहीं है, बल्कि वास्तविक मुद्दा यह है कि किन परिस्थितियों के लिए कौन सी शासन प्रणाली बेहतर है? इनके अनुसार, इटली जैसे भ्रष्ट समाज के लिए राजतंत्रीय शासन प्रणाली सबसे बेहतर है। इनके अनुसार, शासक को सत्ता में बने रहने के लिए आम लोगों का समर्थन प्राप्त करना होता है। हैकर के अनुसार, मैकियावेली न तो लोकतंत्र के पक्ष में था, न ही विरोधी। वह 'रूसो' की भांति लोकतांत्रिक नहीं है और न ही लॉक की भांति उदारवादी। इसके बावजूद भी उसने स्वतंत्रता का समर्थन किया, क्योंकि आम जनता स्वतंत्रता का समर्थन करती है या आम जनता की शासन के प्रति सहमति (Legitimacy) शासन को स्थाई बना देती है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

गणतंत्रीय शासन के समर्थन में तर्क (Arguments in favour of Democracy)

मैकियावेली के अनुसार, बहुमत का शासन ज्यादा सहिष्णु होता है और यह अल्पसंख्यकों को भी शक्तियां प्रदान करती हैं एवं उसने विधि का समर्थन किया। इस शासन के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें किसी समूह या व्यक्ति द्वारा जोड़-तोड़ की संभावना कम होती है। गणतंत्रीय शासन में आम जनता का लगाव शासन से ज्यादा होता है। इसलिए राज्य की एकता व सुरक्षा ज्यादा प्रभावी होती है। इन्होंने 'द प्रिंस' में कहा कि यदि साधारण व्यक्ति सत्ता संभालने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो वे अपने शासकों को चुनने की क्षमता अवश्य रखते हैं। इनके अनुसार, लोकतांत्रिक या गणतंत्रीय शासन प्रणाली ज्यादा बेहतर होती है और इसमें लोगों को आज्ञा पालन कराना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाता है कि वे शासकों का चुनाव व नीतियों का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा कि 'आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।' मैकियावेली ने गणतांत्रिक शासन का समर्थन करते हुए यह स्पष्टतया कहा कि यह शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है, जहां व्यक्ति सद्गुणी हों। इनके अनुसार, स्विट्जरलैण्ड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि यहां व्यक्ति सद्गुणी हैं।

सेबाइन के अनुसार, मैकियावेली के विचारों में एक अंतर्निहित विरोधाभाष है, क्योंकि एक ओर उसने सार्वभौमिक अहंवाद स्वीकारते हुए कहा कि मानव स्वार्थी है, तो वहीं दूसरी ओर, कहा कि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। उसने रोमनकाल की गणतंत्रीय शासन की अत्यंत प्रशंसा की, परंतु यह भी कहा कि लोकतांत्रिक शासन वहां प्रभावी होगा, जहां नेतृत्व शक्तिशाली व्यक्तियों का हो, जो पुनः विरोधाभाषी प्रतीत होता है।

स्वतंत्रता (Liberty)

मैकियावेली के द्वारा स्वतंत्रता का अत्यधिक समर्थन किया गया और उसके अनुसार स्वतंत्रता से समाज का विकास होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों से समाज को बेहतर बनाते हैं। उसने कहा कि स्वतंत्रता, विधि के अंतर्गत ही संभव है और स्वतंत्रता से समाज में स्थायित्व भी होता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासन में भागीदारी प्राप्त होती है। उसके अनुसार स्वतंत्रता का आशय स्वच्छंदता नहीं है, अपितु व्यक्ति से नागरिक सद्गुण के पालन की अपेक्षा की जाती है। जिसके अनुसार स्वतंत्रता का प्रयोग सामाजिक भलाई के लिए होगा। व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए स्वतंत्रता का प्रयोग संभव नहीं है। स्वतंत्रता से व्यक्ति में शासन के प्रति लगाव भी उत्पन्न होता है। क्योंकि राजा के शासन में व्यक्ति का शासन से लगाव उत्पन्न नहीं होता।

मैकियावेली के विचारों की आलोचना (Criticism of Machiavelli's Thoughts)

- राजा के लिए शेर व लोमड़ी जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का प्रयोग करना एवं उसे सीमित दायरे में बांध देना तार्किक नहीं है।
- मैकियावेली ने उन आनुवंशिक, सामाजिक व लैंगिक स्थितियों का वर्णन नहीं किया, जिनके द्वारा शेर व लोमड़ी के व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
- आलोचकों के अनुसार, मैकियावेली का विचार देश व काल से अत्यधिक प्रभावित है। इसलिए उनके विचारों की उपयोगिता केवल 15वीं व 16वीं शताब्दी के लिए है।
- मैकियावेली के विचारों में धूर्तता, धोखेबाजी और अवसरवाद का पूर्ण समर्थन किया गया है।
- हैकर के अनुसार, उसने मानव स्वभाव व इतिहास का वर्णन नियतिवादी रूप में किया, यह विश्लेषण नकारात्मक एवं एकांगी है।
- उसने इतिहास के यथार्थवादी विश्लेषण का दावा किया, परंतु उसके इतिहास का विश्लेषण यथार्थवादी नहीं, बल्कि पूर्व मान्यताओं पर आधारित हैं।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

मूल्यांकन (Evaluation)

मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन में एक नई विचारधारा का निर्माण किया, जिसका दीर्घकालिक महत्व हुआ। बर्की के अनुसार, मैकियावेली के विचारों को समग्रता से समझना चाहिए। इनकी रचना – 'द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी' (The Discourses on Livy) में देखने से यह प्रतीत होता है कि वह धोखेबाज, अवसरवाद व चालाकी का पक्षधर नहीं, बल्कि उसने तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर राज्य की एकता के लिए समाधान प्रस्तुत किया है। 'द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी' में कहा गया है कि गणतांत्रिक शासन सबसे बेहतर प्रणाली है। फोस्टर ने मैकियावेली का बचाव करते हुए कहा कि मैकियावेली की रचना राजनीतिक शिक्षा का एक ग्रंथ है, जिसने तत्कालीन राजनीति का यथार्थवादी व नग्न चित्रण किया और इसके लिए उसे दोषी ठहराना उचित नहीं है। उसने एक कला का विकास किया। यह व्यक्तियों व राजनेताओं पर है कि वे इसका प्रयोग किस रूप में करें। इसलिए मैकियावेली के विचार आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। वह अपने युग का शिशु है, लेकिन उसके विचारों की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत शासन कला, पंथनिरपेक्ष राजनीति, यथार्थवादी विश्लेषण और नैतिकता से तटस्थ विचार समकालीन युग में भी प्रासंगिक हैं।

※※※※※

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Delhi - 09
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491, 07820042822
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

भारतीय शासन
एवं
राजनीति
(I.G.P)
PART - 1

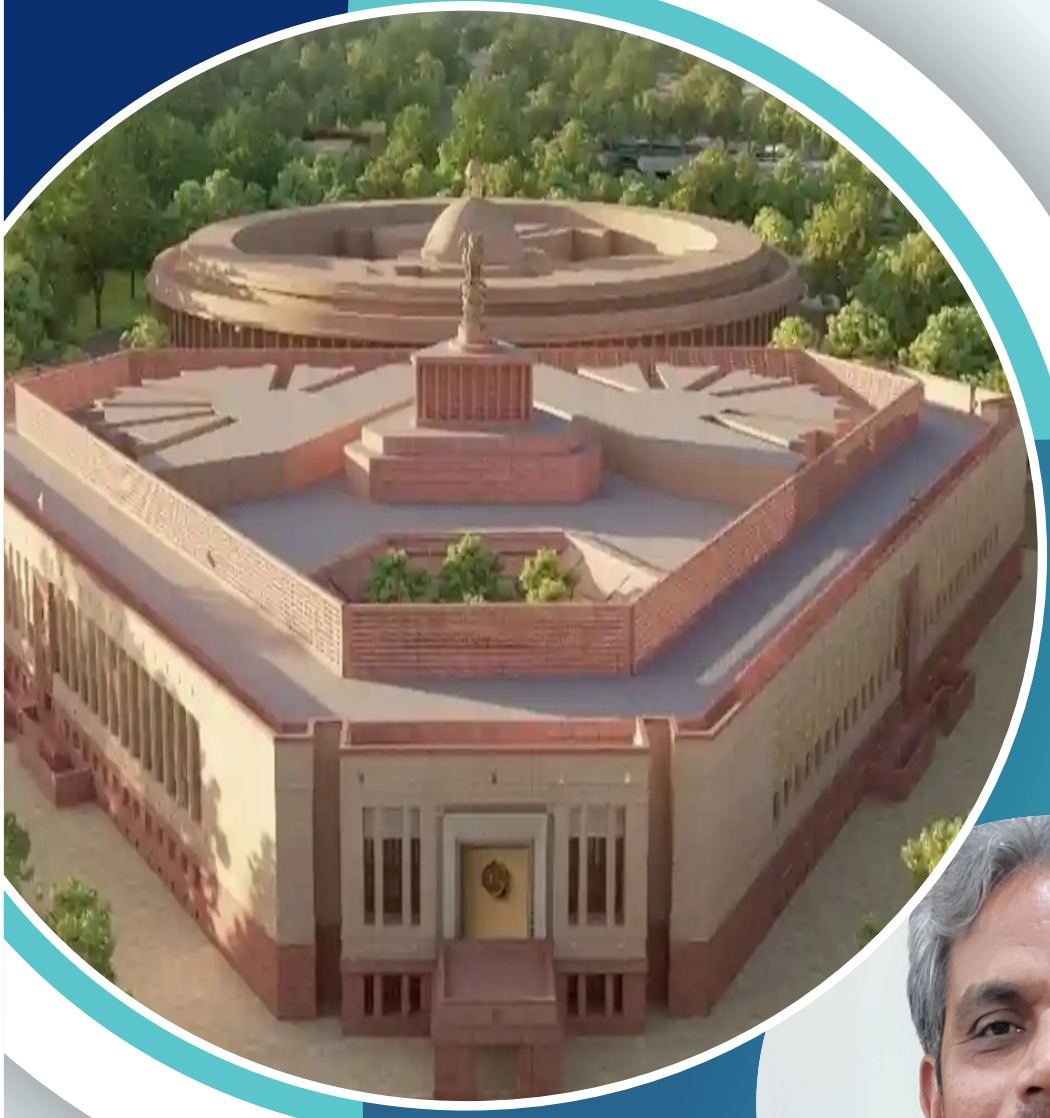

Dr. Rajesh Mishra

विषय सूची

भारतीय शासन एवं राजनीति
(Indian Government and Politics)
(I.G.P)
Part - 1

1. भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार (Historical Background of Indian Constitution)----------03-11
2. संविधान सभा (Constituent Assembly)----------12-14
3. भारतीय संविधान की विशेषताएं (Features of Indian Constitution) ----------15-18
4. संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका (Preamble of Constitution) ----------19-23
5. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)----------24-56
6. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)----------57-59
7. राज्य के नीति निदेशक तत्व/सिद्धांत (Directive Principles of State Policy, (DPSP)) ----60-66
8. संविधान का संशोधन (Amendment of Constitution)----------67-71
9. न्यायिक पुनरावलोकन/समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता (Judicial Review and Judicial Activism) ----------72-80
10. संविधान की मूल संरचना (Basic Structure of the Constitution) ----------81-85
11. राष्ट्रपति (President) ----------86-98
12. उप-राष्ट्रपति (Vice-President) ----------99-100
13. प्रधानमंत्री (Prime Minister)----------101-107
14. राज्यपाल (Governor) ----------108-117
15. मुख्यमंत्री (Chief Minister)----------118-119
16. राज्य विधानमंडल (State Legislature) ----------120-123
17. सरकार का संसदीय स्वरूप (Parliamentary form of Government)----------124-125
18. शासन का अध्यक्षीय स्वष्प (Presidential form of Government)----------126-127
19. संसद (Parliament) ----------128-154
20. संसदीय समिति (Parliamentary Committees)----------155-166
21. न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) (Judiciary, Supreme Court) ----------167-182

22. उच्च न्यायालय (High Court)----------183-193
23. अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) ----------194-204
24. स्थानीय स्तर पर शक्ति एवं वित्तीय हस्तांतरण (पंचायती राज)
(Devolution of Powers and Finances of Local Government) (Panchayati Raj)-----205-217
25. नगरपालिका (Municipality) ----------218-221
26. निर्वाचन आयोग (Election Commission) ----------222-228
27. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
(Comptroller and Auditor General of India) ----------229-232
28. वित्त आयोग (Finance Commission)----------233-236
29. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) ----------237-238
30. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Schedule Caste)----------239-240
31. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Schedule Tribes) --------241-242
32. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women's Commission) ----------243-245
33. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ----------246-250
34. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) ----------251-252
35. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes)----------253-255
36. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act)----------256-263
37. चुनाव प्रणाली/निर्वाचन पद्धति (Electoral System) ----------264-267
38. आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)----------268-272
39. संघीय शासन की संरचना (Structure of Federal Government) ----------273-276
40. केंद्र एवं राज्य संबंध (Centre-State Relations) ----------277-280
41. वित्त आयोग (Finance Commission)----------281-284
42. संघीय शासन की चुनौतियां (Challenges of Federal Government) ----------285-298
43. संघीय शासन से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Federal Government) ----------299-315
44. संघीय शासन में स्वायत्तता के विशिष्ट रूप
(Specific form of Autonomy in Federal Government) ----------316-319

9 न्यायिक पुनरावलोकन/समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता (Judicial Review and Judicial Activism)

सरकार के तीन अंग (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) होते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के सदस्य राजनीतिक दलों में विभाजित होते हैं तथा सांसद एवं मंत्रियों की निष्ठा दलों के प्रति होती है। जबकि न्यायपालिका तटस्थ एवं निष्पक्ष संस्था है, जिसके द्वारा निर्वाचित विधायिका एवं कार्यपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण बनाया जाता है, जिससे जन-भावनाओं के नाम पर विधि के शासन एवं संविधान का उल्लंघन न किया जा सके।

न्यायिक पुनरावलोकन का आधार (Basis of Judicial Review)

कुछ लोगों के मान्यतानुसार, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई सुनिश्चित आधार वर्णित नहीं है। एक लिखित संविधान के अंतर्गत् जहां सरकार के प्रत्येक अंगों पर निश्चित प्रतिबंध हों, न्यायिक पुनरावलोकन अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्ट व्यवस्था है। अमेरिका की भांति यह न्यायपालिका द्वारा निर्मित नहीं है। अनुच्छेद-13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट आधार है। उदाहरण के लिए, वर्ष-2005 में न्यायपालिका ने पाई फॉउण्डेशन वाद में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में यह निर्णय दिया, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के विशिष्ट अधिकारों को संवैधानिक माना।

न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है, जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन **के आधार निम्नलिखित हैं** -

- भारतीय संविधान लिवित है। इसलिए संसद अथवा राज्य विधान सभा के द्वारा निर्मित कोई भी विधि संविधान नामक सर्वोच्च विधि से महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संविधान की रक्षा करता है।
- संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसलिए संसदीय विधि अथवा विधान सभा द्वारा निर्मित कोई भी विधि मूल अधिकारों का अतिक्रमण न करें, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
- भारतीय संविधान संघात्मक है, जिसमें 7वीं अनुसूची के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सरकार एवं राज्य सरकारें इस शक्ति विभाजन के विचार का उल्लंघन न करें। अत: उच्चतम न्यायालय एक निष्पक्ष एंपायर की भांति काम करता है।
- संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तथा सरकार के किसी भी अंग को सर्वोच्च नहीं बनाया गया है। इसलिए सरकार के प्रत्येक अंगों पर निर्धारित प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं और इन प्रतिबंधों की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध (Ban on Judicial Review)

संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, परंतु न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पर भी प्रतिबंध आरोपित किया गया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अमेरिका में इसके द्वारा सामाजिक विधानों पर प्रतिकूल प्रभाव देवा गया। वर्ष-1930 के दशक में अमेरिका राज्य के द्वारा आरंभ किए गए अनेक कल्याणकारी प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के सामाजिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। भारतीय संविधान में न्यायपालिका पर स्पष्ट प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, **जो निम्नलिवित हैं** -

- मंत्रिपरिषद् द्वारा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायपालिका द्वारा जांच नहीं की जा सकती।

- राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम पर निर्मित या क्रियान्वित किसी विधि का परीक्षण न्यायालय इस आधार पर नहीं कर सकता कि किसी अन्य ने तो इसका निर्माण नहीं किया है।
- संसद की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
- संसद एवं विधायिका के द्वारा किए गए कार्य की या सदस्यों द्वारा प्रेषित शक्तियों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
- न्यायपालिका संसद एवं विधायिका की प्रक्रिया की वैधानिकता का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों को भी न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का भी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता।
- राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को अपनी शक्तियों एवं कार्यों के करने के संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को स्वीकार किया गया है, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं। क्योंकि न्यायपालिका की शक्तियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध आरोपित हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे

1. संसदीय विशेषाधिकार एवं प्रक्रियाओं की न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Parliamentary Privileges and Procedures)

भारतीय संविधान में और परंपराओं के द्वारा भी सांसदों और संसद को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। विशेषाधिकार का अभिप्राय, उन विशिष्ट अधिकारों से है, जो सामान्यत: आम नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद-105 के अंतर्गत् सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असीमित विशेषाधिकार है। अत: सामान्य व्यक्तियों पर वाक् व अभिव्यक्ति पर लगने वाला प्रतिबंध सांसदों पर लागू नहीं होते। विशेषाधिकार में यह भी सम्मिलित है कि संसद किसी भी व्यक्ति को सदन से निष्कासित तथा किसी भी मुद्दे को सदन की प्रक्रिया से निकाल सकती है। व्यक्ति के मूल अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने पर न्यायपालिका के द्वारा विवाद का समाधान किया गया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भी सांसदों के विशेषाधिकार का पूर्ण निर्धारण (संहिताकरण) नहीं हुआ है। अत: विशेषाधिकार को निर्धारित करने की शक्ति स्वयं संसद के पास ही है। सर्चलाइट वाद में न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी। तकनीकी रूप में अनुच्छेद-19(A) की तुलना में अनुच्छेद-105 और 194 ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।

केशव सिंह वाद के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत् निर्णय दिया। जिसके अनुसार संसदीय विशेषाधिकारों के नाम पर जीवन का अधिकार, अपराधों के संबंध में संरक्षण का अधिकार और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका ऐसे व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए रिट जारी करती है कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन केशव सिंह वाद में भी सर्चलाइट के उस निर्णय को स्वीकार किया गया, जिसके अंतर्गत् व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में संसदीय विशेषाधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। संसदीय विशेषाधिकारों एवं न्यायिक पुनरावलोकन के मध्य विवाद में न्यायपालिका ने नरसिंह राव केस में नरसिंह राव को संसद के अंतर्गत् कार्रवाई के आधार पर बरी कर दिया। आलोचकों के अनुसार क्या संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर भ्रष्टाचार के अधिकार दिए जा सकते हैं?

किहोतो होलोहॉन वाद, 1992 में न्यायपालिका ने तो यहां तक कह दिया कि स्पीकर द्वारा दिए गए दल-बदल निर्णय का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, क्योंकि स्पीकर की भूमिका अर्द्ध-न्यायिक होती है। झारखण्ड विधान सभा के मामले में तो न्यायपालिका ने विश्वास मत प्राप्त करने की तिथि और प्रक्रिया का भी निर्धारण कर दिया। इसे संसदीय विशेषाधिकारों का घोर उल्लंघन कहा गया, क्योंकि विश्वास मत प्राप्त करने की तिथि और प्रक्रिया के निर्धारण का अधिकार सदन को है। इस संबंध में संविधान ने संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान की है। ठीक इसी प्रकार ग्यारह सांसदों की बर्खास्तगी (दिसंबर, 2005) के मामले में जब न्यायपालिका ने लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को नोटिस जारी किया, तो सोमनाथ चटर्जी ने पूरे देश के स्पीकरों का सम्मेलन बुलाया तथा उन्होंने यह तर्क दिया कि सांसदों के निष्कासन का अधिकार स्पीकर और सदन को है और इस संबंध में न्यायपालिका सदन को कोई आदेश नहीं दे सकती।

न्यायपालिका के अनुसार, 'न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायपालिका को वंचित नहीं किया जा सकता। यद्यपि न्यायपालिका ने भी यह माना कि सांसदों के निष्कासन का अधिकार संसद को है, लेकिन न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है।'

2. सामान्य विधानों और अध्यादेशों की न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of General Legislation and Ordinances)

सामान्य विधानों और अध्यादेशों के न्यायिक पुनरावलोकन पर कोई विवाद नहीं है। यहां यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि विधि और अध्यादेश का अभिप्राय समान रूप में लिया जाता है। सामान्य विधियों और अध्यादेशों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। यदि इससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो या विधि का निर्माण 7वीं अनुसूची में उल्लिखित विधायी शक्तियों के अनुरूप न किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि संघ सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण किया जा रहा है, तो न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है। ठीक इसी प्रकार अध्यादेशों का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। यदि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों या अध्यादेश में 7वीं अनुसूची के विधायी शक्तियों के विभाजन का पालन न किया गया हो।

3. संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Constitutional Amendments)

भारतीय लोकतंत्र के आरंभिक वर्षों से ही न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, पहले संविधान संशोधन से नौवीं अनुसूची का निर्माण करके उस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि 50 और 60 के दशक में संसद में कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान किया गया, लेकिन सामाजिक हित में कुछ विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने का प्रयास किया गया। इन वर्षों में संसद ने अनेक सामाजिक विधियों का निर्माण किया। एक ओर, संसद ने संविधान का संशोधन किया, तो वहीं दूसरी ओर, न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया। इसलिए यह विवाद का बिंदु नहीं था कि क्या संवैधानिक संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? लेकिन 25वें संविधान संशोधन, 1971 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया तथा इसके पहले 24वें संविधान संशोधन, 1971 से संविधान संशोधनों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने का प्रयास किया, लेकिन न्यायपालिका ने इस प्रयास को अवैध करार दिया। उदाहरण के लिए, केशवानंद भारती वाद में न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। सरकार ने पुनः 39वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के चुनाव को पुनरावलोकन से बाहर रखा, लेकिन न्यायपालिका ने इसे इंदिरा बनाम् राज नारायण वाद में अवैध घोषित कर दिया, तो सरकार ने पुनः 42वां सविधान संशोधन, 1976 करते हुए अनुच्छेद-368(4)(5) का निर्माण किया तथा संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखने की व्यवस्था की। मिनर्वा मिल्स वाद में न्यायपालिका ने पुनः इसे अवैध घोषित किया। इसलिए निष्कर्षतः संविधान संशोधनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। वर्ष-2015 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अतः संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन प्रभावी रूप में विद्यमान है।

4. नौवीं अनुसूची का पुनरावलोकन (Review of the 9th Schedule)

पहले संविधान संशोधन के द्वारा नौवीं अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार अधिनियम को संरक्षित किया गया तथा इसे न्यायिक पुनरावलोकन से भी बाहर रखा गया है। परंतु वर्ष-1969 के केशवानंद भारती वाद के बाद नौवीं अनुसूची का प्रयोग आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के लिए होने लगा और नौवीं अनुसूची में आरक्षण, निवारक नजरबंदी से संबंधित विधियां शामिल की गई, जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था। परिणामस्वरुप वर्ष-2006 में 9 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नौवीं अनुसूची का भी न्यायिक पुनरावलोकन होगा। आई. आर. कोइलहो वाद में (I. R. Coelho Case) उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्ष-1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विषय जिनसे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता हो, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होंगे।

5. राज्यपाल की शक्ति का पुनरावलोकन (Review of the Power of the Governor)

वर्तमान में अनुच्छेद-356 भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है और एस. आर. बोम्मई वाद, 1994 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। वर्ष-2018 में कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कर्नाटक विधान सभा के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया तथा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को 15 दिन की अवधि के भीतर विश्वासमत सिद्ध करने का निर्देश दिया गया, परंतु न्यायालय ने मुख्यमंत्री को अगले 24 घंटे के भीतर अपना विश्वास सिद्ध करने का निर्देश दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान में संविधान का कोई भी प्रावधान पुनरावलोकन के बाहर नहीं है।

न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है, जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के किए गए कार्यों की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान में शासन के प्रत्येक अंगों पर निश्चित प्रतिबंध आरोपित हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद-13(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता, जो मूल अधिकारों को कम करते या छीनते हों। परिणामस्वरूप न्यायपालिका ने सरकार के अनेक विधियों और अध्यादेशों को अवैध घोषित कर दिया। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और इस शक्ति विभाजन के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन का प्रबंध किया गया है।

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)

न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाए, तो इसे 'न्यायिक सक्रियता' कहा जाता है। न्यायपालिका का मूल कार्य सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य विद्यमान विवादों का समाधान करना तथा इसके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है और संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण न्यायपालिका के मूल कार्य हैं।

मूल अधिकारों की व्यापक व्याख्या (Comprehensive Explanation of Fundamental Rights)

परंपरागत रूप में न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, जबकि मेनका गांधी वाद (1976) में न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया, जो न्यायपालिका के कार्य प्रणाली में एक बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। आरंभिक रूप में न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की गई, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की उदारवादी व्याख्या की जा रही है और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार को एक-दूसरे का पूरक माना गया है तथा जीवन के अधिकार में आजीविका, शिक्षा तथा गोपनीयता जैसे अधिकारों को भी शामिल कर लिए गए हैं।

आधारभूत ढांचे का सिद्धांत (Theory of Basic Structure)

आरंभ में संसद के द्वारा सामाजिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, जिसके लिए संसद ने संविधान में अनेक संशोधन किए तथा न्यायपालिका के द्वारा इन संशोधनों का सम्मान किया गया और इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया गया। परंतु वर्ष-1973 में केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिससे न्यायपालिका ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया और कहा कि संसद मूलभूत ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। जबकि मूलभूत ढांचे का निर्धारण न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा।

कॉलेजियम का निर्माण (Build of Collegium)

संविधान लागू होने के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, परंतु गठबंधन सरकारों के युग में न्यायपालिका ने अपनी शक्तियों में निर्णायक वृद्धि की। वर्ष-1993 के जजेज वाद में न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्राथमिकता को स्वीकार किया, जिससे भारत में न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करने लगे। अतः भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बन गई।

न्यायिक विधान (Judicial Legislation)

वर्ष-2013 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। लिलि थॉमस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के खण्ड-4 को अवैधानिक करार दिया गया, जिससे वे सांसद जिन्हें न्यायपालिका के द्वारा 2 वर्ष या इससे ज्यादा की सजा प्राप्त हुई थी, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने जन चौकीदार वाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि वे उम्मीदवार जो हिरासत में रखे गए हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। यद्यपि संसद के द्वारा विधि का निर्माण करके इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया। पी. यू. सी. एल. वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मतदाताओं को चुनाव में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने का अधिकार है, जिसे लोकप्रिय रूप में 'नोटा' कहा जाता है।

प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

वर्ष-2013 में टी. एस. आर. सुब्रमणियम वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल सेवा में सुधार के लिए सरकार को निर्देश दिया गया और न्यायपालिका ने कहा कि सिविल सेवकों के कार्यकाल को स्थायी बनाना होगा तथा उनके स्थानांतरण और प्रोन्नति के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया तथा सिविल सेवकों की नियुक्ति को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने का निर्देश दिया। अत: न्यायपालिका के इस परिवर्तित दृष्टिकोण को आलोचकों ने 'सक्रियता' का नाम दिया।

कार्यपालिका का दृष्टिकोण (Approach of the Executive)

लोकतंत्र में सरकार के किसी भी अंग को असीमित शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान में ही शासन के प्रत्येक अंगों पर प्रतिबंध है। कार्यपालिका या विधायिका के अनुसार, वस्तुत: न्यायाधीश जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, इसलिए सामाजिक न्याय का मूल दायित्व संसद का है, न्यायपालिका का नहीं। न्यायपालिका तो विवादों के समाधान की एक संस्था है, जिसका कार्य द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं। न्यायपालिका का मूल अभिप्राय, विधायिका के द्वारा निर्मित विधि एवं कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई नीतियों का परीक्षण करना है न कि उसके लिए निर्देश देना। संविधान में शासन के प्रत्येक अंगों के कार्य निर्धारित हैं। इसलिए न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका को आदेश नहीं दे सकती। वस्तुत: इनका यह भी तर्क है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों का ज्ञान न्यायपालिका के पास नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में न्यायपालिका सरकार को निर्देश नहीं दे सकती।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण (Judiciary's Approach)

भारतीय लोकतंत्र में 1990 के दशक में अनेक समस्याएं उत्पन्न हुईं तथा भ्रष्टाचार असीमित हो गया और राजनीतिक अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। गठबंधन सरकारों के दौर में सत्ता और शक्ति की प्राप्ति के लिए विधि और संविधान की खुली अवहेलना की गई। परिणामस्वरूप न्यायालय ने विधि, प्रशासन एवं संविधान की रक्षा का प्रयास किया। यद्यपि न्यायालय केवल विवादों के समाधान की संस्था नहीं है, बल्कि इसका कार्य सामाजिक न्याय का संपादन करना भी है। न्यायपालिका के अनुसार, संविधान की व्याख्या इसका मूल कार्य है। परंतु संविधान की व्याख्या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए। यह सत्य है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की गई है। संविधान निर्माताओं ने संसद को प्राथमिक बनाने का प्रयत्न भी किया है, लेकिन जन-प्रतिनिधि के नाम पर भ्रष्टाचार और गैर-संवैधानिक कार्य करने की अनुमति किसी को भी नहीं हो सकती। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार अपराधीकरण बढ़ा है, तो उस परिस्थिति में संसदीय शासन के नाम पर न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यदि न्यायिक सर्वोच्चता की संकल्पना स्वीकार नहीं की जा सकती, तो संसदीय सर्वोच्चता की मान्यता भी स्वीकार करना कठिन है। इसलिए व्यवहार में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता आवश्यक है। जबकि जन-प्रतिनिधियों को संविधान निर्माताओं के आदर्शों को ध्यान में रखना होगा।

न्यायिक अतिसक्रियता (Judicial Hyperactivity)

संविधान में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार है और न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टिकोण अपना सकती है, परंतु नीति-निर्माण का कार्य पूर्णत: कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार का विषय है, जिस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को नीति-निर्माण संबंधी आदेश देना ही 'न्यायिक अतिसक्रियता' है। न्यायपालिका ने बी. सी. सी. आई. के प्रमुख के रूप में सुनील गावस्कर की नियुक्ति, गेहूं को गरीबों में मुफ्त बांटने का आदेश, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति को रद्द करना, काले धन हेतु सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम के सदस्यों पर न्यायपालिका ने आपत्ति उठाई तथा 2G-स्पेक्ट्रम मामले की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं की गई। कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीश ही कर रहे हैं। अत: न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की प्राथमिकता समाप्त हो गई है। वर्ष-2016 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सरकार को 'सूखा राहत कोष' स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया तथा इसी वर्ष दिल्ली में प्रदूषण को कम

करने के लिए भारी वाहनों पर पर्यावरणीय कर लागू करने का निर्देश दिया गया। आलोचकों के अनुसार, न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)

न्यायिक सक्रियता एक विवादास्पद विचार है, क्योंकि न्यायपालिका स्वयं को सक्रिय नहीं मानती। जबकि कार्यपालिका उसे सक्रिय मानती है। संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका के मध्य सामंजस्य स्थापित किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप में यदि सरकार के तीनों अंगों के मध्य सामंजस्य नहीं होगा, तो प्रशासन का कार्य प्रभावी नहीं हो सकता। क्योंकि न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व कार्यपालिका का है। यदि कार्यपालिका उन निर्णयों को लागू न करे, तो व्यवहार में वे निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता सामंजस्य की है, संघर्ष की नहीं। यद्यपि न्यायपालिका ने बाल्को विनिवेश केस में स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण का अधिकार सरकार को है, न्यायपालिका को नहीं। एन.सी.ई.आर.टी. केस में न्यायपालिका ने पुनः यह दोहराया कि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने का अधिकार सरकार को है, न्यायपालिका को नहीं।

जनहित याचिका (Public Interest Litigation, (PIL))

वर्ष-1980 के दशक से न्यायपालिका के द्वारा जनहित याचिका का प्रतिपादन किया गया। न्यायपालिका ने नागरिकों के मूल अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया तथा वंचित एवं गरीब लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय प्रयास किया। अतः पुलिस को बर्बरता, अमानवीय यातना, बंदीगृह में मृत्यु व बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए न्यायालयों ने कड़े निर्देश जारी किए तथा न्यायपालिका ने पर्यावरण को शुद्ध रखने पर भी बल दिया। 90 के दशक में न्यायिक सक्रियता का विवाद उस समय और अधिक प्रभावी हुआ, जब गठबंधन सरकार के युग में मंत्रिमण्डलीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आए। इसी दौरान अनेक सामाजिक संगठनों के द्वारा जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की गईं, जिसमें बड़े बांधों का मुद्दा, बच्चों व बंधुआ मजदूरों का मामला एवं एम. सी. मेहता ने पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित मामले उठाए। एच. बी. शौरी ने नागरिक समाज के हित में अनेक जनहित याचिकाएं दाखिल की। ताजमहल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 212 उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया। वर्ष-1996-97 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली से औद्योगिक इकाईयों को भी बाहर करने का आदेश दिया, क्योंकि ये इकाईयां घनी आबादी में कार्यरत थीं। वर्ष-2000 में उच्चतम न्यायालय ने यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए।

उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण वाद में निर्णय देते हुए सी. बी. आई. (C.B.I.) की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का समर्थन किया। इसी समय हवाला कांड भी प्रकाश में आया, जिसमें न्यायपालिका ने सरकार को यह निर्देश दिया कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट सीधे न्यायपालिका को भेजी जाए। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने यह कहा कि तटस्थता के लिए यह आवश्यक था कि सी. बी. आई. न्यायपालिका को रिपोर्ट करे, प्रधानमंत्री को नहीं। इसका सीधा अभिप्राय हुआ कि सी. बी. आई. को नियंत्रित करने का अधिकार कार्यपालिका के हाथ में नहीं रहा। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप कार्यपालिका बनाम् न्यायपालिका की बहस और प्रभावी हुई। लोक सभा स्पीकर पी. ए. संगमा ने कहा कि न्यायपालिका के कार्य खतरनाक हैं, क्योंकि ये विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके न्यायाधीश लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

अर्थ (Meaning)

ऐसी याचिका, जो समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए और यह किसी व्यक्ति के लिए भी प्रस्तुत की जा सकती है, यदि समूह के अधिकार उससे जुड़े हों। जैसे-महिला समूह, बच्चे व कैदी इत्यादि। जनहित याचिका परंपरागत अदालती याचिकाओं से भिन्न होती हैं, क्योंकि यह विवाद सुलझाने का माध्यम न होकर, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए है। इसीलिए जनहित याचिका को 'सामाजिक हित याचिका' के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसमें सामाजिक कल्याण की भावना का समावेश होता है।

जनहित का आशय, समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका प्रदान करना है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वही व्यक्ति न्यायपालिका पहुंचे, अपितु कोई तीसरा व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्त्ता भी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में जा सकता है। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर तथा पी. एन. भगवती के अनुसार, 'न्याय मूलतः सामाजिक होता है तथा न्यायपालिका भी सामाजिक न्याय प्रदान

करने का महत्वपूर्ण अंग है।' न्यायपालिका ने पोस्ट कॉर्ड को रिट के रूप में स्वीकार किया। वर्ष-1982 के एस. पी. गुप्ता बनाम् भारत संघवाद (जजेज केस) में न्यायपालिका ने जनहित याचिका को औपचारिक मान्यता प्रदान की तथा इसके प्रयोग का विकसित मानदण्ड भी निर्धारित किया। न्यायपालिका ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन करते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए पहल किया। एक पूर्व न्यायाधीश के अनुसार, जनहित याचिका का आशय, लोगों को चौपाल पर न्याय प्रदान करना है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा के अनुसार, 'जनहित याचिका त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने का साधन है।'

विशेषताएं (Characteristics)

जनहित याचिका की विशेषताएं **निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती हैं** -

- इसमें न्याय व्यक्ति विशेष के हित में न होकर, समूह के हित में दिया जाता है।
- इसमें जटिल औपचारिक क्रियाओं का अभाव होता है।
- जनहित याचिका के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई।
- जनहित याचिका में प्रक्रिया के बजाए, न्याय को प्राथमिकता दिया गया।
- जनहित याचिका के द्वारा वादी के पक्ष में कोई तीसरा या अन्य व्यक्ति रिट दायर कर सकता है।
- न्यायपालिका, वादी की सहायता करती है तथा इसके अंतर्गत् तथ्य इकट्ठा करने में न्यायपालिका ने जांच आयोग की स्थापना भी की।

चरण (Stage)

प्रथम चरण (First Stage)

जनहित याचिका के प्रयोग के पहले चरण में समूह के अधिकारों की रक्षा का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए, एशियाड वर्कर्स केस में न्यायपालिका ने कम मजदूरी दिए जाने को जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना, जबकि बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद में न्यायपालिका ने बालश्रम को रोकने का निर्देश दिया।

द्वितीय चरण (Second Stage)

जनहित याचिका के द्वितीय चरण में पर्यावरण की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर हुई, जिसमें एम. सी. मेहता और भारत संघवाद ने ताजमहल पर तथा दिल्ली में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन में सी. एन. जी. प्रयोग करने का अदालत ने निर्देश दिया। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि दिल्ली से औद्योगिक प्रदूषणकारी कारखानों को भी बाहर किया जाए।

तृतीय चरण (Third Stage)

जनहित याचिका के तीसरे चरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक जनहित याचिकाएं दायर हुईं, जिसमें हवाला घोटाला, यूरिया घोटाला एवं चारा घोटाला जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका ने सरकार को निर्देश दिया। विनीत नारायण वाद में न्यायपालिका ने तो यहां तक कहा कि सी. बी. आई. सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, न कि प्रधानमंत्री को। वर्ष-2002 में पी. यू. सी. एल. (PUCL) वाद में जन-प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 2002 के संबंध में न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय देनदारी एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।

जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने अपने कार्यों में विस्तार किया। आलोचकों के अनुसार न्यायालय, न्यायिक मुकद्दमों के कार्य से बढ़कर अतिरिक्त रूप में सक्रिय हो रही है। अत: जनहित याचिका के द्वारा न्यायिक सक्रियता का विवाद और गहरा हुआ। न्यायपालिका ने जनहित याचिका के द्वारा अपने **कार्यों का निम्नलिखित रूपों में विस्तार किया**-

- मूल अधिकारों का विस्तार। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद-21 की व्याख्या अत्यधिक व्यापक रूप में की गई तथा जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार एवं अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित किया गया।
- न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या अंतर्संबंधित रूप में की गई तथा मूल अधिकार और निदेशक तत्वों को पूरक माना गया।

- उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों की जांच के लिए आयोगों का गठन किया। उदाहरण के लिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद में न्यायालय ने एक आयोग का गठन किया।
- सरकार को समय-समय पर विभिन्न निर्देश दिए गए।
- सरकार को विभिन्न नीतियों को बनाने का सुझाव देना।

आलोचना (Criticism)

जनहित याचिका को लेकर विधायिका और न्यायालय के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। आलोचकों के अनुसार, यह जनहित याचिका नहीं, अपितु प्रचारहित याचिका है तथा न्यायालय ज्यादा से ज्यादा विषयों में हस्तक्षेप प्रचार पाने के लिए कर रहा है। कुछ लोग जनहित याचिका का प्रयोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विद्वेष के कारण भी करते हैं। अत: आलोचकों ने इसे पैसाहित याचिका भी कहा। मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत जैसे देश में कितने लोगों को पत्रों के माध्यम से न्याय दिलाया जा सकता है, जबकि न्यायपालिका में पहले से ही लंबित मामले पड़े हैं। अत: जनहित याचिका के प्रयोग के साथ-साथ इसके दुरुपयोग को भी रोकने की आवश्यकता है। जनहित याचिका का प्रयोग उपयुक्त और विशिष्ट मामलों में ही होना चाहिए, सभी मामलों में नहीं।

सामाजिक न्यायपीठ (Social Court)

3 दिसंबर, 2014 को उच्चतम न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सामाजिक न्यायपीठ गठित करने का निर्णय लिया। यह पीठ 12 दिसंबर से प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से सामाजिक समस्याओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सामाजिक न्यायपीठ की जिम्मेदारी न्यायाधीश मदन बी. लोकुर तथा न्यायाधीश यू. यू. ललित को सौंपी गई है।

उद्देश्य (Objective)

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, सामाजिक न्यायपीठ के गठन के **निम्नलिखित उद्देश्य हैं** -

- यह पीठ खासकर महिलाओं, बच्चों एवं वंचित वर्गों से जुड़े सामाजिक मामलों का तेजी से निपटारा करेगी।
- संविधान में उल्लिखित अधिकारों को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना।
- भारतीय संविधान के आदर्शों में शामिल सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए इस पीठ का गठन किया गया है।

सामाजिक समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे (Major Issues Related to Social Problems)

उच्चतम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से **निम्नलिखित सामाजिक मुद्दों का उल्लेख किया गया** -

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई रूपरेखा तैयार करना, जिससे गोदामों में पड़े अनाज को गरीबों एवं अकाल प्रभावित क्षेत्रों में वितरण किया जा सके।
- पौष्टिक आहार के अभाव के कारण महिलाओं एवं बच्चों की होने वाली अकाल मौत से रोकना।
- नि:सहाय तथा बेघर लोगों के लिए आश्रय गृह एवं पेयजल की सुविधा संबंधी मामले।
- सभी नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना चाहे उनकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो?
- सामाजिक पीठ के दायरे में देह व्यापार से संबंधित महिलाओं के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

भारतीय शासन
एवं
राजनीति
(I.G.P)
PART - 2

Dr. Rajesh Mishra

विषय सूची

भारतीय शासन एवं राजनीति

(Indian Government and Politics)

(I.G.P)

Part - II

1. भारतीय राष्ट्रवाद (Indian Nationalism) 03–13
2. भारत के संविधान का निर्माण (Making of the Indian Constitution) 14–17
3. योजना एवं आर्थिक विकास (Planning & Economic Development) 18–41
4. भारतीय राजनीति में जाति, धर्म एवं नृजातीयता (Caste, Religion & Ethnicity in Indian Politics) 42–53
5. राजनीतिक दल/दल प्रणाली (Political Party/Party System)..... 54–82
6. सामाजिक आंदोलन (Social Movements) 83–93

An Institute For Civil Services

दलीय प्रणाली
(Party System)

रजनी कोठारी का तर्क है कि राजनीतिक दल के प्रभावी होने में एवं उसके पतन में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है –

1. दल का संगठन
2. दल की विचारधारा
3. सामाजिक आधार

- फिलहाल बीजेपी के द्वारा हिन्दुत्व और विकास की दो समानांतर विचारधारा का प्रयोग किया जा रहा है। (क्रिस्टोफ जेफ्रलॉट) इसलिए हिन्दुत्व की विचारधारा के लिए राम मन्दिर का निर्माण किया गया है।
- रुडोल्फ और रुडोल्फ का मानना है कि लोकसभा में बहुमत की प्राप्ति के लिए हिन्दी हार्टलैंड पर नियंत्रण होना आवश्यक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश को शामिल किया गया है।
- 1990 के दशक से कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ तथा हिन्दी हार्टलैंड के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अभी भी हाशिये पर है जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अंत:कलह बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी भी कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह के बीच पार्टी में प्रभाव को लेकर खीच-तान बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी में प्रभुत्व को लेकर संघर्ष बना हुआ है।

क्षेत्र	प्रभाव
उत्तर भारत (हिन्दी हार्टलैंड)	बीजेपी
दक्षिण भारत	कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके (क्षेत्रीय दल)
पश्चिम भारत	महाराष्ट्र – कांग्रेस एवं शिवसेना
उत्तरी भारत	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली – आम आदमी पार्टी
	हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश – बीजेपी
उत्तर-पूर्व भारत	असम, उड़ीसा, मणिपुर – बीजेपी
	पश्चिम बंगाल – टीएमसी

हिन्दी हार्टलैंड में क्षेत्रीय दलों का घटता प्रभाव:

- योगेन्द्र यादव ने तर्क दिया कि 1990 के दशक में मंडल आंदोलन के बाद, जिसे उन्होंने लोकतंत्र का दूसरा उभार (Second Upsurge) कहा, कांग्रेस का हिंदी हार्टलैंड में पतन हुआ क्योंकि कांग्रेस अपने संगठन में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे पाई।
- एक समय में कांग्रेस पार्टी को Catch all party या 'इंद्रधनुषीय गठबंधन' कहा जाता था, लेकिन अब कांग्रेस का सामाजिक आधार खिसक गया है क्योंकि ऊंची जातियों ने बीजेपी को समर्थन दिया तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों ने बसपा के पक्ष में वोट किया जबकि पिछड़ी जातियों ने समाजवादी तथा आरजेडी के पक्ष में वोट किया। लेकिन बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का विस्तार करते हुए अत्यधिक पिछड़ी जातियों को अपने दल में प्रभावी महत्व दिया।
- सोशल इंजीनियरिंग का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय (आदिवासी उप-मुख्यमंत्री), मध्यप्रदेश में मोहन लाल यादव, उत्तर प्रदेश में केशवप्रसाद मौर्या तथा बिहार में सम्राट चौधरी को दल में प्रमुख स्थान दिया गया और दौपदी मुर्मू के रूप में जनजातिय समुदाय की महिला को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने जनजातिय समुदाय को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया और इस सोशल इंजीनियरिंग के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों का विस्तार घटा, जिसका लाभ बीजेपी को मिला।

नेतृत्व की भूमिका

- नेहरू व इंदिरा गांधी के प्रभावी नेतृत्व का लाभ कांग्रेस को मिला, जो इस समय कांग्रेस के पास उपलब्ध नहीं है। पॉल ब्रास ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी भी वंशवादी राजनीति (Dynastic politics) का प्रभाव है।
- यह संयोग का विषय है कि पॉल ब्रास ने जो टिप्पणी कांग्रेस के लिए की थी उससे आज सभी क्षेत्रीय दल पीड़ित हैं। तेलंगाना में बीआरएस, बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) एवं एनसीपी आदि परिवार के आधार पर चलने वाले दल हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि भारतीय राजनीति व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द घूमती है।
- इंदिरा गाँधी के द्वारा कांग्रेस के चुनाव को व्यक्तिगत करिश्मे के आधार पर लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस का संगठन क्षतिग्रस्त हो गया। रजनी कोठारी ने कहा कि 'जो दल व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित होते हैं और व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द घूमते हैं, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् स्वभाविक रूप में समाप्त हो जाते हैं।'
- दूसरी ओर बीजेपी ने एक प्रभावी संगठन का निर्माण कर लिया है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में प्रभावी रूप से दिखा। इंडिया टुडे द्वारा किए गए सर्वे में यह पाया गया कि भारत के 54% नागरिकों ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता दी जबकि राहुल गांधी को 14% लोगों ने पसंद किया।
- भारतीय दलीय प्रणाली के लिए कहा जाता है कि यहां दल है लेकिन दलीय प्रणाली नहीं है। अमेरिका व आस्ट्रेलिया जैसे देशों में सैकड़ों वर्ष से द्विदलीय प्रणाली विद्यमान है तथा स्कैंडिनेवियाई देशों में बहुदलीय प्रणाली विद्यमान है जबकि भारतीय दलीय प्रणाली में निरंतर परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व की व्यवस्था क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के रूप में परिवर्तित होने लगे, जहां इसका क्षेत्रीयकरण हो गया (एम.पी.सिंह) और दलीय प्रणाली संघात्मक हो गयी।
- वर्ष 1989 के बाद भारत मे ऐसी दलीय व्यवस्था प्रारंभ हुई जो न तो एकदलीय प्रभुत्व की व्यवस्था थी, जो भारत में पहले था और न ही द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था थी, जो पश्चिमी देशों में विद्यमान है। क्योंकि एक दल के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों के एकीकरण से ही यूपीए और एनडीए प्रणाली का विकास हुआ जो स्वयं में एक विशिष्ट प्रयोग है।
- वर्ष 2014 के बाद भारत में पुन: एकदलीय प्रणाली का विकास हुआ (सुहास पालिस्कर) लेकिन नेहरु के दौर की आम सहमति में बडा बदलाव हुआ क्योकि बीजेपी द्वारा हिन्दुत्व की नीतियों पर प्रभावी बल दिया जा रहा है।
- 1990 के दशक में भारतीय राजनीति का झुकाव जाति की ओर हो गया जो आज हिन्दुत्व व विकास के इर्द-गिर्द घूम रही है।
- वर्ष 1996 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अनेक राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं किया क्योकि बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया गया जबकि वर्तमान चुनाव में पंथनिरपेक्षता व सांप्रदायिकता का मुद्दा ही गौण हो गया क्योंकि प्रत्येक दल सॉफ्ट हिन्दुत्व की नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं।

बीजेपी का अखिल भारतीय प्रसार

- प्रो. जोया हसन का मानना है कि बीजेपी मूलत: उत्तर भारतीय दल है जिसका प्रभाव केवल हिन्दी हार्टलैंड में है क्योंकि सांप्रदायिक विभाजन का ज्यादा प्रभाव इसी क्षेत्र में देखा जाता है।
- वर्ष 1998 में लिखते हुए डगलस वर्नीज ने कहा कि भारत में केवल कांग्रेस ही वास्तविक रूप में अखिल भारतीय दल है।
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा बंगाल एवं उड़ीसा में बीजेपी के प्रर्दशन से इसे वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है और कर्नाटक में चुनावी जीत के साथ बीजेपी दक्षिण भारतीय प्रवेश द्वार को जीत लिया। साथ ही, 2024 के लोकसभा चुनाव में केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का उदय हो गया।
- भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में नेहरु-गांधी परिवार जैसा प्रभाव किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा, लेकिन नरेन्द्र मोदी इसके अपवाद हैं जिसके नेतृत्व का अखिल भारतीय प्रभाव है।

- सीएसडीएस के आंकड़े के अनुसार, 2014 के पूर्व बीजेपी को पिछड़ी जातियों के लगभग 22% वोट प्राप्त होते थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 45% हो गया।

विचारधारा और राजनीतिक दल

- राजनीतिक दल का विश्लेषण करने वाले ज्यादातर विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक दल सत्ता के लिए कार्य करते हैं विचारधारा के लिए नहीं। एडमण्ड बर्क ने राजनीतिक दलों की परिभाषा देते हुए कहा कि यह व्यक्तियों का ऐसा संगठित समूह है जो राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। लेकिन यह परिभाषा वर्तमान विश्व में प्रासंगिक नहीं है, इसलिए रजनी कोठारी, पॉल ब्रास, रिकर जैसे विद्वान यह मानते हैं कि भारत में राजनीतिक दल विचारधारा के लिए कार्य नहीं करते।

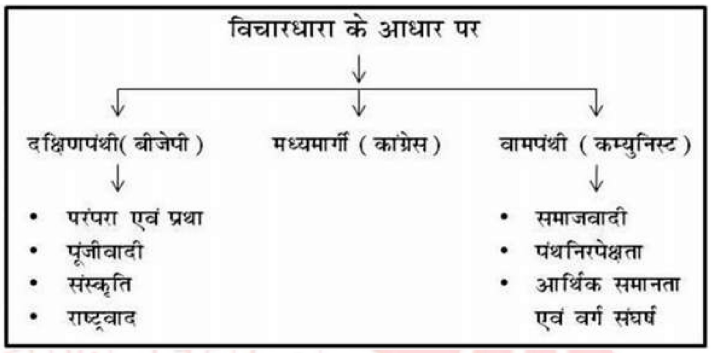

- वर्ष 1991 के बाद उदारीकरण और निजीकरण के दौर में यह मान्यता ज्यादा प्रासंगिक हो गयी कि दलों के बीच कोई वैचारिक अंतर नहीं है क्योंकि साम्यवादी दलों के द्वारा उदारीकरण की नीति अपना ली गयी। रजनी कोठारी ने तो यहां तक कहा कि जो कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, वह तत्काल मध्यमार्गी विचारधारा अपना लेता है। रिकर ने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है। उदाहरण के लिए, 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए वामपंथी और दक्षिणपंथी एकसाथ आ गये। यह दिलचस्प मुददा है कि वर्तमान में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 'इंडिया' गठबंधन का निर्माण हुआ है जिसमें दलों के बीच कोई वैचारिक समानता नहीं है।
- एक राजनीतिक दल के द्वारा भी समय के साथ विचारधारा को परिवर्तित कर दिया जाता है। कांग्रेस की विचारधारा समाजवाद पर आधारित थी, जिसे बाद में बाजारवाद अपनाना पड़ा। 1991 के बाद बीजेपी ने स्वदेशी को अपनाया जबकि वर्तमान में बीजेपी ने भी उदारीकरण का अनुसरण किया। बीजेपी की आरंभिक विचारधारा राष्ट्रवाद और समाजवाद के समन्वय पर आधारित थी जिसे 1986 के बाद हिन्दुत्व की नीति में परिवर्तित कर दिया गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में सुशासन, विकास व भ्रष्टाचार को मूल मुद्दा बनाया गया।

व्यक्तित्व और राजनीतिक दल

- राजनीतिक दल निम्नलिखित मूल आधार पर विद्यमान होते हैं- दल का संगठन, विचारधारा एवं नेतृत्व।
- मॉरिस डुवर्गर ने चुनाव प्रणाली और दलीय प्रणाली के बीच एक दिलचस्प संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि जहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (First Past the Post System) का प्रभाव होता है वहां सामान्यत: दो दलों की व्यवस्था निर्मित होती है और जहां लिस्ट सिस्टम (List System) का प्रयोग होता है वहाँ स्वभाविक रूप में बहुदलीय प्रणाली विद्यमान होती है। परन्तु भारत एक अनोखा उदहारण है जहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बाद भी गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है क्योंकि भारत में क्षेत्रीय विविधता विद्यमान है।
- विगत 75 वर्षों के लोकतांत्रिक प्रणाली को देखने से प्रतीत होता है कि राजनीतिक दल व्यक्ति केन्द्रित रहे हैं क्योंकि व्यक्ति विशेष के द्वारा राजनीतिक दलों का निर्माण होता है और दल उन्हीं के ईद-गिर्द घूमता है। यद्यपि सुहास पालिस्कर का मानना है कि व्यक्तित्व की प्रधानता या व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के मूल आधार के ही प्रतिकूल है। भारतीय मूल में व्यक्ति पूजा के कारण अनेक विरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो जाता है।

- भारत में आज भी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने चंदे का हिसाब-किताब पारदर्शी ढंग से नहीं रखा जाता जो जवाबदेहिता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- एक ओर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है तो दूसरी ओर नेताओं के दल-बदल से यह प्रदर्शित होता है कि दलों के अंदर नेताओं के बीच वैचारिक साम्यता भी नहीं है।
- सुहास पालिस्कर ने भारतीय लोकतंत्र में विद्यमान विशिष्टवादी संस्कृति को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों में भी व्यक्ति विशेष के हाथ में सत्ता आ गयी है, इसलिए लोकतंत्र के नाम पर विशिष्ट वर्गवाद ही बढ़ता है क्योंकि दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है।
- लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का मूल माध्यम राजनीतिक दल है जो व्यक्ति और परिवार के हाथों में केन्द्रित हो गया है। जोया हसन का मानना है कि व्यक्ति केन्द्रित दल परिवार केन्द्रित हो गये हैं, जो आंतरिक लोकतंत्र को और कमजोर करता है।
- स्टेनली कोचानक का मानना है कि भारत में FICCI की सहमति के बिना कोई वित्त मंत्री तक नहीं बन पाता। यदि इसे अतिशयोक्ति मान लिया जाय तो भी हार्डग्रेव की मान्यता से इंकार करना कठिन होगा जिसका मानना है कि भारत में FICCI सबसे शक्तिशाली दबाव समूह है।
- दबाव समूह केवल बजट के निर्माण को ही प्रभावित नहीं करते अपितु किसानों के आन्दोलन के कारण वर्तमान सरकार को कृषि सुधार संबंधित विधेयक वापस लेना पड़ा। यह इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सरकार द्वारा धारा 377 को हटाया गया, CAA के भारी विरोध के बाद भी इसे लागू कर दिया गया, परन्तु सरकार ने किसानों से संबंधित विधेयक वापस ले लिया।
- भारत में अभी भी जाति एवं धर्म आधारित दबाव समूहों का अत्यधिक प्रभाव है, इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल उन जाति समूहों का समर्थन लेने का प्रयास करता है।

An Institute For Civil Services

तुलनात्मक राजनीति
एवं
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(प्रथम भाग)

COMPARATIVE POLITICS
and
INTERNATIONAL RELATIONS
(First Part)

Dr. Rajesh Mishra

विषय-सूची

तुलनात्मक राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
Comparative Politics and International Relations
भाग - 1

1. तुलनात्मक राजनीति (Comparative Politics) 03-45
2. वैश्वीकरण (Globalisation) 46-51
3. आदर्शवाद/उदारवाद (Idealism/Liberalism) 52-58
4. यथार्थवाद (Realism) 59-63
5. मॉर्क्सवाद (Marxism) 64-68
6. प्रकार्यवादी सिद्धांत (Functionalist Theory) 69-71
7. प्रणाली सिद्धांत (System Theory) 72-75
8. वैकल्पिक सिद्धांत (Alternative Theory) 76-80
9. राष्ट्रीय हित (National Interest) 81-82
10. सुरक्षा/सामूहिक सुरक्षा (Security/Collective Security) 83-92
11. शक्ति और शक्ति संतुलन एवं प्रतिरोध (Power and Balance of Power/Deterrence) 93-104
12. गैर-राज्य कर्ता (Non-State Actors) 105-107
13. शीत युद्ध (Cold War) 108-121
14. परमाणु प्रसार (Nuclear Proliferation) 122-132
15. भारत-एन.पी.टी./सी.टी.बी.टी. एवं परमाणु नीति (India-NPT/CTBT and Nuclear Policy) 133-141
16. वैश्विक प्रशासन (Global Governance) 142-144

17. वैश्विक दक्षिण (Global South)..... 145-152
18. गुटनिरपेक्षता (Non-Aligned Movement, (NAM))..... 153-162
19. ब्रिटेन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन तक (WTO)..... 163-173
20. पारस्परिक आर्थिक सहयोग हेतु परिषद् (CMEA)..... 174-175
21. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) 176-193
22. क्षेत्रीय अर्थिक संगठन (Regional Economic Organisation) 194-195
23. यूरोपीय संघ (European Union)..... 196-200
24. आसियान (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN))..... 201-206
25. एपेक (Asia-Pacific Economic Cooperation, (APEC))..... 207-209
26. दक्षेस (South Asian Association for Regional Cooperation, (SAARC))..... 210-214
27. नॉफ्टा (North American Free Trade Agreement, (NAFTA))..... 215-218
28. लोकतंत्र (Democracy)..... 219-220
29. मानवाधिकार (Human Rights)..... 221-228
30. पर्यावरण (Environmentalism)..... 229-240
31. नारीवाद (Feminism)..... 241-243
32. आतंकवाद (Terrorism) 244-257

11 शक्ति एवं शक्ति संतुलन (Power and Balance of Power)

स्टीफन वॉल्ट्ज के अनुसार, 'शीतयुद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में अमेरिका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र है। क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया की दूसरी बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था से 40 प्रतिशत ज्यादा है तथा अमेरिका की सैन्य क्षमता का प्रमाण इस तथ्य से दिया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा पर होने वाला खर्च 6 महाशक्तियों के रक्षा खर्च के बराबर होता है। अमेरिका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से तथा उच्चतर तकनीकी के परिप्रेक्ष्य में विश्व का अग्रणी राज्य है। वर्तमान विश्व राजनीति में वे राष्ट्र जो अमेरिका से भयभीत हैं तथा वे राष्ट्र जो अमेरिका के सहयोगी हैं, दोनों अमेरिका से सहायता की अपेक्षा करते हैं। इसलिए रिचर्ड फॉक्स (Richard Fox) जैसे विचारक ने अमेरिका के लिए 'सुपर पॉवर' शब्द का प्रयोग किया है तथा जोसेफ नाई (Joseph Nye) ने अमेरिका को 'प्रीडामिनेंट पॉवर' (Predominant Power) कहा है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 'शक्ति' संघर्ष के रुप में (As a Struggle for Power in International Politics)

मार्गेथॉऊ (Hans Morgenthau) जैसे यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है, जो शाश्वत है। प्रत्येक राष्ट्र-राज्य ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। इसलिए मार्गेथॉऊ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, विधि या आर्थिक कारकों के बजाए, शक्ति और राज्य की स्वायत्तता पर बल दिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति के रुप में देखने का यह दृष्टिकोण अत्यंत पुराना है, जो कौटिल्य (Kautilya) और थ्यूसीडाइड्स (Thucydides) जैसे परंपरागत् विचारकों के विचारों में भी देखा जा सकता है।

शक्ति का अर्थ (Meaning of Power)

मार्गेथॉऊ (Hans Morgenthau) ने शक्ति को राजनीतिक संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा है कि शक्ति का आशय, दूसरे व्यक्तियों के मन और क्रियाओं पर अन्य व्यक्ति का नियंत्रण है। ठीक इसी प्रकार स्वाजन बर्गर का मानना है कि यह व्यक्ति या राष्ट्र की वह क्षमता है, जो दूसरों से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सके। इसलिए शक्ति को एक व्यापक संकल्पना माना जाता है। जिसका आशय है कि एक राज्य, दूसरे राज्य के विदेश नीति या दूसरे राज्य के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है? इसलिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए कुछ साधन भी अपनाए जाते हैं, ये साधन बल प्रयोग, जोड़-तोड़ तथा अनुनय-विनय के द्वारा भी पूरे किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध काल में अमेरिकी विदेश नीति ने 'मॉर्शल प्लान' के माध्यम से 'डॉलर डिप्लोमेसी' का भी प्रयोग किया। दूसरी ओर, नॉटो (NATO) जैसे सैन्य संगठन के माध्यम से बल प्रयोग भी किया गया। स्वाजन बर्गर ने शक्ति और प्रभाव में भेद किया है, क्योंकि प्रभाव के द्वारा भी दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन प्रभाव में बल प्रयोग की क्षमता अनुपस्थित होती है।

ई. एच. कार (E. H. Carr) ने शक्ति को **तीन श्रेणियों में विभाजित किया है** -

1. सैन्य शक्ति।
2. आर्थिक शक्ति।
3. जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति।

लेकिन ई. एच. कार यह भी मानते हैं कि शक्ति की संकल्पना मूलतः अविभाज्य है। इसलिए शक्ति को तीन श्रेणी में विभाजित करने का आशय शक्ति का विभाजन करना नहीं है। शक्ति की संकल्पना मूलतः सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष नहीं। उदाहरण के लिए, अमेरिका को शक्तिशाली कहने का आशय चीन, रुस, फ्रांस एवं जापान की तुलना में हो सकता है, निरपेक्ष रुप में नहीं। शक्ति की संकल्पना अमूर्त (Abstract) है, अर्थात् शक्ति को देखना अथवा वस्तुनिष्ठ मापन करना संभव नहीं है, अपितु इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन शक्ति के विभिन्न अवयवों का मापन किया जा सकता है।

शक्ति के अवयव (Components of Power)

1. भू-भाग (भूगोल) (The Terrain)

(i) आकार। (ii) अवस्थिति। (iii) जलवायु। (iv) स्थल आकृति। (v) सीमाएं।

पॉमर एवं पर्किंस (Palmer & Perkins) के अनुसार, 'नेपोलियन ने एक बार कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भू-भाग द्वारा निर्धारित होती है।' भू-भाग का आशय, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय तीनों प्रकार के भूगोल से है। इस भूगोल में एक मुख्य कारक देश का आकार है। उदाहरण के लिए, दुनिया की जितनी भी महाशक्तियां हैं। प्रायः उनका आकार बड़ा है तथा यह बड़ा आकार राष्ट्र को केवल संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराता, अपितु वाह्य आक्रमणों से राज्य को सुरक्षा भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, हिटलर द्वारा सोवियत संघ पर किया गया आक्रमण सोवियत संघ के बड़े भू-भाग के कारण असफल रहा है। लेकिन यहां यह भी ध्यान देने योग्य बिंदु है कि बड़ा भू-भाग तब राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत होता है, जब भू-भाग में परिवहन की क्षमता बेहतर, जलवायु अनुकूल तथा भू-भाग कृषि के लिए भी अनुकूल हो।

भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि टी. माहन (Alfred Thayer Mahan) और मैकेण्डर (Mackinder) जैसे विचारकों ने भू-राजनीति की संकल्पना में व्यक्त किया है। व्यावहारिक रुप में इंग्लैण्ड का अन्य यूरोपीय देशों से पृथक् होना इंग्लैण्ड को यूरोपीय संघर्ष से दूर रखने में सहायक रहा है। वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य मित्रता भौगोलिक अवस्थिति के कारण मुख्य रुप में है। अवस्थिति के साथ देश के जलवायु का लोगों के स्वास्थ्य और उनकी ऊर्जा पर सीधा प्रभाव देखा जाता है। इसलिए यह संयोग का विषय नहीं है, बल्कि जलवायु का प्रभाव है कि अधिकांश महाशक्तियों में पाई जाने वाली जलवायु समशीतोष्ण है। क्योंकि अत्यधिक गर्मी वाले एवं अत्यधिक ठण्डे प्रदेश दोनों ही मानव के रहन-सहन के लिए अनुकूल नहीं होते।

इसी के साथ देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन भी भूगोल के अंतर्गत् ही सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, रुस के सखालिन क्षेत्र में ऊर्जा के बड़े भण्डार पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का बड़ा भण्डार पाया जाता है। इसलिए विचारकों ने ब्रिटेन जैसी महाशक्ति और अमेरिकी 'सुपर पॉवर' के मध्य भेद किया है, क्योंकि अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से उन्नत तो है ही तथा उसी के साथ खाद्यान्नों के दृष्टिकोण से भी पूर्णतया आत्मनिर्भर है। अधिकांश विकासशील देश खाद्यान्नों के मामले में अभी भी पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसलिए रेमण्ड मिलर (Raymond Miller) का कथन है कि '20वीं सदी की मुख्य चुनौती मानव और उसके भूख के मध्य है।' अमेरिका जैसी महाशक्ति कोयला, लोहा और पेट्रोलियम का बड़ा उत्पादक के लिए जाने जाते हैं। लेकिन केवल प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से ही कोई महाशक्ति नहीं बन जाता। क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, ईराक तथा बेनेजुएला में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संशोधित करने के लिए तकनीकी व वित्त का अभाव पाया जाता है। इसी के साथ ब्राजील जैसे देश जहां कॉफी (Coffee), म्यांमार जैसा देश जहां चावल (Rice) तथा इण्डोनेशिया में रबर (Rubber) मुख्य रुप में पाया जाता है। अतः विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, लेकिन उनके बेहतर उपयोग की क्षमता नहीं है। अन्य उदाहरणों में दक्षिण अफ्रीका में सोना, मैक्सिको में चांदी तथा मलेशिया में टीन मुख्य रुप में पाया जाता है।

दुनिया के कोयला उत्पादन में रुस और अमेरिका सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो कि दुनिया के संपूर्ण कोयले के 35 प्रतिशत भाग का उत्पादन करते हैं। जल शक्ति के मामले में भी जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश महत्वपूर्ण हैं तथा भारत भी जल शक्ति (जल संसाधन) के मामले में एक संपन्न देश माना जाता है। जबकि लोहा तथा स्टील के मुख्य उत्पादकों में रुस, अमेरिका, फ्रांस व चीन जैसे देश हैं। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विकसित देशों में सघन औद्योगीकरण हुआ है, जो यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन से आरंभ हुआ। इसलिए अधिकांश विकसित देश शक्तिशाली माने जाते हैं।

2. जनसंख्या (Population)

जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के शक्तिशाली होने का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि जिस भौगोलिक अवस्थिति में लोगों का निवास होता है, वह कितना भी जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वह देश शक्तिशाली नहीं हो सकता। लेकिन जनसंख्या विस्फोट शक्ति के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि अधिकांश विकासशील देशों में बड़ी मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन जनंसख्या वृद्धि के प्रथम चरण में मृत्यु दर एवं जन्म दर दोनों अत्यधिक होते हैं। द्वितीय चरण में, जन्म दर अधिक

एवं मृत्यु दर कम होती है। जबकि तृतीय चरण में, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। अतः अधिकांश विकसित देश जनसंख्या वृद्धि के तीसरे चरण में हैं।

जैसा कि हॅक्सले का मानना है कि 'अत्यधिक जनसंख्या असुरक्षा और अव्यवस्था को जन्म देती हैं, ऐसे देशों में शासन प्रणाली प्रायः अधिनायकवादी हो जाती है, लेकिन जनसंख्या का अधिक होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है।' क्योंकि चीन, भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं और दूसरी ओर, जापान व पश्चिमी जर्मनी की जनसंख्या अधिक है। लेकिन सभी की आर्थिक वृद्धि एवं राष्ट्रीय शक्ति समान नहीं है। इसलिए जनसंख्या में लिंग अनुपात का बेहतर होना, जीवन स्तर का बेहतर होना, स्वास्थ्य एवं साक्षरता की उच्चतम दर होना तथा जनसंख्या प्रशिक्षित एवं कुशल हो, तभी वह राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत हो सकती है। पॉमर एवं पर्किंस का तो यहां तक मानना है कि 'लोगों में शिक्षा व साक्षरता के साथ उनकी धार्मिक वैचारिक मान्यताएं तथा उनमें पाए जाने वाला मनोबल किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है।'

दुनिया में अनेक ऐसे विशाल क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी साइबेरिया, अरब प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा भाग, सहारा मरुभूमि, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका, लैटुगोनिया, कनाडा के अधिकांश क्षेत्र तथा अलास्का के ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों के संदर्भ में जनसंख्या के महत्व को देखा जा सकता है। जबकि अण्टार्कटिका तथा ग्रीनलैण्ड जैसे क्षेत्रों में मानव बस्ती पाई ही नहीं जाती है। अतः जनसंख्या तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वह जनसंख्या प्रशिक्षित एवं कुशल होनी चाहिए।

3. तकनीकी (Technical)

वस्तुतः विकसित देशों व विकासशील देशों के मध्य तकनीकी का ही मूल भेद है। तकनीकी का आशय, अनुपयुक्त विज्ञान से है तथा तकनीकी के द्वारा ही नई पद्धतियों, नए उत्पादन, नए बाजार का निर्माण हुआ है। अधिकांश अनुसंधान व्यवस्थाएं विकसित और शक्तिशाली राष्ट्रों में हैं। उद्योग, कृषि, दवाईयां, शिक्षा, परिवहन व वित्त जैसे क्षेत्रों में नित नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसलिए रॉबर्ट हिलब्रोनर (Robert Heilbroner) का मानना है कि आधुनिक समय की सबसे बड़ी विशेषता तकनीकी है तथा तकनीकी का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में, परमाणु तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में तथा समाज के विकास में भी किया जाता है। जैसा कि बार्डविन का मानना है कि जर्मनी व जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जो विजय दिलाई वह उसकी सैन्य क्षमता और तकनीकी का ही प्रमाण था। उदाहरण के लिए, वर्ष-2003 के खाड़ी युद्ध में या यूगोस्लाविया संकट के समय अमेरिका ने अपनी बेहतर तकनीकी के बूते ही ईराक को पराजित किया तथा यूगोस्लाविया संकट सुलझाया। वर्तमान परमाणु हथियारों के निर्माणों के प्रयासों को देखा जाए, तो ईरान सहित दुनिया के अनेक देश परमाणु बम बनाने की तकनीक प्राप्त करने के प्रयास में हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया, तब सोवियत संघ ने भी इस तकनीक को प्राप्त करने का प्रयास तेज कर दिया।

बौद्धिक संपदा अधिकार के युग में तकनीक का निर्माण राष्ट्रीय शक्ति में मुख्य अवयव हो गया है तथा जिस प्रकार से उद्योग में सेवा क्षेत्र की प्रधानता स्थापित हो रही है, तकनीकी की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। विकासशील देशों के लिए यह तकनीकी न केवल प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए है, अपितु गरीबी व बीमारी जैसी समस्याओं को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।

4. विचारधारा (Ideology)

मार्गेथॉऊ (Hans Morgenthau) ने विदेश नीति में **निम्नलिखित विचारधाराओं को स्वीकार किया है** -

- यथास्थितिवादी विचारधारा, जिसमें शांति व अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कार्य किया जाता है।
- साम्राज्यवादी विचारधारा, जिसमें आक्रामक विदेश नीति को स्वीकार किया जाता है।
- राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा।

वस्तुतः संपूर्ण शीत युद्ध विश्व राजनीति का वैचारिकीकरण था। क्योंकि विश्व साम्यवाद बनाम् पूंजीवाद (दो विचारधाराओं) के मध्य विभाजित हो गया था। ठीक इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध को लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ने का नारा दिया गया। फॉसीवादी एवं नॉजीवादी शक्तियों को पराजित करने का आह्वान भी किया गया। लेकिन वर्ष-1960 के दशक में जब डेनियल वेल ने विचारधारा के अंत की घोषणा की, तो यह विचारधारा का अंत नहीं, बल्कि साम्यवादी विचारधारा के अंत को घोषित करने का प्रयास था। इसलिए ब्रिजान्सकी ने विचारधारा को अप्रासंगिक कहा। लेकिन अन्य विचारकों के अनुसार, विचारधारा के अंत का विवाद स्वयं एक विचारधारा है। वर्तमान में अमेरिका जैसी महाशक्ति लोकतंत्र,

मानवाधिकार एवं शांति की विचारधारा के नाम पर अपने राष्ट्रीय हितों को शक्तिशाली रुप में पूर्ण करने का प्रयास कर रही है।

5. मनोबल (Morale)

मनोबल का अभिप्राय, व्यक्तित्व व गरिमा को बनाए रखने से है। मनोबल में उत्साह, विश्वास, पात्रता, साहस तथा आस्था जैसे गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी मनोबल के द्वारा लोगों को राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें आपसी मतभेदों को भुलाने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र नागरिकों के मनोबल में वृद्धि का प्रयास करता है तथा मनोबल के निर्माण के लिए प्रचार और प्रोपेगेंडा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि एक कथन है कि 'विधि का पालन करो, करों की अदायगी करो, मतदान करो, जल सेना में सम्मिलित होइए, दुनिया को देखिए, सुरक्षित होकर चलिए तथा जीवन को संरक्षित कीजिए और फूल मत तोड़िए।'

लोगों के इस मनोबल की वृद्धि के लिए सदैव बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। जैसा कि अमेरिकी विदेश नीति में बार-बार कहा जाता है कि हमने तो अभी युद्ध प्रारंभ किया है, अभी आगे की लड़ाई शेष है, क्योंकि हमें पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र को सुरक्षित बनाना है। वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र की भूमिका शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा यह राष्ट्रीय चरित्र दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रुपों में पाया जाता है। जैसा कि **पॉमर एवं पर्किंस की मान्यता है** -

- चीनी लोग सार्वभौमिक अपरिवर्तनशीलता में विश्वास करते हैं।
- जर्मनवासी के राष्ट्रीय चरित्र को थारोनेस (Thrones) शांति और कौशल के अर्थ में व्यक्त किया जाता है तथा कुशलता व अनुशासन भी जर्मनवासियों का राष्ट्रीय चरित्र माना जाता है।
- रुसियों का राष्ट्रीय चरित्र उनका अटूट जुझारुपन है।
- जबकि दक्षिणी अमेरिकी देशों का राष्ट्रीय चरित्र उनकी धार्मिक भावना के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
- अमेरिकी और कनाडाई व्यक्तियों का राष्ट्रीय चरित्र खोजकर्ता तथा संसाधनों की पूर्णता के रुप में देखा जाता है।
- इंग्लैण्डवासियों का राष्ट्रीय चरित्र कामनसेंस है और भारतीयों का राष्ट्रीय चरित्र सहिष्णुता के अर्थ में लिया जाता है। (यह पर्किंस ने नहीं कहा है।)

यद्यपि किसी भी देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करना अत्यधिक कठिन व विवादास्पद है। लेकिन यह राष्ट्रीय शक्ति का एक बड़ा स्रोत माना जाता है, जिसे मार्गेथॉऊ ने अपनी रचना - Politics Among Nations, (1948) में भी स्वीकार की है।

6. नेतृत्व (Leadership)

नेतृत्व के बिना न तो राज्य का निर्माण हो सकता है और न ही तकनीक का विकास और न ही कोई देश विकसित हो सकता है तथा बिना नेतृत्व के मनोबल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह नेतृत्व युद्ध के समय महत्वपूर्ण होता है तथा शांति के समय कूटनीति में भी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में 'जय-जवान, जय-किसान' का नारा दिया तथा देश का युद्ध में बेहतर नेतृत्व किया। क्योंकि तत्कालीन युद्ध में पाकिस्तान, भारत को एक अशक्त राष्ट्र के रुप में देख रहा था।

ठीक इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय विस्टन चर्चिल ने इंग्लैण्डवासियों का नेतृत्व किया। चर्चिल का प्रसिद्ध संबोधन था कि 'हम समुद्र के किनारे लड़ेंगे, हम भूमि पर युद्ध करेंगे, हम खेतों और गलियों में युद्ध करेंगे, हम पहाड़ों पर युद्ध करेंगे, लेकिन हम हार कभी नहीं मानेंगे।' जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' के नाम पर अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे।

शक्ति के आयाम (Dimensions of Power)

शक्ति के मूलतः **दो आयाम हैं** -

1. **हार्ड पॉवर (Hard Power) -** जिसमें सैन्य, आर्थिक, तकनीकी क्षमता एवं शक्ति शामिल होती है। जैसे-अमेरिका, रुस, चीन की शक्ति।
2. **सॉफ्ट पॉवर (Soft Power) -** इसमें वैचारिक एवं सांस्कृतिक शक्ति शामिल होती है। इसे भारत की आध्यात्मिक शक्ति (जैसे-योग, बौद्ध धर्म) के रुप में देखा जा सकता है।

सॉफ्ट पॉवर (Soft Power)

पारंपरिक रुप से एक महाशक्ति की परीक्षा युद्ध के द्वारा होती थी। हालांकि, वर्तमान काल में शक्ति की परिभाषा में तकनीक, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के तत्वों की भूमिका की महत्ता में वृद्धि हुई है और वहीं सैन्य बल, विजय, भूगोल, जनसंख्या तथा कच्चे माल के सामरिक महत्व में कमी आई है। राजनैतिक सिद्धांत में शक्ति सबसे अधिक विवादित संकल्पना है। पारंपरिक रुप से शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है – 'अपनी इच्छा से परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता तथा इसके लिए यदि आवश्यक हो, तो दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने का सामर्थ्य।' (Joseph S. Nye, Jr.)

हाल के दशकों में, अध्ययनकर्ताओं एवं विचारकों ने दो प्रकार की शक्तियों में भेद किया है। कठोर शक्ति एवं सौम्य शक्ति (Hard Power & Soft Power)। सैन्य शक्ति के प्रयोग अथवा इसके प्रयोग की चेतावनी एवं आर्थिक प्रबलता, कठोर शक्ति को स्थापित करने के साधन हैं। दूसरों के मूल्यों को सहनियोजित करने के प्रयासों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को सौम्य शक्ति (Soft Power) की संज्ञा दी गई है। इसके माध्यम से एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा की कार्यशैली को अपने हितों के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। जहां एक ओर, कठोर शक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी देश को मात्रात्मक मूल्यों एवं लाभों के आधार पर अनुपालन के लिए विवश करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर, सौम्य शक्ति विचारों की निवेदनात्मक क्षमता के द्वारा कार्य करती हैं, जो विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे – योग। कठोर शक्ति और सौम्य शक्ति के संयोजन को स्मार्ट शक्ति (Smart Power) की संज्ञा दी गई है। अत: यह दोनों धारणाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

शक्ति के परिवर्तित केंद्र (Changed Centres of Power)

यथार्थवादियों के अनुसार, शक्ति का केंद्र राज्य है, किंतु वर्तमान समय में गैर-राज्य कर्ता शक्ति के नवीन केंद्रों के रुप में उभरे हैं। इसी कारण बहुराष्ट्रीय व्यापार निगमों को शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोतों के रुप में देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, सर्वोच्च 10 बहुराष्ट्रीय व्यापार निगमों का वार्षिक उत्पाद 150 राष्ट्रों के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) से कहीं अधिक है। हम यूरोपीय संघ एवं विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्सरकारी व्यवस्थाओं की महत्ता को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।

शक्ति का संतुलन (Balance of Power)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का संतुलन यथार्थवादी विचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, शक्ति का संतुलन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

शक्ति संतुलन की परिभाषा (Definition of Balance of Power)

केनेथ वाल्ट्ज (Kenneth Waltz) ने अपनी रचना – Theory of International Politics, (1979) में शक्ति संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया है – 'शक्ति संतुलन वह है, जब राज्य अपने परिवेश को संज्ञान में लेंगे तथा वैश्विक स्तर पर शक्ति विन्यास में परिवर्तनों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए तदनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करेंगे और शक्ति का वास्तविक वितरण ऐसा होगा कि एक संतुलन उभर सके।' मार्टिन वाइट (Martin Wight) के अनुसार, 'शक्ति संतुलन के दो अर्थ हैं – प्रथम, शक्ति का समान रुप से वितरण अर्थात् साम्यावस्था। द्वितीय, एक ऐसी परिस्थिति जब किसी भी शक्ति का आधिपत्य इतना अधिक न हो कि वह दूसरे के लिए संकट उत्पन्न करे।' मैकियावेली के अनुसार, 'मार्टिन वाइट द्वारा प्रस्तुत की गई शक्ति संतुलन की अवधारणा शक्ति के वितरण से उत्पन्न यथार्थ परिस्थिति की अवधारणा है, जो यथास्थिति शक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करे।'

शक्ति संतुलन की अवधारणाएं (Assumptions of Balance of Power)

क्विंसी राइट (Quincy Wright) के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएं हैं, जो शक्ति प्रणाली (Brown and Ainley) के संतुलन को **रेखांकित करती हैं** –

- राज्य अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। (जैसे कि स्वतंत्रता, भू-क्षेत्रीय अखंडता व सुरक्षा इत्यादि)। इसके लिए वह युद्ध समेत उपलब्ध सभी साधनों का प्रयोग करते हैं।
- राज्यों के महत्वपूर्ण हित संकट में हैं या हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो शक्ति संबंधों से संबंधित होने के लिए यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं।

- राज्यों की सापेक्षिक शक्ति की स्थिति को महत्वपूर्ण सटीकता के साथ मापा जा सकता है और इन शक्ति गणनाओं का उपयोग भविष्य के लिए नीति निर्धारण की प्रक्रिया में किया जा सकता है।
- संतुलन की परिस्थिति या तो आक्रामक राज्य को आक्रमण करने से रोकेगी या ऐसा न कर पाने की स्थिति में पीड़ित राज्य को पराजय से बचाने में सहायक होगी।
- राज्य शक्ति से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखकर ही विदेश नीतियों पर तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम हैं और वे ऐसा ही करेंगे। यदि यह संभव नहीं होता, तो जानबूझकर शक्ति का संतुलन सही नहीं हो पाता।

शक्ति संतुलन प्रणाली के मूल नियम (Basic Norms of the Balance of Power System)

केरेन ए. मिंगस्ट (Karen A. Mingst) 2001 के अनुसार, शक्ति संतुलन के मूल नियम इस प्रकार हैं, जो संतुलन की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रत्येक राज्य के **कर्ताओं को ज्ञात होते हैं** -

- आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत किसी भी कर्ता या गठबंधन को विवश करना अत्यावश्यक है।
- राज्य भू-क्षेत्र प्राप्त करके अपनी क्षमताओं में विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि, जनसंख्या में वृद्धि एवं उन्नति लाने का प्रयास करना, युद्ध लड़ने से कहीं अधिक बेहतर है।
- समझौता करना युद्ध से अधिक बेहतर है।
- अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना युद्ध लड़ने से अधिक श्रेयस्कर या बेहतर है, क्योंकि कोई भी किसी कमजोर राज्य की सुरक्षा का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा।
- दूसरे राज्यों को सदैव संभावित सहयोगियों के रुप में देखे जाते हैं।
- राज्य सदैव अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिसे शक्ति के रुप में परिभाषित किया जाता है।

शक्ति संतुलन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां (Conditions of Success for the balance of Power System)

इनिस एल. क्लाउड जूनियर (Inis L. Claude, Jr.) के अनुसार शक्ति संतुलन प्रणाली की सफलता की संभावनाओं में वृद्धि के लिए **निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक हैं** -

- शक्ति का वितरण कई कर्ताओं के मध्य में होना चाहिए, यह वितरण अत्यधिक केंद्रित नहीं होना चाहिए।
- नीति का नियंत्रण कुशल तथा जानकार कूटनीतिज्ञों के हाथ में होना चाहिए, जो वैचारिक प्रतिबद्धताओं तथा शक्ति चिंतन के अनुसार कार्य करने में बाधक बनने वाले सभी अवरोधों से मुक्त हों।
- शक्ति के तत्व स्थिर और सहज होने चाहिए, इतने सहज कि सटीक गणनाएं करना संभव हो और इतने स्थिर की इन गणनाओं के आधार पर भविष्य की नींव रखी जा सके।
- युद्ध के संभावित मूल्य इतने मजबूत होने चाहिए कि वे एक अवरोध का कार्य करें, किंतु वे इतने प्रभावी भी नहीं होने चाहिए कि युद्ध एक अविश्वास की घटना बन जाए।
- मौजूदा व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां क्रांतिकारी नहीं होनी चाहिए। कम से कम राज्य व्यवस्था के प्रमुख पात्रों को, उन मांगों तक सीमित रखना चाहिए, जो व्यवस्था के आवश्यक बहुलवाद के अनुकूल हों।
- यदि संभव हो, तो संतुलन रखने वाला एक धारक राज्य होना चाहिए, जो अपने वजन के माध्यम से कभी इस पैमाने, तो कभी उस पैमाने में संतुलन बनाए रखे।

शक्ति संतुलन का उद्देश्य (The Purpose of Balance of Power)

- सुरक्षा और शांति, शक्ति संतुलन के प्रमुख उद्देश्य हैं। शांति के उल्लेख के बावजूद राज्यों के लिए सुरक्षा आमतौर पर अधिक आधारभूत चिंता है। राज्यों के अति महत्वपूर्ण हितों जैसे कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का संरक्षण भी शक्ति संतुलन के मूलभूत उद्देश्य हैं, जिनके संरक्षण के लिए राज्य युद्ध तक को तत्पर हो जाते हैं। इसी कारण संतुलन की प्रक्रिया शक्ति के वितरण के ऐसे स्वरुप की स्थापना के उद्देश्य के साथ आरंभ की जाती है, जिसके अंतर्गत् आक्रामक प्रवृत्तियों वाले देशों पर अंकुश लगाया जा सके तथा युद्ध की स्थिति में राज्य पराजय से बच सके।
- शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि एक राज्य दूसरे राज्यों पर हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा प्रयोग की चेतावनी से अपनी मर्जी न थोप सके। संतुलन के संरक्षण के द्वारा आक्रमण का प्रतिरोध करना शांति की स्थापना में

सहायक होगा। मॉर्गेथाऊ (Hans Morgenthau's) के अनुसार, साम्यावस्था के रुप में शक्ति के संतुलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सम्मिलित राज्यों की स्थिरता बनाए रखना एवं उनका संरक्षण करना है। तदनुसार, शक्ति संतुलन की प्रक्रिया यथास्थिति बनाए रखने की ओर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के व्यवस्था के प्रारुप में किसी भी आमूल-चूल परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है।

शक्ति संतुलन स्थापित करने के विभिन्न तरीके (Different Methods of Establishing and Maintaining Balance of Power)

शक्ति का संतुलन स्थापित करने और इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए **कई तरीके उपयोग में लाए गए हैं-**

- **आंतरिक स्तर पर कार्रवाई के द्वारा शक्ति का समायोजन (The Adjustment of Power by Domestic Measures) -** एक राज्य, जो दूसरे राज्य की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस करता है, वह स्वाभाविक रुप से अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। वे अपने शस्त्रों का निर्माण कर सकता है तथा आक्रामक क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य पर केंद्रित आर्थिक कार्यक्रम को आरंभ कर सकता है अथवा देश-प्रेम और भावी शत्रु देश से घृणा करने की प्रेरणा से ओत-प्रोत एक घरेलू प्रचार अभियान आरंभ भी कर सकता है, लेकिन जब दूसरा राज्य शक्तिहीन होने लगे, तो इन कार्रवाईयों में ढील दी जा सकती है।
- **गठबंधन और विरोधी गठबंधन (Alliances and Counter Alliances) -** शक्ति संतुलन की निरंतरता बनाए रखने के लिए गठबंधन और विरोधी गठबंधनों का निर्माण करना सबसे साझा एवं सामान्य तरीका था। जब दो राष्ट्र, एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए अपनी शक्ति से अपने प्रतिद्वंद्वी देश की शक्तियों को अवरुद्ध करे, तो उन्हें गठबंधन की नीति का अनुपालन करने के लिए कहा जा सकता है। परंतु गठबंधन की नीति का अनुपालन सिद्धांत की बात नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सुविधा मात्र है। जैसे, अंकुस और क्वाड (AUKUS and QUAD) चीन का मुकाबला करने के लिए गठबंधन के वर्तमान उदाहरण हैं।
- **शस्त्रीकरण/आयुध और निरस्त्रीकरण (Armaments and Disarmament) -** शस्त्रीकरण अर्थात् शस्त्रों को बनाए रखना ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति को बनाए रखता है तथा शक्ति संतुलन भी स्थापित करने का प्रयास करता है। यूक्रेन पर रुस के हमले के बाद जर्मनी ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया तथा भारत ने चीन के उदय के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु परीक्षण किया।
- **फूट डालो और राज करो (Divide and Rule) -** यह तरीका उन राष्ट्रों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो अपने प्रतिस्पर्द्धी देशों को विभाजित करके उन्हें कमजोर करने या बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका विरोधी देश कमजोर रहे। आधुनिक समय में फ्रांस के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध अपनाई गई नीति, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के नाम पर भारत के प्रति अपनाई गई नीति और पश्चिमी यूरोप के प्रति सोवियत संघ की नीति, इसी नीति के ज्वलंत उदाहरण हैं।
- **हस्तक्षेप और गैर-हस्तक्षेप (Intervention and Non-Intervention) -** हस्तक्षेप एक तंत्र है, जिसका अर्थ है कि एक राष्ट्र का, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता रहता है। हाल ही में चीन, ताइवान के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। हस्तक्षेप कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे-निष्पक्षता से न्यूनतम विचलन से लेकर प्रमुख युद्ध में पूर्ण स्तर पर सैन्य सहभागिता। गैर-हस्तक्षेप एक ऐसी नीति है, जिसका अनुपालन अक्सर छोटे देशों के द्वारा किया जाता है और उन महाशक्तियों के द्वारा भी जो मौजूदा राजनैतिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं और संतुलन के संरक्षण के लिए शांतिपूर्ण तरीकों का समर्थन करती हैं। गैर-हस्तक्षेप, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र का मूल सिद्धांत है। टेलीरेंड का कथन है कि 'गैर-हस्तक्षेप एक राजनैतिक अवधारणा है, जिसका अर्थ हस्तक्षेप ही है।'
- **बफर राज्य (Buffer State) -** बफर राज्य, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थित एक छोटा राज्य है। जैसे नेपाल व भूटान, भारत एवं चीन के बीच स्थित बफर स्टेट हैं। बफर स्टेट दो शक्तिशाली राज्यों के बीच संभावित टकराव से बचाता है। यूक्रेन में नॉटो के विस्तार को रोकने के लिए रुस द्वारा यूक्रेन को बफर राज्य के रुप में माना जाता है।

शक्ति संतुलन और आतंक का संतुलन (Balance of Power and Balance of Terror)

पॉमर और पर्किंस (Palmer and Perkins) के अनुसार, परमाणु हथियारों के विकास के कारण अब आतंक का संतुलन एक

महत्वपूर्ण अवधारणा के रुप में उभरा है। परस्पर सुनिश्चित विनाश, (Mutual Assured Destruction, (MAD)) आतंक के संतुलन का वैकल्पिक स्वरुप है। अवरोध भी एक मिलता-जुलता सिद्धांत है। शक्ति संतुलन की तुलना में अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच आतंक का संतुलन मौजूद है। शक्ति संतुलन एक पुरानी अवधारणा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और परमाणु हथियारों के विकास ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को परिवर्तित कर दिया है। पॉमर और पर्किंस (Palmer and Perkins) के अनुसार, शक्ति संतुलन का विचार बहुआयामी और संकुचित है। इसलिए आतंक के संतुलन ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को प्रतिस्थापित नहीं किया। इसलिए शक्ति संतुलन और आतंक का संतुलन एक साथ मौजूद हैं।

शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता (The Relevance of Balance of Power Today)

आम तौर पर यह माना जाता है कि आधुनिक राज्य प्रणाली वर्ष-1648 में अपनी स्थापना से लेकर वर्ष-1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक बहुध्रुवीय या शक्ति प्रणाली का संतुलन था। 19वीं शताब्दी का शक्ति संतुलन इस स्थिति का पारंपरिक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत् पांच शक्तियां मौजूद थीं, जिनमें (इंग्लैण्ड, रुस, फ्रांस, प्रशिया एवं ऑस्ट्रिया) ये पांचों शक्तियां संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया में सम्मिलित थीं और दूसरों को आधिपत्य की प्रक्रिया से रोक रहीं थीं, क्योंकि आधिपत्य से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता एवं शांति को खतरा पहुंच सकता था। इसी प्रकार वर्ष-1815 से आरंभ होकर वर्ष-1914 में प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के दौरान यूरोप में सामान्य शांति स्थापित रही, हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ युद्ध लड़े गए थे।

शीत युद्ध की अवधि के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो वैचारिक रुप से विरोधी गुटों में विभाजित हो जाती हैं, तो दो महाशक्तियों के बीच संचालित शक्ति प्रणाली का संतुलन और जिसे 'दीर्घ शांति' (Long Peace) के रुप में जाना जाता है, हालांकि पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मौजूद परमाणु अवरोध, इस शांति का प्रमुख कारण था। जॉन मर्शाइमर (John Mearsheimer) के अनुसार, शीत युद्ध की दीर्घकालीन शांति **तीन कारकों की परिणाम थी** -

1. महाद्वीपीय यूरोप में सैन्य शक्ति का द्वि-ध्रुवीय विभाजन।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैन्य शक्ति की अनुमानित समानता।
3. परमाणु हथियारों का शांत प्रभाव।

सोवियत संघ के विघटन के साथ, शीत युद्ध समाप्त हो गया और वैश्विक शक्ति का द्वि-ध्रुवीय तंत्र बहु-ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना एक-ध्रुवीय है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्राथमिक आधिपत्य शक्ति के रुप में है। अब प्रश्न यह है कि इस शीत युद्ध के बाद बहु-ध्रुवीय दुनिया में शक्ति संतुलन के सिद्धांत की वैधता की प्रासंगिकता क्या है?

संयुक्त राष्ट्र संघ और शक्ति का संतुलन (UNO and Balance of Power)

वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी की है, जहां पांच या छः मुख्य राष्ट्रीयकर्ता हुआ करते थे, जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्षरत थे। अतः शक्ति संतुलन की धारणा से यह प्रकट होता है कि शक्ति की राजनीति नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति से संचालित होती है।

द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्र-राज्यों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना एवं राज्यों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मानवीय सहयोग में वृद्धि करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चॉर्टर में अध्याय-7 के प्रावधान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में सामूहिक सुरक्षा निर्मित करेगा और किसी एक राज्य पर आक्रमण संपूर्ण विश्व की शांति पर आक्रमण माना जाएगा। अतः अब प्रत्येक राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के जिम्मे था, ऐसी स्थिति में क्या शक्ति के संतुलन की धारणा प्रासंगिक है?

यदि सैद्धांतिक रुप में देखा जाए, तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, शास्त्रीय शक्ति संतुलन के समय सामूहिक सुरक्षा की कल्पना अनुपस्थित थी, लेकिन यदि व्यावहारिक रुप में देखा जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजाए, शीत युद्ध के दौर में शक्ति संतुलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित हुई। इसलिए शीत युद्ध के समय जो विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उपस्थित हुए उन राजनीतिक विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ करने में

असफल रहा। उदाहरण के लिए, कोरिया संकट, ईरान, इण्डोनेशिया, हंगरी में हस्तक्षेप तथा अरब-इजरायल विवाद। वस्तुतः शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली होने की उम्मीद की गई। लेकिन अमेरिका द्वारा ईराक पर किए गए आक्रमण, नॉटो द्वारा सर्बिया पर किया गया आक्रमण तथा अमेरिका द्वारा दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी घोषित करना, क्योटो प्रोटोकाल को अस्वीकार करना, प्रक्षेपास्त्र संधि का उल्लंघन करना इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। यहां यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि शक्ति संतुलन का अर्थ, व्यापक रुप में प्रयोग किया जा रहा है एवं इसे शक्ति के संघर्ष के रुप में देखा जा रहा है। इसलिए आज एक-ध्रुवीय शक्ति संतुलन एवं द्वि-ध्रुवीय शक्ति संतुलन शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है।

लेकिन इन व्यावहारिक उदाहरणों के साथ-साथ पॉमर और पर्किंस (Palmer & Perkins) ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है कि 'वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण और संरचना में भी शक्ति संतुलन के मूलभूत नियमों को देखा जा सकता है। अतः पॉमर और पर्किंस के अनुसार, दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए कायम है, क्योंकि इसके पीछे शक्ति संतुलन कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए, लीग ऑफ नेशंस, इसलिए असफल हो गया, क्योंकि उसमें अमेरिका ने भागीदारी नहीं की तथा सोवियत संघ भी उससे दूर रहा। पॉमर और पर्किंस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का विश्लेषण करते हुए इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा कौंसिल (Security Council) पर है। इसलिए सुरक्षा कौंसिल, (Security Council) संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग माना जाता है। यदि पांच स्थाई सदस्यों को देखा जाए, जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त थी, तो ये पांच महाशक्तियां तत्कालीन समय में महाशक्ति के रुप में विश्व व्यवस्था का निर्धारण कर रही थीं। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद् की संरचना तत्कालीन शक्ति संतुलन की संरचना के अनुरुप निर्मित की गई। दूसरी ओर, सामूहिक सुरक्षा के साथ राज्यों को आत्म रक्षा देने का अधिकार (अनुच्छेद-51) इस तथ्य को इंगित करते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करने में असफल तो नहीं होगा? इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चॉर्टर में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी स्पष्ट अलग प्रावधान है, जो (अनुच्छेद-52 से 54) में वर्णित है। जिनके अनुसार, नॉटो तथा वार्सा जैसे संगठनों का निर्माण भी किया गया। इसलिए क्या नॉटो की सहयोगी सुरक्षा महत्वपूर्ण है या संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा? सामूहिक सुरक्षा के होते हुए भी क्षेत्रीय सुरक्षा का विकल्प क्यों प्रदान किया गया? यदि व्यावहारिक उदाहरणों से देखा जाए, तो सामूहिक सुरक्षा के बजाए, नॉटो की सुरक्षा ज्यादा प्रभावी हुई।

प्रतिरोध या डिटरेंस (Deterrence)

प्रतिरोध या डिटरेंस के द्वारा शक्ति संबंधों को व्यक्त किया जाता है तथा इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामंजस्य के बजाए, विरोधी संबंधों को प्रकट किया जाता है। प्रतिरोध या डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है, जिसके द्वारा राज्यों के आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, क्योंकि संभावित आक्रामक राष्ट्र आक्रमण से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आक्रमण नहीं करता। प्रतिरोध या डिटरेंस, भय को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिसके अंतर्गत् राज्यों के अनापेक्षित व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है।

प्रतिरोध या डिटरेंस के दो प्रकार हैं -

1. परंपरागत प्रतिरोध या डिटरेंस।
2. परमाणु प्रतिरोध या डिटरेंस।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् परमाणु प्रतिरोध या डिटरेंस को प्रतिरोध या डिटरेंस का पर्याय माना गया एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के समक्ष **निम्नलिखित चुनौती विद्यमान होती हैं** -

- क्या उन्हें (राज्यों को) परमाणु हथियारों का प्रयोग करना चाहिए?
- परमाणु हथियारों के संभावित आक्रमण से राज्य स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रखें?

जापान पर पहली बार परमाणु हमले के बाद अमेरिकी विदेश नीति में परमाणु हथियारों की सर्वोच्चता का प्रभावी प्रयोग किया गया तथा परमाणु हथियारों की धमकी के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने 'कगार की नीति' (Policy of Brinkmanship) का पालन किया। अमेरिका ने ऐसा प्रदर्शित किया कि वह वास्तव में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा अन्य राष्ट्रों से सौदेबाजी भी की गई। अतः अमेरिका ने परमाणु हथियारों के विनाश का आतंक पैदा किया। राष्ट्रपति ऑइजन हॉवर ने साम्यवाद और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग का समर्थन किया, ऐसा विटकॉफ का मत है। परंतु अन्य विचारक इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार, अमेरिका ने कभी भी परमाणु हथियारों के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया।

वर्ष-1949 में सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट किया तथा अमेरिका ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया। इनके अनुसार, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य सैन्य संघर्ष संभव नहीं है। सोवियत संघ ने आर्थिक एवं राजनीतिक कूटनय के द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल दिया। प्रथम चरण में, अमेरिका की सामरिक क्षमता सोवियत संघ से निर्णायक रुप में बेहतर थी। वर्ष-1957 में सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष उपग्रह स्पूतनिक छोड़ा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सोवियत संघ, अमेरिका के दूर-दराज के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। वर्ष-1960 के दशक में शीत युद्ध के दौर में क्यूबा संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने ख्रुश्चेव को क्यूबा से सोवियत प्रक्षेपास्त्रों को हटाने के लिए बाध्य किया। क्यूबा संकट के दौरान पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो सकता है। इसे क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। इस संकट के दौरान अमेरिका की नीति में परिवर्तन आया और इस समय तक सोवियत संघ ने परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी सर्वश्रेष्ठता को तोड़ दिया। अत: अमेरिका ने नई रणनीति का प्रयोग करते हुए परमाणु हथियारों के प्रयोग के बजाए, राजनैतिक सौदेबाजी का सहारा लिया। 70 के दशक में प्रतिरोध या डिटरेंस को पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) के पर्याय के रुप में व्यक्त किया गया, जिसका अभिप्राय है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध सर्वविनाशक होगा, जिसमें किसी की हार या जीत संभव नहीं है। अत: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विजय के बजाए, अस्तित्व की चिंता प्राथमिक हो गई। यहां यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 70 के दशक में दोनों महाशक्तियों की सामरिक क्षमता समान थी।

परमाणु प्रतिरोध या डिटरेंस में 70 के दशक के दौरान निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभरीं -

- अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी मित्रों को भी परमाणु प्रतिरोध या डिटरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसे 'एटमी छाता' या 'विस्तारित प्रतिरोध या डिटरेंस' भी कहा जाता है।
- दूसरी ओर, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर भी बल दिया गया तथा परमाणु हथियारों की कटौती के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अनेक समझौते संपन्न हुए।

आलोचकों के अनुसार, यथार्थवादी विश्व में यह कहना कठिन है कि महाशक्तियां अपने मित्रों की रक्षा हेतु स्वयं विनाशक संघर्ष में संलग्न होंगी। परंतु परमाणु उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार, परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल प्रतिरोध या डिटरेंस के लिए ही नहीं, युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रसार से इसके प्रयोग की प्रायिकता में भी वृद्धि होती है। यद्यपि यह प्रयोग सीमित रुप में होगा, ऐसी इनकी मान्यता है।

जटिल प्रतिरोध या डिटरेंस (Complex Deterrence)

विचारकों के अनुसार, परंपरागत् रुप में अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के बीच प्रतिरोध/संतुलन बना हुआ था। क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे, परंतु वर्तमान में उत्तर कोरिया व पाकिस्तान जैसे राज्यों ने भी परमाणु हथियार अर्जित कर लिए हैं। अब अमेरिका एवं उत्तर कोरिया के बीच शक्ति एवं सैन्य क्षमता में भारी विषमता है। इसलिए इसे 'जटिल प्रतिरोध' या 'डिटरेंस' कहा गया।

आक्रामक युद्ध से रक्षात्मक विकास की ओर (From Offensive Warfare To Towards Defensive Development)

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए आक्रामक रणनीति का प्रयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने 80 के दशक में 'स्टार वार' का नारा दिया। जिसके अंतर्गत् अमेरिकी भूमि की रक्षा अंतरिक्ष में निर्मित कंप्यूटर प्रणाली द्वारा करने की योजना बनाई गई, जो किसी भी वाह्य प्रक्षेपास्त्र को सीमा पर ही निष्क्रिय कर देगा। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने परमाणु प्रतिरोध या डिटरेंस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। आलोचक भी यह मानते हैं कि परमाणु हथियार आक्रामक हथियार हैं, रक्षात्मक नहीं। वर्ष-1985 में सोवियत संघ में गोर्बाचेव (Mikhail Gorbachev) के सत्ता में आने के पश्चात् परमाणु हथियारों की कटौती हेतु व्यापक पहल की गई, क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक रुप में खस्ताहाल हो चुका था तथा उसे अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने पर कारगर प्रतिबंध लगाने की पहल की।

दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप और प्रतिरोध या डिटरेंस (South Asian Subcontinent and Deterrence)

वर्ष-1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने परमाणु विस्फोट किए। पश्चिमी विचारकों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रतिरोध या डिटरेंस की संकल्पना लागू नहीं होगी तथा इनके मध्य परमाणु हथियारों का संघर्ष सुनिश्चित

है। अमेरिका ने भारत पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए दबाव बनाया, परंतु विगत् 10 वर्षों के दौरान दोनों देशों के मध्य परमाणु हथियारों के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया गया। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य परमाणु क्षेत्र में विश्वास निर्माण के उपाय किए गए।

इस बिंदु पर परस्पर विरोधी मत पाए जाते हैं कि एक ओर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रुप में कहा है कि 'पाकिस्तान, भारत के विरुद्ध सभी प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर विचार करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी सम्मिलित होंगे।' जबकि दूसरी ओर, राष्ट्रपति ऑसिफ अली जरदारी ने 'नो फर्स्ट यूज' की संकल्पना का समर्थन किया। भारत ने आरंभ से ही 'नो फर्स्ट यूज' की नीति का समर्थन किया। अत: अब अमेरिका सहित अनेक विकसित राष्ट्र भारत को परमाणु क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षमता वाला उत्तरदाई राष्ट्र मानते हैं।

जॉन मूलर की प्रतिरोध या डिटरेंस (Deterrence) के संबंध में नौ (9) मान्यताएं

1. इनके अनुसार, परमाणु हथियार किसी भी बड़े युद्ध को रोकने के लिए आवश्यक नहीं है। मूलर के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध न होने का कारण परमाणु हथियार नहीं थे, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध अत्यधिक विनाशक था। इसलिए कोई भी महाशक्ति किसी अगले युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इनके अनुसार, अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां तत्कालीन यथास्थिति से संतुष्ट थीं। वे युद्ध आरंभ करके इसके परिवर्तन के समर्थक नहीं थे। यह वास्तविकता है कि शीत युद्ध के दौरान अनेक संघर्ष विद्यमान थे। परंतु इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए महाशक्तियों ने सीधे युद्ध से परहेज किया। ऐसा माना जाता है कि स्टॉलिन ने यह स्पष्ट कहा कि 'भविष्य में विश्व युद्ध की किसी भी संभावना को उभरने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को अत्यधिक हानि हुई थी।'
2. परमाणु हथियारों के द्वारा न किसी संकट को आवश्यक रुप में नियंत्रित किया जाता है और न ही उसके परिणाम प्रभावित होते हैं। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि परमाणु हथियारों के भय के कारण राज्यों के मध्य संघर्ष नहीं टलते। कोरिया संघर्ष परमाणु हथियारों के कारण सीमित हुआ, ऐसा कहना कठिन है। क्योंकि सोवियत संघ एवं अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के प्रयोग से सीधे बचते रहे। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह माना कि परमाणु हथियारों के कारण सोवियत संघ ईरान से हटा। आइजन हॉवर के अनुसार, 'परमाणु हथियारों के खतरे के कारण ही कोरिया संकट के बाद ही चीन एवं अमेरिका से वार्ता करने को तैयार हुआ।' परंतु मूलर ने उपरोक्त मान्यताओं को अस्वीकृत कर दिया, उन्होंने विश्व में अनेक युद्धों का हवाला देते हुए कहा कि 'परमाणु हथियार इन युद्धों को नहीं रोक पाए तथा विश्व में व्याप्त संघर्ष परमाणु हथियारों के भय के कारण नहीं, बल्कि कूटनीति के द्वारा हल हुए।'
3. क्यूबा संकट के दौरान कभी भी परमाणु संघर्ष का खतरा नहीं था। इनके अनुसार, समकालीन दस्तावेज इस बिंदु की ओर स्पष्ट ईशारा करते हैं कि यदि अमेरिका, क्यूबा के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता, तो सोवियत संघ क्यूबा की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करता। यह भी माना जाता है कि क्यूबा संकट के दौरान ख्रुश्चैव ने कभी भी परमाणु हथियारों के विकल्प पर विचार नहीं किया। मैकनॉमारा ने स्पष्ट उल्लेखित किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी का मानना था कि तुर्की में तैनात महत्वहीन प्रक्षेपास्त्रों के लिए युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।
4. सामान्यत: यह माना जाता है कि परमाणु हथियारों के कारण शीत युद्ध के दौरान द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ। मूलर ने इस मान्यता को खंडित किया। इनके अनुसार, द्वि-ध्रुवीय विश्व का निर्माण अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य अनेक मुद्दों पर मतभेद उभरने के कारण हुआ तथा दोनों के मध्य वैचारिक संघर्ष भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त पूर्वी व केंद्रीय यूरोप को लेकर भी इन दोनों के मध्य विवाद थे। द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मूल कारण द्वितीय विश्व युद्ध था एवं उसके बाद निर्मित होने वाला शक्ति संतुलन था। अत: द्वि-ध्रुवीय विश्व राजनीतिक और वैचारिक द्वि-ध्रुवीयता को प्रकट करते हैं, परमाणु द्वि-ध्रुवीयता को नहीं।
5. मूलर के अनुसार, परमाणु बम के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्म समर्पण नहीं किया। जापानियों के आत्म समर्पण का मूल कारण अमेरिकियों द्वारा जापानियों की सुरक्षा मांग को स्वीकार कर लेना था। अमेरिका ने जापान को यह भी आश्वासन दिया कि जापान के महाराजा और जापान की संस्थाओं को बनाया रखा जाएगा।
6. परमाणु प्रसार आवश्यक नहीं हैं, उन्होंने अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं ताइवान जैसे देशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन राज्यों ने परमाणु हथियारों के विकल्प को स्वीकार नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि जापान के पास

यदि परमाणु हथियार होते तो क्या जापान की प्रस्थिति में वृद्धि होती अथवा ब्रिटेन व फ्रांस को राज्य इसलिए महत्व देते हैं कि उनके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। यदि ये परमाणु हथियार समाप्त हो जाएं, तो क्या इन राज्यों का महत्व कम हो जाएगा? उन्होंने इजरायल का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष-1973 में अरब राज्यों ने मिलकर इजरायल पर आक्रमण को रोक नहीं पाए। अर्जेंटीना ने वर्ष-1982 में फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण कर लिया। जबकि पहले ब्रिटेन इस द्वीप पर अपना दावा करता था। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया, तब उन्हें कुवैत के मित्र देशों (अमेरिका) के परमाणु हथियार का भय नहीं था। जॉन मूलर ने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा कि इसे केवल सैन्य शक्ति के रुप में परिभाषित करना कठिन है, बल्कि यह अनेक अवयवों का योग है।

7. मूलर के अनुसार, हथियार नियंत्रण की संधियों से परमाणु हथियारों की संख्या में कमी होगी, यह जरुरी नहीं है। इन्होंने मार्गेथॉऊ के प्रसिद्ध कथन को दोहराते हुए कहा कि 'व्यक्ति इसलिए नहीं लड़ते कि उनके पास हथियार हैं, वे लड़ना चाहते हैं, इसलिए उनके पास हथियार हैं।' इसलिए हथियारों की समाप्ति के बाद लड़ाई समाप्त हो जाएगी, यह मान्यता अतार्किक है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य हथियारों का संघर्ष बना हुआ था, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को खतरे के रुप में देखते थे। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हथियारों की दौड़ नहीं देखी गई, क्योंकि दोनों एक-दूसरे को खतरा नहीं मानते। उन्होंने फिर कनाडा और अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के नागरिक आपस में शांतिपूर्वक साथ-साथ रह रहे हैं तथा दोनों के मध्य हथियारों का संघर्ष भी नहीं है। इसलिए इनके अनुसार, नि:शस्त्रीकरण तभी वास्तविकता बन सकता है, जब लोगों के मध्य भय व असहमति समाप्त हो जाए। केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से हथियारों को सीमित करना कठिन है। शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हथियारों की कटौती देखी गई, क्योंकि अब पश्चिमी देशों के लिए पूर्व सोवियत संघ का साम्यवादी खतरा टल चुका था तथा रुस की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल थी।
8. उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि परमाणु हथियारों के कारण शीत युद्ध की समाप्ति नहीं हुई, बल्कि उनके अनुसार, शीत युद्ध की समाप्ति का मूल कारण विचारों का परिवर्तन है। पूर्व सोवियत संघ के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार होने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हुई। जबकि जापान व जर्मनी जैसे देशों का शक्तिशाली रुप में आर्थिक उभार हुआ। इसलिए पूर्व सोवियत संघ ने भी आर्थिक वृद्धि एवं विकास के मार्ग को अपनाया। गोर्बाचेव ने नई सोच की विदेश नीति का नारा दिया, जिससे सोवियत संघ की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।
9. यद्यपि उन्होंने यह अंतत: माना है कि ऐसी परिस्थितियां संभावित हैं, जहां परमाणु हथियार उपयोगी हो सकते हैं और उन्होंने परमाणु हथियारों की इस उपयोगिता को सीमित रुप में स्वीकार किया। इसलिए प्रतिरोध या डिटरेंस को भी सीमित माना। यह भयंकर संघर्षमूलक परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है।

संक्षिप्तत: यह कहा जा सकता है कि अभी तक परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच युद्ध नहीं हुआ। परंतु इससे प्रतिरोध या डिटरेंस का विचार तार्किक सिद्ध नहीं होता, बल्कि परमाणु हथियारों के प्रसार से इसके प्रयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(INTERNATIONAL RELATIONS)

भाग - 2

भारत एवं विश्व

(INDIA & THE WORLD)

Dr. Rajesh Mishra

विषय-सूची (Content)

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भाग - 2
(भारत एवं विश्व)
(India and the World)

1. विदेश नीति की प्रमुख शर्तें (Key Terms of Foreign Policy) ---------- 03-05
2. विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास
   (Historical Development of Foreign Policy)---------- 06-13
3. विदेश नीति के निर्धारक तत्व (Determinants of Foreign Policy) ---------- 14-20
4. विदेश नीति को आकार देने वाली संस्थाएं
   (Institutions Shaping the Foreign Policy) ---------- 21-31
5. भारत की विदेश नीति की चुनौतियां
   (Challenges of India's Foreign Policy) ---------- 32-35
6. भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement, (NAM)) ---------- 36-41
7. दक्षिण एशिया में संघर्ष (Conflict in South Asia)---------- 42-47
8. दक्षिण एशिया में सहयोग (दक्षेस)
   (South Asian Association for Regional Cooperation, (SAARC)) --------- 48-51
9. पूर्व की ओर देखो नीति (Look East Policy) ---------- 52-57
10. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) ---------- 58-68

11. भारत–अफगानिस्तान (India-Afghanistan) ---------- 69-75

12. भारत–नेपाल (India-Nepal) ---------- 76-84

13. भारत–म्यांमार (India and Myanmar)---------- 85-90

14. भारत–भूटान (India-Bhutan)---------- 91-95

15. भारत–बांग्लादेश (India-Bangladesh)---------- 96-104

16. भारत–मालदीव (India-Maldives) ---------- 105-109

17. भारत–श्रीलंका (India-Sri Lanka) ---------- 110-118

18. द क्वाड (The QUAD) ---------- 119-120

19. भारत–अफ्रीका (India-Africa)---------- 121-127

20. भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका
(India and United States of America, (USA)) ---------- 128-138

21. भारत–यूरोपीय संघ (India-European Union, (EU)) ---------- 139-141

22. भारत–जापान (India-Japan) ---------- 142-148

23. भारत–चीन (India-China)---------- 149-162

24. भारत–रूस (India-Russia) ---------- 163-171

25. भारत और मध्य एशिया (India and Central Asia)---------- 172-175

26. भारत की परमाणु नीति (India's Nuclear Policy)---------- 176-183

27. भारत–पश्चिम एशिया (India and West Asia) ---------- 184-211

8 भारत-चीन (India-China)

सबसे जटिल संबंध (Most Complex Relations)

21वीं सदी में भारतीय विदेश नीति के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती चीन है, क्योंकि भारत व चीन के संबंधों के बीच संघर्ष, नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग एक साथ मौजूद हैं। वर्तमान में भारत व चीन के बीच हिमालयी राज्यों की सीमा पर संघर्ष (गलवान घाटी) विद्यमान हैं और दक्षिण चीन सागर में भी दोनों देशों के हितों का टकराव बना हुआ है तथा चीन, पाकिस्तान की मदद से भारत को प्रतिसंतुलित करना चाहता है। वर्तमान में चीन का प्रभाव हिंद महासागर एवं दक्षिण एशिया में भी पहले से कहीं अधिक आक्रामक दिखाई देता है।

चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत एवं क्वाड (QUAD) एक साथ हैं। अफ्रीका में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारत व चीन अफ्रीकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन ने ईरान में रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईरान से समझौता किया है, जो इससे पहले भारत के साथ किया गया था। लेकिन वर्तमान में चीन, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार भागीदार है, इस प्रकार दोनों देशों के संबंधों में सहयोग विद्यमान है।

चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है और यह एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है तथा भाषा व संस्कृति के आधार पर एकरूपता रखने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है। यह स्वयं को 'मध्य साम्राज्य' (Middle Kingdom) कहता है, जिसके अनुसार चीन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित देश है, जो स्वर्ग के सबसे निकट है। इसलिए चीन की सभ्यता सबसे महान है। वर्तमान समय में यह देश आर्थिक व सैन्य शक्ति की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। चीन में राजनीतिक रूप से एकदलीय सरकार मौजूद है, लेकिन आर्थिक रूप से इसने उदार पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है। भारत के उत्तर में स्थित यह देश परंपरागत् रूप से भारत का मित्र भी रहा है, लेकिन वर्ष-1962 में (भारत-चीन के बीच युद्ध) चीन के अचानक आक्रमण ने इस दोस्ती को तोड़ दिया और चीन में साम्यवादी शासन को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद साम्यवादी दल का चीन पर नियंत्रण बना हुआ है। वर्तमान में चीन, तिब्बत व ताइवान को अपना एक स्वायत्त भाग मानता है।

एक देश दो व्यवस्था (One Country Two Systems)

वर्ष-1949 में, चीन एक साम्यवादी देश के रूप में उभरा और चीन के अनुसार ताइवान भी चीन का भाग है। चीन में साम्यवादी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, जबकि ताइवान द्वारा उदार आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। चीन में एकदलीय शासन विद्यमान है, जबकि ताइवान में बहुदलीय लोकतंत्र पाया जाता है। चीन के अनुसार ताइवान, चीन का भाग है, लेकिन ताइवान की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था इससे अलग है। इसलिए चीन ने 'एक देश दो व्यवस्था' का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वर्ष-1997 में हांगकांग, जो पहले ब्रिटिश नियंत्रण में था, चीन का भाग बन गया और हांगकांग में एक उदार आर्थिक व्यवस्था भी विद्यमान है। उस समय चीन ने यह आश्वासन दिया था कि हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित होगा और चीन ने वर्ष-2015 में चुनाव कराने का वादा किया तथा इस वादे को पूरा करने के लिए हांगकांग में वर्ष-2017 में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले चुनाव की घोषणा की।

हांगकांग में चुनाव की घोषणा के बाद लोकतंत्र के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि वर्ष-2017 के लिए निर्धारित चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुने गए थे। अतः हांगकांग में इस विचारधारा का विरोध किया गया, क्योंकि हांगकांग की जनता के अनुसार हांगकांग चुनाव में भाग लेने वाले पदाधिकारियों के नाम भी हांगकांग की जनता ही चुनेगी। हांगकांग आंदोलन को चीन में लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत का संकेत माना गया। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष-1989 में चीन के छात्रों द्वारा तियानमेन चौक पर लोकतंत्र की

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

बहाली के लिए प्रदर्शन किया गया था, जिसका चीन ने जोरदार तरीके दमन किया था। चीन, हांगकांग में आर्थिक उदारीकरण को बनाए रखने का समर्थक है, लेकिन राजनीतिक उदारीकरण का विरोध करता है तथा हाल ही में चीन ने हांगकांग में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी दबा दिया था।

भारत व चीन के बीच भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंध विद्यमान हैं और प्राचीन समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाह्यान ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति की खोज के लिए भारत की यात्रा की थी। दोनों ही देश एशिया की दो सबसे बड़ी शक्ति हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई-अफ्रीकी एकता को मजबूत करने के लिए चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर अत्यधिक बल दिया। वर्ष-1949 में चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई और भारत इसे मान्यता देने वाला पहला गैर-साम्यवादी देश था, जबकि अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश का विरोध किया, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की स्थाई सदस्यता का समर्थन किया। वर्ष-1950 में, चीन की सेना ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद भारत ने तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता दे दी।

मैत्रीपूर्ण संबंध (Friendly Relations)

प्रारंभ में, भारत व चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित हुए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण दोनों देशों के बीच पंचशील (शांति के पांच सिद्धांत) का समझौता है, जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झाउ एनलाई (Zhou Enlai) ने हस्ताक्षर किए थे, **जो इस प्रकार हैं** -

1. एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर विदेश नीति का संचालन करना।
2. एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना।
4. परस्पर लाभ व समानता की नीति का पालन करना।
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

अत: दोनों देशों के बीच मित्रता का यह सुनहरा दौर वर्ष-1955 के बांडुंग सम्मेलन में भी देखने को मिला, जिसे एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।

भारत व चीन युद्ध (India-China War)

चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद अत्यधिक प्रभावशाली था। इसलिए चीन ने सबसे पहले भारत-चीन सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत की और काराकोरम राजमार्ग (वर्ष-1956-57) का भी निर्माण किया तथा चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि भारत-चीन सीमा का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं हुआ और चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से भी इनकार कर दिया तथा उसने कहा कि यह साम्राज्यवादी रेखा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन द्वारा दक्षिणी तिब्बत के रूप में वर्णित किया गया है। वर्ष-1959 में, तिब्बत में तिब्बतियों ने चीन के विरूद्ध विद्रोह कर दिया और दलाई लामा सहित लाखों तिब्बती भारत आ गए, जिससे चीन का दृष्टिकोण भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो गया, परिणामस्वरूप चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया।

युद्ध का परिणाम (Result of War)

सितंबर, 1962 में, चीन ने भारत पर सैन्य आक्रमण किया और अक्साई चिन पर अधिकार कर लिया तथा चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में घुस गई थी, जिसे बाद में चीन के द्वारा अपनी सेना को वापस बुला लिया गया था। इस आक्रमण के बाद चीन की सेना ने एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी। वर्ष-1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन ने भारतीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसमें लद्दाख और तिब्बत के बीच चीन के कब्जे वाले 10 महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। चीन, हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे पर अपना दावा पेश कर रहा है और यह ध्यान देने योग्य है कि पाक अधिकृत कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया है।

इसके बाद भारत व चीन के संबंध अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो गए। भारत के अनुसार, जब तक चीन भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता, तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसलिए इसे विदेश नीति की एक बड़ी विफलता माना गया। इस आक्रमण के बाद पड़ोसी देशों ने भी भारत के विरूद्ध चीन कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

दिया और चीन ने पूरी दुनिया में यह प्रचार कर दिया कि भारत, एक साम्राज्यवादी देश है। इसलिए भारत, तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इस युद्ध से भारत की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक क्षति हुई तथा इस युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान की सदाबहार दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों देशों ने मिलकर भारत के विरूद्ध कार्य किया।

चीन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। वर्ष-1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया तथा वर्ष-1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध में चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसके कारण भारत ने वर्ष-1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, जिसे अन्य देशों के द्वारा इसे परमाणु ब्लैक मेलिंग कहा गया और वर्ष-1975 में सिक्किम के भारत में विलय का भी विरोध किया। वर्ष-1976 में भारत व चीन के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक नई पहल की गई, क्योंकि इस वर्ष भारत ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया था, क्योंकि वर्ष-1962 के बाद चीन में भारत का कोई राजदूत नियुक्त नहीं किया गया था। वर्ष-1977 में जनता पार्टी की सरकार ने चीन के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश की थी, लेकिन नए शीत युद्ध के कारण जनता पार्टी की सरकार ने चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं कर सका। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया, लेकिन वर्ष-1979 में ही वियतनाम पर चीन के आक्रमण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत लौट आए।

चीन की परिवर्तित नीति (China's Changed Policy)

वर्ष-1979 में देंग शियाओपिंग (*Deng Xiaoping*) ने चीन की विदेश नीति में आर्थिक मुद्दों पर तथा उनके द्वारा चीन में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी सर्वाधिक बल दिया गया था। समाजवादी शासन के साथ बाजारवादी आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ और इसके परिणामस्वरूप चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया गया और उन्होंने कहा कि सीमा विवाद जैसे मुद्दों को आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों के बीच अलगाव करने का प्रयास किया गया। वर्ष-1980 के दशक में भारत ने भी यह अहसास किया कि सीमा पर दोनों ओर से चीन व पाकिस्तान के साथ विवाद भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत व चीन के संबंधों को सुधारने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। 34 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष-1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया तथा उन्होंने कहा कि चीन के साथ आर्थिक व व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएंगे तथा सीमा विवाद के कारण चीन के साथ संबंधों को स्थगित नहीं किया जाए।

वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का उदय (Rise of China Global Power)

वर्ष-1945 में विश्व की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में चीन का भाग 1 प्रतिशत था, जो कि अब बढ़कर लगभग 18 प्रतिशत हो गया है। जबकि अमेरिका का भाग वर्ष-1945 में 45 प्रतिशत था, जो अब केवल 22 प्रतिशत रह गया है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार चीन है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में भी चीन का प्रभाव बढ़ा है और चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना सैन्य अड्डा भी बना लिया है तथा चीन की बढ़ती ताकत ने अमेरिका के प्रभुत्व को निर्णायक रूप से कम किया है, जिसके कारण विश्व शक्ति का केंद्र यूरोप या अटलांटिक नहीं, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में चीन व भारत के बीच सीमा विवाद विद्यमान हैं, जिसमें डोकलाम व गलवान मुद्दे पर चीन की ओर से आक्रामक रणनीति अपनाई गई थी।

चीन के शक्तिशाली आर्थिक एवं सैन्य उत्थान को शांतिपूर्ण उदय का नाम दिया गया। चीन के अनुसार चीन का शक्तिशाली उदय अन्य देशों के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि विकास में सहायक होगा तथा चीन का शक्तिशाली उदय साम्राज्यवादी देशों के शक्तिशाली उदय से अलग होगा और चीन अपने विकास के लिए दूसरे देशों का शोषण नहीं करेगा, ऐसा चीन का विश्वास है। चीन के आर्थिक विकास के कारण 21वीं सदी को चीन की सदी के रूप में व्यक्त किया और चीन के प्रभाव को पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया तथा कुछ लोगों ने चीन के उदय को एशियाई पुनरुत्थान के रूप में भी चित्रित किया।

शी. जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति (Xi-Jinping Life time President)

कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के राष्ट्रपति शी. जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति पद देने की मंजूरी दे दी है। वर्ष-2049 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। चीन के आर्थिक उत्थान से उसके राजनीतिक मूल्य भी पूरी दुनिया में प्रभावी होंगे। इसलिए आर्थिक, रणनीतिक और वैचारिक रूप से यह भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भारत खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में पेश करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तथा रूस में पुतिन वर्ष-2000 से ही सत्ता में बने हुए हैं और पुतिन, चीन के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। इसलिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही है।

सीमा विवाद का मुद्दा (The Issue of Border Dispute)

भारत व चीन के बीच सीमा के पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है और पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख से होकर गुजरता है और मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटा हुआ है। भारत व चीन के बीच लगभग चार हजार किमी. लंबी सीमा है। इस भारत व चीन की सीमा को तीन भागों में बांटा जा सकता है, **वे इस प्रकार हैं** - भूटान के पूर्व की सीमा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य सीमा और चीन के तिब्बत और सिक्यांग प्रांतों से जम्मू एवं कश्मीर को अलग करने वाली पश्चिमी सीमा। भारत व चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व में मैकमोहन रेखा और उत्तर-पश्चिम में लद्दाख से संबंधित है।

मैकमोहन रेखा (The McMahon Line)

यह रेखा भूटान के उत्तर-पूर्व में भारत व चीन की सीमा को विभाजित करती है। भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध रूप से निर्धारित सीमा रेखा माना है, लेकिन चीन ने सदैव इसकी निंदा की है, क्योंकि वर्ष-1914 में शिमला में आयोजित ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में इस साम्राज्यवादी सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था। शिमला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था, जो उस समय ब्रिटिश भारत सरकार में तत्कालीन विदेश सचिव थे। एक समझौते के अनुसार, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तिब्बत को आंतरिक व वाह्य दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें वाह्य तिब्बत और भारत के बीच की सीमा को उच्च श्रेणियों के बीच विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार में तत्कालीन विदेश सचिव मैकमोहन के सुझाव पर इस सीमा का निर्धारण किया गया और उन्होंने नक्शे पर लाल पेंसिल से एक रेखा खींचकर सीमा का सीमांकन किया। इस प्रकार निर्धारित की गई इस रेखा को 'मैकमोहन रेखा' कहा जाता है। यह एक तरह से प्राकृतिक सीमा रेखा भी है, क्योंकि यह उत्तर में तिब्बती पठार और दक्षिण में भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, जिस नक्शे पर यह रेखा खींची गई थी उस पर चीन, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चीन की सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। फिर भी चीन की किसी सरकार ने कभी भी इस सीमा पर कोई आपत्ति नहीं जताई तथा भारत ने सदैव इसे स्वीकार किया है।

लद्दाख (Ladakh)

लद्दाख सदा से जम्मू एवं कश्मीर राज्य का भाग रहा है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता के अधीन था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका भारत में विलय हो गया और यह भारत का भाग बन गया। हालांकि इस क्षेत्र में लद्दाख-चीन सीमा किसी संधि के द्वारा निर्धारित नहीं हुई थी, फिर भी अनौपचारिक रूप से सीमा को मान्यता दी गई थी, जो चीन व भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। भारत के सभी मानचित्रों में इस सीमा रेखा को सदैव प्रदर्शित किया गया था, जो यात्री समय-समय पर भारत आए, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इस सीमा का उल्लेख किया। भारत द्वारा वर्ष-1899 में चीन को भेजे गए एक पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अक्साई चिन भारत का भाग था। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में अक्साई चिन को कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग स्वीकार किया गया था।

डिलिंकिंग नीति (Delinking Policy)

भारत के द्वारा डिलिंकिंग नीति अपनाने के बाद आर्थिक संबंधों और सीमा विवादों को अलग-अलग देखने की कोशिश की गई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान सीमा विवाद के संबंध में भारत का दृष्टिकोण में बदलाव आया और भारत ने कहा कि सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसका समाधान अलग से किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ संबंध मजबूत किए जाएंगे, जबकि वर्ष-1988 से पहले भारत का मानना था कि जब तक सीमा विवाद हल नहीं

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

होगा, तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन इन संबंधों को वर्ष-1988 में चीन की राजीव गांधी की यात्रा के दौरान परिवर्तित करने का प्रयत्न किया गया। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में भारत व चीन के बीच मधुर संबंधों के बावजूद, कुछ विचारकों का मानना है कि चीन सदैव भारत के लिए खतरा है, जिससे भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है, और यह धारणा सीमा विवाद के संदर्भ में सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भारत व चीन के बीच लगभग 4 हजार किमी की सीमा रेखा का अभी भी सीमांकन नहीं किया गया है। वर्ष-1988 में राजीव गांधी की यात्रा से सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसमें भारत व चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी मुख्य मुद्दा है तथा सीमा विवाद का समाधान एक जटिल समस्या है, जिसे आपसी सहयोग से सुलझाया जाएगा एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे, इत्यादि शामिल हैं।

गलवान संघर्ष और भारत का दृष्टिकोण (Galwan Clash and India's Approach)

वर्तमान में भारत, चीन के संबंध में डिलिंकिंग नीति में विश्वास नहीं करता है, इसलिए सीमा पर अमन चैन बनाए रखने के लिए किए गए सभी उपाय व्यर्थ हो गए हैं। चीन की आक्रामकता ने यह साबित कर दिया है कि विश्वास निर्माण के उपाय (CBM) पूरी तरह से विफल हो गए हैं, क्योंकि लद्दाख में भारत व चीन की सेनाएं एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ी हैं। इस संघर्ष ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि दो देशों के बीच व्यापार संबंध सीमा विवाद को सुलझाने में सहायक होते हैं। वर्तमान में चीन का उदय शांतिपूर्ण नहीं है और न ही यह एशिया का उदय है, बल्कि चीन एक अवसर के बजाए, भारत के लिए सदैव एक खतरा है। इसलिए भारत ने चीन को रोकने के लिए कई अन्य दृष्टिकोण भी अपनाए हैं।

गलवान घाटी में चीन के विरूद्ध भारत की सेना भी तैनात है और यह चीन की सेना को सीमा रेखा पर यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करने देगी और इसका भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यह वर्ष-1962 के युद्ध के बाद पहली बार सीमा पर सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी तैनाती है। रणनीतिक रूप से भारत, क्वाड (QUAD) को मजबूत कर रहा है, और क्वाड के देशों के साथ हिंद महासागर में मालाबार अभ्यास भी किया जा रहा है। भारत व अमेरिका के सामरिक संबंधों में भी गुणात्मक सुधार हुआ है। भारत ने विभिन्न चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और भारत द्वारा चीन के 5-जी ट्रायल की भी अनुमति नहीं दी गई। भारत ने चीन के साथ किए गए विभिन्न अनुबंधों को रद्द कर दिया, जिसमें चीन की कंपनियों की भागीदारी शामिल थी। वर्तमान में भारत, ताइवान के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। भारत ने हांगकांग के लोकतांत्रिक आंदोलन का भी समर्थन किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने तिब्बत के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरू दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं। यह भारत सरकार के द्वारा तिब्बत की नीति पर पुनर्विचार का संकेत है। इससे चीन की सरकार को यह संदेश जाता है कि भारत, चीन का पिछलग्गु देश नहीं बनना चाहता। परिणामस्वरूप एस. सी. ओ. (SCO) और ब्रिक्स (BRICS) का भविष्य भी अनिश्चितता के घेरे में है।

सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कदम (Steps to Resolve the Border Dispute)

वर्ष-1988 से, सीमा विवाद को हल करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना की गई और चीन से बेहतर संबंधों के निर्माण के लिए सीमा विवाद का हल जरूरी शर्त है, **लेकिन पर्याप्त नहीं** -

1. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और शांति (Peace and Tranquillity on the Line of Actual Control (LAC))

भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वर्ष-1993 में चीन का दौरा किया और सीमा विवाद को हल करने के लिए सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला किया गया, तथा जिसमें सीमा विवादों को सुलझाने के लिए मैत्रीपूर्ण व शांतिपूर्ण परामर्श देना, जिसमें कोई भी देश एक-दूसरे के विरूद्ध बल का प्रयोग नहीं करेगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की न्यूनतम तैनाती, सैन्य अभ्यास करने से पहले एक-दूसरे को सूचना देना, असहमति के मामले में मैत्रीपूर्ण परामर्श तथा दोनों देश एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे इत्यादि शर्तें शामिल हैं।

2. विश्वास निर्माण के उपाय (Confidence Building Measures, (CBMs)

वर्ष-1996 में, भारत व चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए एक नई पहल की गई, जिसमें सीमा पर सैनिकों की कमी, सैनिकों की तैनाती के संबंध में डेटा का लेन-देन, दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमा पर कोई

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

बड़ा सैन्य अभ्यास नहीं होगा, यदि कोई देश सीमा के दोनों ओर एक से अधिक ब्रिगेड का सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना देनी होगी, हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं होगा और अगर इसका उल्लंघन होता है, तो इसकी जांच की जाएगी और इसे कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाएगा, सेना के हेलीकॉप्टर वास्तविक नियंत्रण रेखा के 10 किमी के दायरे में नहीं उड़ेंगे तथा 2 किमी के क्षेत्र में फायरिंग की इजाजत नहीं होगी, दोनों देशों के द्वारा सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मीटिंग का आयोजन किया जाएगा तथा दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण और निर्धारित करने के लिए तेजी से कार्य करेंगे। वर्ष-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के बावजूद सीमा विवाद के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे, इत्यादि शर्तें शामिल हैं।

3. सीमा रक्षा सहयोग समझौता (Border Defence Cooperation Agreement, (BDCA))

भारत व चीन ने सीमा रक्षा सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों की सीमा पर नशीले पदार्थों, हथियारों और वन्यजीवों व वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए एक संयुक्त गश्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा इस समझौते में कहा गया था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर एक-दूसरे का पीछा नहीं करेंगी, सीमा पर उत्पन्न होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक एवं बातचीत के जरिए हल किया जाएगा, सीमा पर सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत होगी और उनके बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। इत्यादि शर्तें शामिल हैं।

आलोचकों के अनुसार, सीमा रक्षा सहयोग का समझौता एक सीमा प्रबंधन समझौता है, न कि सीमा विवाद को हल करने का। यह पहले किए गए विश्वास निर्माण के उपायों का ही एक भाग है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है।

चीन का दावा (China's Claims)

- वर्ष-1963 के तथाकथित चीन व पाकिस्तान सीमा समझौते के माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से अपने कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय क्षेत्र का 5180 वर्ग किमी चीन को उपहार में दे दिया।
- चीन ने जम्मू एवं कश्मीर (अक्साई चिन) में लगभग 38000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया है।
- चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश (88743 वर्ग किमी) पर अपना दावा करता रहा है।

चीन का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिए इस पर अतिक्रमण का सवाल ही नहीं उठता। यह उल्लेखनीय है कि शक्सगाम घाटी पर चीन का पहले से ही नियंत्रण है तथा काराकोरम राजमार्ग अक्साई चिन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो तिब्बत को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। चीन, काराकोरम हाईवे को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है, जिससे चीन की सामरिक स्थिति बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत इसलिए दबाव में है, क्योंकि चीन ने दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, जबकि भारत के साथ सीमा विवाद अभी भी बरकरार है। चीन, दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि सीमा विवाद का समाधान न हो पाने का मूल कारण भारत है। पहले चीन पश्चिमी क्षेत्र सीमा विवाद के समाधान पर बल देता था, लेकिन वर्तमान में वह पूर्वी क्षेत्र पर अत्यधिक बल दे रहा है। भारत पहले सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमत हुआ था और कहा था कि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा, लेकिन बाद में चीन इस समझौते से पीछे हट गया।

पहले चीन पैकेज डील पर सहमत था, जिसका अर्थ है कि पूर्वी क्षेत्र भारत के नियंत्रण में होगा और पश्चिमी क्षेत्र चीन का होगा, लेकिन चीन अभी भी पैकेज डील मानने को तैयार नहीं है और सेक्टर के आधार पर भी सीमा का सीमांकन किया जा सकता है।

सीमा विवाद और सत्ता संघर्ष (Border Dispute and Power Struggle)

वर्तमान में 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) एवं दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत व चीन के बीच स्पष्ट मतभेद हैं और भारत व अमेरिका तथा भारत व जापान के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों के परिणामस्वरूप सीमा विवाद के प्रति चीन का रुख और अधिक मुखर एवं आक्रामक होता जा रहा है। वर्तमान में जापान, भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में सीमा विवाद विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष का परिणाम है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

सीमा विवाद और व्यापार संबंध (Border Disputes and Trade Relations)

वर्ष-1988 में, भारत ने चीन के प्रति व्यावहारिक एवं डिलिंकिंग नीति अपनाई। इसलिए चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर अत्यधिक बल दिया गया और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अलग से प्रयास किए गए। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 135 बिलियन डॉलर (वर्ष-2022) का है और इसी के साथ चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है तथा कई चीन की कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश भी किया गया है, लेकिन व्यापार बढ़ने के बाद भी सीमा विवाद के मुद्दे पर चीन का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है और वह सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत को कोई रियायत नहीं देना चाहता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जैसे-जैसे चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है, वैसे-वैसे ही सीमा मुद्दे पर चीन का रुख अत्यधिक सख्त होता जा रहा है। चीन आर्थिक क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन सीमा विवाद के मुद्दे पर वह भारत को कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है तथा चीन, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर भारत पर अतिरिक्त दबाव भी बना रहा है। इसलिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, चीन व जापान के बीच आर्थिक संबंध तो मजबूत हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सेंकाकू द्वीप समूह विवाद का मुद्दा अभी भी बना हुआ है।

दोनों देश एशिया तथा विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसलिए दोनों देशों के द्वारा आपसी सहयोग से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सकती है। पिछले 18 वर्षों (वर्ष-1992 से 2010 तक) में भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 गुना बढ़ा है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार चीन है, जबकि भारत, चीन का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन के अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में भारत व चीन के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आर्थिक संबंधों में चुनौतियां (Challenges in Economic Relations)

भारत व चीन एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग एक समान वस्तुओं का निर्यात करते हैं। भारत सरकार के अनुसार, चीन से आयातित सामान से भारतीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार के घाटे (वर्ष-2022 में लगभग 100 बिलियन डॉलर) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में डिपेंडेंसी सिंड्रोम (Dependency Syndrome) विकसित हो रहा है तथा भारत के कई उद्योग चीन के सस्ते माल के कारण बंद होने के कगार पर हैं। भारत व चीन के बीच व्यापार में भारत को लगभग 100 बिलियन डॉलर (वर्ष-2022 में) का व्यापार घाटा है। इसलिए भारत ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है। चीन, भारत पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन भारत अभी तक इस पर राजी नहीं हुआ है। भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे में सुधार करना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को और अधिक प्रभावी बनाना है, तभी चीन की रणनीतिक चुनौती का दीर्घावधि में मुकाबला किया जा सकता है। चीन अभी भी संरक्षणवादी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत के सॉफ्टवेयर, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स को चीन के बाजार में प्रवेश नहीं मिल रही है। भारत सोयाबीन का प्रमुख निर्यातक देश है, फिर भी चीन, सोयाबीन का आयात नहीं करता है। चीन की मोबाइल कंपनी की भारत के मोबाइल बाजार में लगभग 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। अतः इस प्रकार चीन भारतीय बाजार का फायदा उठाना चाहता है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध (Dams on the Brahmaputra River)

भारत को चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण की अधिसूचना नवंबर, 2010 में प्राप्त हुई थी और चीन ने तिब्बत में जांगमू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जो ल्हासा से लगभग 325 किमी दूर है तथा चीन का कहना है कि इस बांध के जरिए पानी के बहाव को किसी भी तरह से मोड़ा (डायवर्ट) नहीं जाएगा। भारत द्वारा उपग्रह से ली गई तस्वीरों के अनुसार, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ा

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

(डायवर्ट) नहीं गया है। लेकिन भविष्य में चीन के द्वारा इस बांध का उपयोग बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है, जो निर्णायक रूप से भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है।

वर्ष-2006 से चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग सांगपो) पर बांध बनाने का निर्णय लिया और वर्ष-2010 तक इसे पूरा भी कर लिया। लेकिन वर्ष-2013 में एक नया विवाद सामने आया, जब चीन ने तिब्बत में 3 नए बांध बनाने की घोषणा की और ये बांध भारतीय सीमा से केवल 30 किमी की दूरी पर है। चीन, दुनिया का 13वां सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र है और तिब्बत में पूरे एशिया में पानी का सबसे बड़ा जलाशय पाया जाता है। मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि का उद्गम स्थल तिब्बत है।

चीन का दृष्टिकोण (China's Perspective)

चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध से बिजली उत्पादन का कार्य करना चाहता है। चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांधों से भारत जैसे देशों में पानी की मात्रा प्रभावित नहीं होगी। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि चीन का किसी भी पड़ोसी देश के साथ जल बंटवारा समझौता नहीं है। वर्ष-1997 में, अंतर्राष्ट्रीय जल के गैर-नौवहन वितरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें चीन ने इस सम्मेलन के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया।

भारत का पक्ष (India's Side)

भारत के अनुसार, चीन पनबिजली योजना के लिए न सिर्फ बांध बना रहा है, बल्कि सुरंग बनाकर पानी को मोड़ने की योजना भी बना रहा है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर-पूर्वी राज्यों की जीवन रेखा है और इसके पानी के मोड़ने से न केवल इस क्षेत्र पर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा होगा और निचले तटवर्ती देशों का भी पानी पर समान अधिकार है। ब्रह्मपुत्र नदी के बांध का मुद्दा न केवल भारत व चीन के बीच का मुद्दा है, बल्कि इसका प्रभाव बांग्लादेश, थाईलैंड व वियतनाम पर भी पड़ेगा। चीन, मेकांग नदी के पानी को भी मोड़ रहा है। इसलिए भारत दूसरे देशों को साथ लेकर चीन पर दबाव बना सकता है। बांग्लादेश ने भारत व चीन को शामिल करके एक संयुक्त नदी जल आयोग की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, जिसके माध्यम से तीनों देश आपसी सहयोग से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

दक्षिण चीन सागर विवाद (South China Sea Dispute)

एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है और दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर में स्थित है तथा यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग है, जो विश्व व्यापार का 70 प्रतिशत भाग है। यहां गैस व तेल के विशाल भंडार होने की संभावना है। यहां द्वीपों की एक श्रृंखला तो है, लेकिन यहां मानव बस्ती नहीं है। दक्षिण चीन सागर का विवाद चीन एवं आसियान देशों के बीच है, जिसमें वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और मलेशिया शामिल हैं। यह विवाद आसियान देशों के बीच भी मौजूद हैं। स्प्रैटले व पार्सेल दो सबसे बड़े द्वीप हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन सभी द्वीपों के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर चीन का नियंत्रण है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुसार (*United Nations Convention on the Law of the Sea,* (*UNCLOS*)) राज्य के भूभाग से 12 समुद्री मील तक राज्य की संप्रभुता का विस्तार होता है। जबकि 200 समुद्री मील राज्य के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone, (EEZ)) का विस्तार है। इसलिए इन द्वीपों पर नियंत्रण के द्वारा कर चीन अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। इस विवाद के चलते विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, जिससे समुद्री संचार मार्ग बाधित हो रहे हैं तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा समुद्री संचार मार्ग में एक बाधा के रूप में माना जा रहा है। चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों में सैन्य अड्डा निर्माण किया जा चुका है और चीन ने इन द्वीपों पर एक हवाई पट्टी बना ली है।

चीन का इरादा अपनी सैन्य ताकत में विस्तार करने के साथ-साथ विवादित है, लेकिन खनिज समृद्ध द्वीपों पर कब्जा करना भी है। चीन ने नवंबर, 2013 में पूर्वी चीन सागर में अपना पहला 'एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन'

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

बनाकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की है। इसमें विवादित सेंकाकू द्वीप के साथ-साथ जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के वायु निषिद्ध क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय (Award of the International Tribunal)

फिलीपींस के द्वारा दक्षिण चीन सागर के विवाद को सुलझाने के लिए ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया और चीन के दावे को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार चीन 9 डैश लाइन तक अपना क्षेत्र मानता है।

चीन की प्रतिक्रिया (China's Response)

चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया। चीन के अनुसार, यह समुद्री क्षेत्र का विवाद नहीं है, बल्कि यह चीन की भौगोलिक संप्रभुता का मुद्दा है, जिसे न्यायाधिकरण को सुलझाने का अधिकार नहीं है। चीन इस बात पर सहमत हुआ कि विवाद को आपसी बातचीत तथा द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष-2002 में इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए समुद्री आचार संहिता का निर्माण किया गया था, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर रहा है, बल्कि चीन इस क्षेत्र में सशस्त्र बलों की तैनाती कर रहा है और इस क्षेत्र को एयर आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीन का उदय शांतिपूर्ण नहीं है, बल्कि चीन पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया (International Response)

अमेरिका, जापान व भारत जैसे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का स्वागत किया है और इसे लागू करने की मांग भी की है। उनके अनुसार चीन समुद्री संचार मार्ग को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने इसे नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था के खिलाफ तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। भारत ने भी नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। यह उल्लेखनीय है कि आसियान देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद है और चीन के द्वारा इन देशों को आर्थिक मदद देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है।

भारत का दृष्टिकोण (India's Approach)

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत् भारत इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और विशेष रूप से सिंगापुर व वियतनाम के साथ भारत के सामरिक संबंधों का भी विकास हो रहा है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत, हिंद महासागर में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करता है। इसलिए भारत भी चीन के पड़ोसी देश वियतनाम के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर बल दे रहा है।
- भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री संचार मार्ग को खुला रखने का समर्थक है और भारत यह भी मानना है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था समय की मांग है। भारत यह साबित करना चाहता है कि जिस प्रकार चीन, दक्षिण चीन सागर में आक्रामक नीति अपना रहा है, उसी तरह भारत की नीति भी अब मुखर होती जा रही है। चीन के द्वारा भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भी आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

भारत के हित (India's Interests)

वर्ष-2000 के बाद भारत ने हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा मालाबार सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। भारत के द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किए गए। वर्ष-2005 के बाद भारत के द्वारा अपने नौसैनिक जहाजों को दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में भी भेजा गया, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई गई थी। भारत के अनुसार, चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का उल्लंघन किया जा रहा है और चीन, भारत पर आसियान देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को कम करने के लिए दबाव भी बना रहा है। भारत व वियतनाम के बीच ऊर्जा समझौता वर्ष-1984 से चला आ रहा है, जिस पर इससे पहले चीन ने इस पर कभी भी आपत्ति नहीं जताई थी। भारत के द्वारा तेल और गैस की खोज वियतनाम के

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में की जा रही है। लेकिन चीन की ओर से गैस ब्लॉक संख्या-127 और 128 में खोज को लेकर आपत्ति जताई गई थी।

परमाणु मुद्दे (Nuclear Issues)

वर्ष-1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-1974 में भारत के द्वारा अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे चीन ने 'परमाणु ब्लैक मेल' बताया। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में वर्ष-1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भारत व चीन के बीच संबंध अत्यधिक कटु हो गए और चीन ने सुरक्षा परिषद् में 1172 नामक एक प्रस्ताव लाया, जिसके द्वारा भारत पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। चीन एकमात्र महाशक्ति है, जो परमाणु मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत नहीं करता है, क्योंकि चीन के अनुसार, इससे भारतीय परमाणु हथियारों को वैधता प्राप्त हो जाएगी।

चीन ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते, 2005 का विरोध किया और जब भारत-अमेरिका समझौता संपन्न हुआ, तो चीन ने पाकिस्तान को भी यह सुविधा प्रदान करने की मांग की। यह ध्यान देने योग्य है कि चीन और पाकिस्तान के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग के कारण भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन सदैव ही भारत को प्रतिसंतुलित करने की नीति पर चलता है। वर्ष-2010 में चीन एवं पाकिस्तान के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था, जिसके जरिए चीन परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सहयोग दे रहा है। चीन के अनुसार पाकिस्तान को भी भारत की तरह परमाणु क्षेत्र में छूट मिलनी चाहिए। चीन अप्रत्यक्ष रूप से एन. एस. जी. (NSG) में भारत की सदस्यता का विरोध करता रहा है।

कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issues)

वर्ष-1962 के भारत व चीन युद्ध के बाद चीन ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी और कश्मीर में जनमत संग्रह की पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। वर्ष-1990 के बाद से कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख बदल गया है, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण वर्ष-1999 में कारगिल संकट के दौरान देखा गया था। जब चीन ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा (एलओसी) का पालन करने के लिए कहा और चीन ने कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय रूप से हल करने की भी बात कही और चीन कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा प्रदान कर रहा है और कश्मीर में तैनात सैन्य अधिकारियों की चीन यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के शक्तिशाली उदय के कारण उसकी विदेश नीति भारत के प्रति निरंतर आक्रामक होती जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद चीन ने भी इस पर आपत्ति जताई थी।

आतंकवाद (Terrorism)

भारत पिछले तीन दशकों से सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। कश्मीर सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है, जबकि आतंकवाद वर्तमान में चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। इसलिए आतंकवाद दोनों देशों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन का शिनजियांग प्रांत (Xinjiang Province) भी आतंकवाद से प्रभावित है। वर्ष-2009 में चीन के शिनजियांग प्रांत में आतंकवाद की वजह से सबसे बड़ी हिंसा हुई थी। चीन ने भारत पर 26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। सितंबर, 2001 के बाद से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देश एक-दूसरे का सहयोग करते रहे हैं और अफगानिस्तान में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के हितों के विरूद्ध हैं। वर्ष-2015 में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का दौरा किया और दोनों देशों ने आतंकवाद के विरूद्ध खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन वर्ष-2016 में, चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए सुरक्षा परिषद् के एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, लेकिन बाद में चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

तिब्बत मुद्दा (Tibet Issues)

- तिब्बत और झिंजियांग दो ऐसे प्रांत हैं, जिन्हें चीन की आंतरिक सुरक्षा की सबसे प्रमुख समस्या माना जाता है। चीन अपने सबसे बड़े जातीय समूह हान को तिब्बत में बसा रहा है। चीन की भाषा मंदारिन है, जबकि तिब्बत के लोग

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

तिब्बती भाषा बोलते हैं। चीन, कन्फ्यूशियस धर्म का पालन करता है, जबकि तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। चीन ने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन तिब्बती सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग करते हैं।

- दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक गुरू तथा राज्य के प्रमुख भी हुआ करते थे। तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटिश सरकार ने चीनी आधिपत्य के तहत् तिब्बत को स्वीकार कर लिया, तथा चीन के साथ वर्ष–1906 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा इस संधि को 'चीन पर आरोपित संधि' की संज्ञा दी गई।
- तदनुसार, यह व्यवस्था भी की गई कि ल्हासा में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा और भारत, तिब्बत के लिए यांग्त्से (*Yangtse*) तक एक डाक प्रणाली स्थापित करेगा और साथ ही तिब्बत में भारत के लिए व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा तथा भारत को तिब्बत में अपनी सेना तैनात करने का अधिकार भी मिला।
- 1 जनवरी, 1950 को चीन की नवगठित कम्युनिस्ट सरकार ने यह घोषणा की कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक महत्वपूर्ण कार्य तिब्बत को मुक्त करना है। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण था और चीनी सेना तिब्बत में तैनात थी, जबकि पहले चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता बनाए रखने का आश्वासन दिया था। तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बाद, तिब्बतियों में चीन के विरूद्ध आक्रोश पैदा हुआ और तिब्बत में चीन के विरूद्ध विद्रोह शुरू हो गया।
- चीन के द्वारा तिब्बतियों का दमन किया गया था, जिसके कारण मार्च–1959 के मध्य में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अचानक विद्रोह शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चीनी और तिब्बती लोगों के बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ। चीन ने इस विद्रोह को इतनी बुरी तरह से दबा दिया कि दलाई लामा को गुप्त रास्ते से भारत भागना पड़ा और उनके साथ हजारों तिब्बती भी भारत आ गए तथा भारत ने दलाई लामा को शरण दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह भारत के क्षेत्र से चीन के विरूद्ध कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे।
- तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवास कर रही है तथा तिब्बती लोग चीन में ताइवान जैसी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं अमेरिका और यूरोपीय संघ ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण चीन की आलोचना की। चीन, तिब्बत से दलाई लामा का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, लेकिन दलाई लामा ने कहा है कि वह नए लामा को उत्तराधिकारी बनाएंगे।
- भारत ने चीन की इस नीति का समर्थन करना बंद कर दिया है, क्योंकि कश्मीर के प्रति चीन की नीति बदल गई है। चीन इस समय कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है। जबकि पंडित नेहरू ने वर्ष–1950 में ही तिब्बत को चीन के एक स्वायत्त भाग के रूप में मान्यता दे दी थी। इसलिए भारतीय विदेश नीति में तिब्बत के मुद्दे पर हमेशा एक समान दृष्टिकोण रहा है। वर्ष–2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान, तिब्बत को चीनी क्षेत्र का एक स्वायत्त और अभिन्न अंग माना गया था।
- अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में तवांग (Tawang) जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी निवास करते हैं और अधिकांश बौद्ध मठ तिब्बतियों और दलाई लामा से प्रभावित हैं तथा दलाई लामा पर भारतीय प्रभाव के कारण भारत, चीन पर दबाव बनाने में सफल होता है, क्योंकि दलाई लामा भारत को संतों की भूमि कहते हैं। दलाई लामा के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत में भी बड़ी संख्या में तिब्बती निवास कर रहे हैं। दिसंबर, 2011 में पश्चिम बंगाल में आयोजित बौद्ध सम्मेलन में तिब्बत के धार्मिक गुरू दलाई लामा के भाग लेने के विरूद्ध चीनी दूतावास द्वारा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया था, लेकिन दलाई लामा ने सम्मेलन में भाग लिया।
- वर्ष–2012 में चीन ने तिब्बत को बाहरी पर्यटकों के लिए खोलने की अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव किया और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि तिब्बत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तिब्बती अभी भी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 1,20,000 और नेपाल में लगभग 20,000 तिब्बती शरणार्थी निवास कर रहे हैं।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

सहयोग के मुद्दे (Issues of Cooperation)

इसके बावजूद ब्रिक्स विकास बैंक के मुद्दे पर चीन और भारत के बीच सहयोग बना हुआ है। भारत एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक में भी शामिल हो गया है तथा भारत को शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता भी मिल गई है। इसलिए चीन, भारत के बढ़ते बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका और यूरोप आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इसलिए चीन व भारत आपसी सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्धारक बन सकते हैं और 21वीं सदी को एशियाई सदी में बदला जा सकता है। चीन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जबकि भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। इसलिए भारत व चीन के बीच सहयोग की अत्यधिक संभावनाएं हैं। लेकिन लद्दाख में भारत व चीन की सीमा पर गलवान झड़प से दोनों देशों में भरोसे की कमी चरम सीमा पर पहुंच गई है।

भारत व चीन दोनों एशियाई महाद्वीप की दो प्रमुख शक्ति हैं तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही विकासशील देश हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग से नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि कई वैश्विक मंचों पर दोनों देशों का दृष्टिकोण एक जैसा है। जैसे विश्व व्यापार संगठन की बातचीत में सहयोग हो रहा है। परिणामस्वरूप, दोनों देश इस क्षेत्र में आपसी विकास में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।

ट्रैक - 2 कूटनीति (Track - 2 Diplomacy)

भारत व चीन के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष-2013 में एक नई पहल की गई, जिसके तहत् सरकारी वार्ता के बजाए, गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच सरकारी वार्ताओं के लिए एक बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है और दोनों देशों के बीच के अविश्वास को कम किया जा सकता है।

हिंद महासागर (Indian Ocean)

चीन के द्वारा हांगकांग से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के सूडान तक हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसे अमेरिकी विद्वान एलन बूज द्वारा लोकप्रिय रूप से 'मोतियों की माला' (String of Pearls) की नीति के रूप में जाना जाता है। इसके तहत् चीन, श्रीलंका के हंबनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और म्यांमार के कोको द्वीप पर अपनी नौसैनिक और व्यापारिक क्षमता का विस्तार कर रहा है। इस आलोचना के बाद चीन ने सिल्क रूट का विचार दिया, जिसे वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के नाम से भी जाना जाता है।

वन बेल्ट वन रोड (OBOR)

चीन, वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना के माध्यम से बंदरगाहों का विकास और सड़क संपर्क विकसित करेगा। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूती से विकसित कर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से चीन और यूरोप (इटली) सड़क संपर्क व रेल संपर्क से जुड़ेंगे और यह परियोजना रूस से मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया तक जाएगी तथा समुद्री रेशम परियोजना वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन, हिंद महासागर के सभी द्वीपीय देशों में बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो केन्या के रास्ते इटली तक जाएगा।

आर्थिक महत्व (Economic Importance)

इस नीति के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, मध्य एशियाई देशों और अफ्रीका महाद्वीप के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। यह मध्य एशिया, अफ्रीका और केन्या के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाना चाहता है। वर्तमान में चीन की आंतरिक खपत कम हो रही है और इस परियोजना के माध्यम से चीनी सार्वजनिक उद्यमों को अन्य देशों में निवेश के अवसर मिल रहे हैं।

सामरिक प्रभाव (Strategic Impact)

वर्तमान समय में चीन का शक्तिशाली उदय 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और चीन ने अफ्रीका के जिबूती में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है तथा उसने पाकिस्तान के ग्वादर में भी अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इस प्रकार उसके बढ़ते आर्थिक प्रभाव के कारण उसकी सामरिक क्षमता भी शक्तिशाली हो गई है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

भारत की आपत्ति (India's Objection)

- भारत के अनुसार, इस परियोजना में राज्यों की संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा गया है। यह उल्लेखनीय है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत अपना दावा जताता है।
- इस परियोजना में पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन से देश और कंपनियां परियोजना में निवेश करेंगी, समझौते की शर्तों और ब्याज की दर के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है।
- भारत ने यह भी कहा कि परियोजना में पर्यावरणीय मानदंडों का भी पालन नहीं किया गया है।
- चीन के द्वारा सदैव भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर आपत्ति जताई जाती है और चीन एन.एस.जी. की सदस्यता के मामलें में भी भारत का समर्थन नहीं कर रहा है तथा सीमा मुद्दे पर चीन ने भारत के प्रति आधिपत्यवादी दृष्टिकोण अपना रखा है। इसलिए भारत ने वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया।

भारत का विकल्प (India's Option)

- भारत के द्वारा पहली बार किसी विदेशी बंदरगाह के विकास के लिए चाबहार बंदरगाह विकसित किया गया था, जो ग्वादर बंदरगाह से केवल 72 किमी की दूरी पर स्थित है।
- भारत व जापान ने अन्य देशों के साथ एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के विचार का समर्थन किया है, जिसके माध्यम से लगभग 50 एशियाई अफ्रीकी देश इस अवसंरचना के विकास के लिए सहयोग करेंगे।
- इसके द्वारा एशिया व अफ्रीका को समुद्री मार्ग से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है, जो गुजरात के जामनगर बंदरगाह को अफ्रीका के जिबूती से तथा मदुरई को जंजीबार से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भारत व अफ्रीका के देशों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा और जापान के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
- भारत, बांग्लादेश, चीन व म्यांमार के बीच व्यापार, परिवहन एवं पर्यटन को बढ़ाने के लिए आपसी आर्थिक सहयोग का निर्णय लिया गया है। इससे पहले इसे कुनमिंग प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। चीन के झिंजियांग और युन्नान प्रांत सबसे पिछड़े क्षेत्र और भू-आबद्ध राज्यों में शामिल हैं। इसलिए इन दूर-दराज इलाकों के विकास के लिए चीन ने इस कॉरिडोर को बनाने की कोशिश की।
- इसके विकल्प में भारत ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने पर बल दिया है, जिसके माध्यम से म्यांमार के रास्ते कोलकाता और मिजोरम के बीच कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।
- भारत व चीन के बीच आर्थिक सहयोग की अत्यधिक संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक सामरिक क्षेत्र में अविश्वास है, तब तक आर्थिक सहयोग में बाधाएं बनी रहेंगी। भारत, चीन के साथ सहयोग करने में जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है।

भारत की प्रमुख शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा (India's Major Power's Ambition)

भारत, विश्व की प्रमुख शक्तियों में से एक है और वह वैश्विक राजनीति में अधिक सक्रिय रहने के लिए तैयार है। भारत सुरक्षा परिषद् में स्थाई सीट का दावा करता रहा है, लेकिन चीन ने कभी भी सुरक्षा परिषद् के स्थाई सदस्यता के लिए भारत का कभी भी समर्थन नहीं किया है। भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी के साथ जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता की मांग की है, परंतु यहां पर भी चीन, भारत की सदस्यता के मार्ग में बाधा बन गया है और चीन ने भारतीय लोकतंत्र को कभी भी मान्यता नहीं दी, जबकि भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां तक कि चीन ने तो यहां तक कह दिया कि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है।

एशिया का उदय और विश्वास की कमी (The Rise of Asia and the Trust Deficit)

भारत व चीन के बीच आपसी विश्वास की कमी है, क्योंकि चीन, भारत के बड़े भूभाग पर अपना दावा करता रहा है। भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारत को लगभग 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत की सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और पाकिस्तान को भी चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन, आतंकवाद व सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के मुद्दे पर भारत का समर्थन कभी नहीं करता और तिब्बत के मुद्दे पर तथा दलाई लामा की भारत में मौजूदगी से भी चीन नाराज है। इसलिए भारत, 'वन बेल्ट वन रोड' में चीन का समर्थन नहीं कर रहा है, जबकि विश्व के ज्यादातर देश इसके पक्ष में हैं। भारत द्वारा अमेरिका व जापान के साथ स्थापित किए गए रणनीतिक संबंधों से भी चीन नाराज है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास और विवाद अत्यधिक गहरा है।

चीन व पाकिस्तान संबंध (Sino-Pakistan Relations)

चीन व पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है और पाकिस्तान के द्वारा चीन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा चीन की ओर से पाकिस्तान में निवेश किया जा रहा है और चीन, सुरक्षा परिषद् में भी पाकिस्तान का बचाव करता रहा है तथा चीन ने पाकिस्तान को नेवल सबमरीन भी उपलब्ध कराई है। वर्तमान में फिलहाल गिलगित व बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन द्वारा सैनिकों की तैनाती भारतीय सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का भाग है। चीन इस क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति को और मजबूत करके काराकोरम राजमार्ग का विकास कर रहा है। इसलिए भारत व चीन के संबंधों में पाकिस्तान अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। चीन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विकास में मदद की थी और चीन, पाकिस्तान के मिसाइल विकास कार्यक्रम में भी सहयोग कर रहा है। वर्तमान विश्व में चीन व रूस के बीच मधुर सामरिक संबंधों के विकास के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस के हथियार प्राप्त हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान में चीन का प्रभाव भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन ने विकसित किया है और चीन व पाकिस्तान के बीच एक आर्थिक गलियारा (CPEC) बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) से होकर गुजरेगा। भारत व चीन के संबंधों में आर्थिक सहयोग के बावजूद चीन ने सदैव दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश की है तथा दक्षिण एशिया में भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन ने दोहरी रणनीति अपनाई है। चीन एक ओर पाकिस्तान को लगातार समर्थन व सैन्य सहयोग तथा दूसरी ओर भारत के छोटे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश व श्रीलंका के माध्यम से भारत को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करता रहता है।

भारत व अमेरिका का संबंध (Indo-USA Relations)

भारत ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) और संगतता एवं सुरक्षा समझौता (COMCASA) के रूप में अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में भारत व अमेरिका के बीच व्यापार और मजबूत सामरिक संबंध विकसित हो रहे हैं और अमेरिका, भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन गया है। चीन व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 600 बिलियन डॉलर तक है, जिसमें अमेरिका व्यापार घाटे में है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका, चीन को अपना हथियार निर्यात नहीं करता है।

इसलिए चीन व अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध लगभग न के बराबर हैं। भारत व अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के परिणामस्वरूप चीन, भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाकर चीन, भारत पर अपना दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका, भारत को साथ लेकर चीन को प्रतिसंतुलित करने की नीति अपना रहा है। इसलिए भारत, अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाकर चीन के साथ सौदेबाजी की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। शीत युद्ध के बाद के विश्व में भारत व अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण व निर्णायक हैं। लेकिन चीन, भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी को सदैव संदेह की दृष्टि से देखता है। अमेरिका, भारत व जापान, चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए आपस में व्यापक रणनीतिक सहयोग कर रहे हैं। भारत व अमेरिका के बढ़ते संबंधों के परिणामस्वरूप भारत व चीन के बीच गलवान संघर्ष के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन की विदेश नीति के रणनीतिक सहयोग पर दबाव बढ़ रहा है।

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com

निष्कर्ष (Conclusion)

चीन एक साम्यवादी देश है, जहां शांति से सत्ता का हस्तांतरण होता है। वर्तमान राष्ट्रपति शी-जिनपिंग को चीन के आजीवन राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने से चीन की राजनीतिक स्थिरता मजबूत हुई है, जिसके परिणामस्वरूप विदेश नीति में भारत पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि चीन व भारत के बीच सत्ता की विषमता विद्यमान है। इसलिए भारत की विदेश नीति में चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।

.....

Mukherjee Nagar - A - 20, 102, Indraprasth Tower (Behind Batra Cinema), Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Old Rajinder Nagar - Shop No. - 63, 3rd Floor, Main Market, Bada Bazar Road, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 60
Ph: 011 - 40535897, 09899156495, 09667889491
E - mail - saraswati.ias@gmail.com, **Visit us at :** www.saraswatiias.com